चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 16 मई–22 मई 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

नरेंद्र मोदी का मंत्र

काम कम प्रचार ज़्यादा

मनीष कुमार

आजीव स्थिति है. एक दिन पहले सरकार योजनाएं घोषित करती है और अगले ही दिन उन्हें सफल बता देती है. आमतौर पर योजनाओं के कार्यान्वयन के बाद ही यह फैसला किया जाता है कि योजनाएं सफल हुईं या असफल. लेकिन, मोदी सरकार कार्यान्वयन के बगैर ही योजनाओं को सफल घोषित करने पर तुली हुई है. ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि बिना सफल कार्यान्वयन के ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद योजनाओं की सफलता का ढिंढोरा पीटने लगें. नरेंद्र मोदी सरकार के दो साल पूरे होने वाले हैं. अगले चुनाव में अभी तीन साल बाकी हैं लेकिन चिंता की लकीरें पार्टी आलाकमान के चेहरे पर साफ-साफ दिखाई देने लगी हैं. नरेंद्र मोदी की चिंताएं क्या हैं यह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में साफ किया. नरेंद्र मोदी की चिंता यह है कि केंद्र सरकार की सफलताओं का प्रचार-प्रसार नहीं हो पा रहा है. लेकिन सांसदों की चिंता यह है कि योजनाएं अभी तक ज़मीन पर नहीं उतरी हैं. कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसे में सांसद किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे और उन योजनाओं को सफल बताएंगे जिनका कार्यान्वयन हुआ ही नहीं है.

सच्चाई यह है कि जनता तो दूर की बात है, सांसदों को ही यह पता नहीं है कि सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं किस स्तर तक लागू हुई हैं या लागू होने वाली हैं. ऐसे में सांसदों से यह अपेक्षा करना कि सांसद योजनाओं की सफलता के ढोल पीटें, यह मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच संवादहीनता की पराकाष्ठा है. प्रधानमंत्री न तो सांसदों की समस्या को समझ पा रहे हैं और न ही सांसद यह समझ पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे क्या चाहते हैं. सच्चाई यह है कि जनता की असल समस्या महंगाई, बेरोज़गारी और मूलभूत सेवाओं की है. सरकार इन समस्याओं का निदान कर दे तो सांसदों को न तो गांवों में जाना होगा और न ही उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की डांट खानी पड़ेगी.

प्रधानमंत्री अपनी सरकार की छवि को लेकर परेशान हैं. प्रधानमंत्री को लगता है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन उसकी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं. प्रधानमंत्री और सांसदों की बीच स्वच्छंद संवाद नहीं होता है. प्रधानमंत्री अधिकारियों और अपने नज़दीकी नेताओं से फीडबैक लेते हैं. इनमें से किसी की भी यह कहने की हिम्मत नहीं है कि सूट-बूट की सरकार और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं की वजह से सरकार की छवि बिगड़ी है. मोदी सरकार के दो साल पूरे होने को हैं लेकिन अभी तक सरकारी नीतियों का ज़मीनी असर होता नहीं दिख रहा है. इस बीच, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने मोदी सरकार के दो साल पूरे होने पर एक सर्वे किया है. इस सर्वे के नतीजे नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक हैं. इस सर्वे के मुताबिक देश के 49 फीसदी लोग यह मानते हैं कि इन दो सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि 15 फीसदी लोगों को लगता है कि पिछले दो सालों में स्थिति पहले से बदतर हो गई है. नरेंद्र मोदी सरकार अब तक यही दावा करती आई है कि एनडीए सरकार देश के गरीबों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है. प्रधानमंत्री अपने भाषणों में हमेशा गरीबों के लिए योजनाओं की घोषणाएं भी करते नज़र आते हैं. लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के सर्वे के मुताबिक 43 फीसदी लोगों को लगता है कि मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं का फायदा देश के गरीबों को नहीं हो रहा है. साथ ही 49 फीसदी लोगों का यह मानना है कि मोदी सरकार के दो सालों में उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है.

इस सर्वे के दौरान लोगों से यह भी पूछा गया कि पिछले दो सालों में मोदी सरकार किन-किन क्षेत्रों में विफल रही है, तो 32 फीसदी लोगों ने बताया कि मोदी सरकार महंगाई पर नियंत्रण नहीं कर पाई. जबकि, 29 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार बेरोज़गारी को खत्म करने में विफल रही है. वहीं, 26 फीसदी लोगों ने कहा कि सरकार कालेधन को वापस लाने में पूरी तरह असफल रही है. इस सर्वे के मुताबिक अधिकांश लोगों ने कहा कि श्रम व रोजगार मंत्रालय, क़ानून मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का कामकाज निराशाजनक है. नोट करने वाली बात यह है कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने यह सर्वे देश के पंद्रह राज्यों में किया है. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज सरकार के लिए काम करने वाली संस्था है. इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल भी नहीं खड़ा किया जा सकता है.

संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तल्खी के साथ चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सरकार के साथ-साथ सांसदों के भी दो साल पूरे होने जा रहे हैं. उन्हें जनता को दो साल का हिसाब-किताब देना है. प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सांसदों को खुद को जनता से जोड़ना ही होगा, तभी पता चलेगा कि पिछली और इस सरकार में क्या फर्क है. यदि अपनी उपलब्धियों को वे जनता के बीच लेकर नहीं जाएंगे तो अगली बार लोग उन्हें अपना समर्थन क्यों देंगे. नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को यह आदेश दिया है कि वे अपने-अपने इलाके में जाकर केंद्र सरकार की सफलताओं का प्रचार-प्रसार करें. आख़िर क्यों नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा?

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कल पार्टी के सांसदों से नाराज़ हैं. नरेंद्र मोदी नाराज़ हैं तो उनके सिपहसालार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी नाराज हैं. सांसदों की हालत ठीक उसी तरह की हो गई है जैसे कोई बच्चा बगैर होमवर्क किए स्कूल पहुंच जाता है. जब तक वह स्कूल में रहता है तब तक वह डरा-सहमा रहता है और अपने टीचर से नजरें बचाने की कोशिश करता है. लेकिन जब क्लास में दोनों का आमना-सामना होता है तब वह टीचर के गुस्से का शिकार हो जाता है. 3 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की क्लास ली. जब प्रधानमंत्री सांसदों से मुखातिब हुए तब वह गुस्से में नज़र आए. उन्होंने सांसदों की जमकर क्लास ली. प्रधानमंत्री के भाषण का लब्बोलुआब यह था कि भाजपा के सांसद न तो लोगों के बीच जाते हैं और न ही कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोई कार्यक्रम करते हैं और न ही केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हैं.

संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तल्खी के साथ चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सरकार के साथ-साथ सांसदों के भी दो साल पूरे होने जा रहे हैं. उन्हें जनता को दो साल का हिसाब-किताब देना है. प्रधानमंत्री ने साफ किया कि सांसदों को खुद को जनता से जोड़ना ही होगा, तभी पता चलेगा कि पिछली और इस सरकार में क्या फर्क है. यदि अपनी उपलब्धियों को वे जनता के बीच लेकर नहीं जाएंगे तो अगली बार लोग उन्हें अपना समर्थन क्यों देंगे. नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को यह आदेश दिया है कि वे अपने-अपने इलाके में जाकर केंद्र सरकार की सफलताओं का प्रचार-प्रसार करें. साथ ही अपनी गतिविधियों से पार्टी को अवगत कराएं. सांसदों के क्रियाकलापों पर पार्टी नज़र रखेगी और उनका अवलोकन भी करेगी. इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद घबराए हुए हैं, अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आख़िर वे क्या करें.

बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की क्लास लेते हुए पूछा कि आप लोग गांवों में जाते हो? आज तक कितनी बार गांवों में गए हो और वहां के परिवेश में रहे हो? प्रधानमंत्री ने पूछा कि आप लोग सरकार की योजनाओं को आम जनता के बीच ले जा रहे हैं या नहीं? यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को कैसे जानकारी होगी? मोदी ने यह भी पूछा कि कितने लोगों ने ऊर्जा उत्सव मनाया? पिछली बार जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी तब सांसदों से यह कहा गया था कि केंद्र सरकार की पहल पर जिन-जिन गावों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है उन सभी गांवों में सांसद जाएंगे और ऊर्जा उत्सव मनाएंगे, ताकि लोगों को पता चल सके कि वर्तमान केंद्र सरकार की वजह से उनके गांवों में बिजली आई है. अब सांसदों की मुसीबत यह

(शेष पृष्ठ 2 पर)

नियमगिरी में बॉक्साइट युद्ध जनता का संघर्ष जारी है | P-3

अगस्टा में बाबस्ता रमन एंड सन | P-4

बिहार की सरकार पर जेएनयूवाद | P-5

काम कम, प्रचार ज़्यादा

पृष्ठ 1 का शेष

है कि वे जब भी गांवों में जाते हैं तो वहां लोग उनसे कहते हैं कि यह काम तो पिछली सरकार के दौरान भी हुआ था. इसमें नई बात क्या है?

संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी पूछा कि आपमें से कितने लोगों को पता है कि मुद्रा योजना के तहत तीन करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा है. प्रधानमंत्री ने इस दौरान जन–धन योजना, गरीबों के लिए मुफ्त गैस मुहैया कराने वाली योजनाओं से संबंधित सवाल भी सांसदों से पूछे. इसके बाद प्रधानमंत्री इसलिए नाराज़ नज़र आए क्योंकि ज्यादातर सांसद केंद्र सरकार की इन योजनाओं के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. सांसदों की समस्या यह है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर उनके पास न तो जानकारी है और न ही कोई डाटा. ऐसे में वे किस तरह लोगों को योजनाओं की सफलता के बारे में बताएं. उज्ज्वला योजना की शुरुआत एक मई को हुई है और सांसदों से पूछा जा रहा है कि लोगों को इस योजना के बारे में बताया गया या नहीं. भारतीय जनता पार्टी के सांसद कनफ्यूज हैं. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करें. एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो सीधे तौर पर आदेश दे रहे हैं कि सभी सांसद अपने–अपने चुनाव क्षेत्र में जाएं और केंद्र सरकार की सफलताओं का प्रचार–प्रसार करें. दूसरी तरफ जनता है जो ऐसे–ऐसे ज़मीनी सवाल पूछ रही है जिनका जवाब सांसदों के पास नहीं है. नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह कौन बताए कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जहां जाते हैं वहां लोग उनसे कालेधन के बारे में पूछते हैं. लोग पूछते हैं कि महंगाई कब कम होगी और लोगों को रोजगार कब मिलेगा.

30 दिसंबर 2015 को भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान सांसदों से यह कहा गया था कि सभी सांसद कम से कम दो संसदीय क्षेत्रों का दौरा करें और सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएं. सांसदों को खासतौर पर दलितों से जुड़ने और दलित बाहुल्य इलाकों में जनसभा करने और दलितों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को प्रचारित करने को कहा गया था. लेकिन कई सांसदों ने प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन नहीं किया. न कोई सभा हुई और न ही दलितों को पार्टी से जोड़ा जा सका. पिछली बार जब प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसदों की क्लास ली थी तब उन्होंने सांसदों को सोशल मीडिया पर सक्रिय होने का आदेश दिया था. लेकिन इसका असर भी सांसदों पर नहीं पड़ा.

प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर इतना जोर देना कई सांसदों की समझ से परे है. कई सांसद इस बात पर हैरान हैं कि सोशल मीडिया पर सांसदों के क्रिया–कलापों को लेकर एक सर्वे भी कराया गया था. किस सांसद के कितने फॉलोवर हैं, वे कितनी और किस तरह की पोस्ट करते हैं और कितने ट्वीट करते हैं. प्रधानमंत्री गुजरात और उत्तर प्रदेश के सांसदों से सबसे ज्यादा नाराज हैं. गुजरात के 26 में से 15 सांसद तो ट्विटर और फेसबुक पर हैं ही नहीं. यदि हैं भी तो उनकी

मौजूदगी शून्य के बराबर है. उत्तर प्रदेश के भी 71 में से सिर्फ 43 सांसद सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन उनकी सक्रियता संतोषजनक नहीं है. इस डिजिटल रिपोर्ट के मुताबिक सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, जनरल वीके सिंह, कलराज मिश्र, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और डॉक्टर महेश शर्मा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले नेता हैं इसलिए इनकी पीठ थपथपाई गई. वहीं सोशल मीडिया पर फिसड्डी होने का मेडल मेनका गांधी, संतोष गंगवार, डॉक्टर राम शंकर कठेरिया, संजीव बालियान, निरंजन ज्योति, निहाल चंद, हरिभाई चौधरी और हंसराज अहीर को मिला. प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर इतना जोर देना यह सवाल पूछने को विवश करता है कि आखिर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं?

देश में पानी को लेकर हाहाकार मचा है. हर तरफ पानी की किल्लत है. ग्रामीण इलाकों को छोड़कर लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं. पीने का पानी भी कई इलाकों में खत्म हो गया है. बांध सूख गए हैं, कुंओं में पानी नहीं है. नहरें सूखी हैं. खेती के लिए पानी नहीं है. पानी के बिना जानवर मर रहे हैं. यहां यह पूछना जरूरी है कि इस भीषण समस्या पर मोदी सरकार ने क्या किया? यह कह देना कि पानी राज्य का विषय है तो यह जिम्मेदारी से भागने वाली बात है. जनता पानी के लिए तरस रही है तो केंद्र सरकार ने किन राज्य सरकारों के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकाला. किन–किन राज्यों की मदद की. किन–किन मुख्यमंत्रियों को पानी के मुद्दे पर प्रोत्साहित किया. यह दलील दी जा सकती है कि यदि बारिश नहीं हुई है तो इसमें सरकारें क्या कर

देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बड़ी आशाओं के साथ समर्थन दिया था. सरकार के पास अभी भी वक्त है कि वह जनता से जुड़ी समस्याओं का निवारण करे, महंगाई और बेरोज़गारी को खत्म करने की पहल करे और मूलभूत सेवाओं में सुधार लाए, वर्ना हर बार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में सांसद स्कूली बच्चों की तरह दुबके बैठे होंगे और प्रधानमंत्री एक गुस्सैल शिक्षक की तरह उन्हें डांटते रहेंगे.

सकती हैं? लेकिन यदि इस दलील को मान भी लिया जाए तो भी एक सवाल बच जाता है. वह यह कि केंद्र सरकार ने मानसून के दौरान पानी को बचाने और रोकने के लिए क्या किया? मौसम वैज्ञानिकों ने यह घोषणा की है कि इस साल अच्छी बारिश होगी. तो क्या केंद्र सरकार का यह दायित्व नहीं है कि पानी को रोकने, नहरों व डैम की मरम्मत करने, नदियों को गहरा करने या अन्य तरीकों से जल संचय करने की राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजना बनाए. क्या मोदी सरकार मनरेगा जैसी योजनाओं का उपयोग जल–संचय की योजनाओं में नहीं कर सकती थी?

सरकार चलाने के दो तरीके होते हैं. पहला, जब सरकार जनता की समस्याओं के मुताबिक योजनाएं बनाएं और जनता की तात्कालिक और दीर्घकालिक समस्याओं का निदान करे, फिर जनता का समर्थन प्राप्त करे. इसमें योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का असर सीधे आम–जनता के जीवन पर पड़ता है. विकास सिर्फ आंकड़ों में नहीं होता, बल्कि इसे लोग अपने जीवन में महसूस भी करते हैं. इस मॉडल में सरकार को ज्यादा मेहनत किए बगैर जनता का समर्थन मिलता है. जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार जब काम करती है तो उसके समर्थन के लिए सरकार को प्रचार–प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरा तरीका यह है कि सरकार अपने हिसाब से योजनाएं बनाए और जनता पर इन्हें थोप दे और यह कहे कि हमने इतना काम किया है, हमें समर्थन दो. इस मॉडल में समस्या यह है कि योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के बावजूद लोग अपने जीवन में जरा से बदलाव का अनुभव नहीं कर पाते. ऐसे में जनता का समर्थन भी नहीं मिलता क्योंकि योजनाओं का असर आम आदमी की जिंदगी पर नहीं पड़ता है. ऐसी स्थिति में सरकारों को जनता तक अपने कामों को पहुंचाने के लिए प्रचार–प्रसार का माध्यम ढूंढना पड़ता है. भारत में सरकार और राजनीति का सीधा रिश्ता आर्थिक–सामाजिक विकास और न्याय से है. जो नेता या पार्टी इस बात को नहीं समझ सकती, वह ज्यादा दिनों तक जनता के दिलो–दिमाग में नहीं रह सकती. मोदी सरकार, सांसद और आम जनता के बीच संवादहीनता का असर सरकार की नीतियों और योजनाओं पर साफ–साफ नज़र आ रहा है.

जनता चाहती कुछ है और सरकार की नीतियां किसी और दिशा में अग्रसर हैं. मोदी सरकार के गठन के दो साल पूरे हो गए हैं. सरकारी योजनाओं की दिशा और दशा दोनों ही जनता की समझ से परे है. यदि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी यह समझती है कि केवल प्रचार–प्रसार से ही जनता का समर्थन प्राप्त किया जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की यह सबसे बड़ी भूल है. यदि सिर्फ प्रचार–प्रसार के बल पर चुनाव जीता जा सकता तो बीजेपी बिहार चुनाव नहीं हारती. मोदी सरकार के अभी तीन साल बाकी हैं और जनता की समस्याओं की सूची बहुत लंबी है, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं गया है.

देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बड़ी आशाओं के साथ समर्थन दिया था. सरकार के पास अभी भी वक्त है कि वह जनता से जुड़ी समस्याओं का निवारण करे, महंगाई और बेरोज़गारी को खत्म करने की पहल करे और मूलभूत सेवाओं में सुधार लाए, वर्ना हर बार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक में सांसद स्कूली बच्चों की तरह दुबके बैठे होंगे और प्रधानमंत्री एक गुस्सैल शिक्षक की तरह उन्हें डांटते रहेंगे. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 11
16 मई–22 मई 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के– 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एन–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

पीएम के लोग

अचानक अफवाह फैलने लगी है कि गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के प्रमुख सचिव के कैलाशनाथन को दिल्ली बुलाया जा सकता है. उन्हें जानने वाले बताते हैं कि गुजरात से बाहर स्थानांतरण को लेकर वह अनिच्छुक हैं. कैलाशनाथन राज्य के उन चुनिंदा बाबुओं में से हैं जिन्होंने तकरीबन एक दशक तक नरेंद्र मोदी के साथ काम किया है और सभी प्रयोजनों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद भी गुजरात में प्रधानमंत्री के आदमी के रूप में बने हुए हैं. मोदी के कई अन्य विश्वासपात्र और सहयोगी पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं. शायद मोदी के पास कैलाशनाथन को लेकर कोई विशेष योजना है. सूत्रों के मुताबिक साल 2014 के आम चुनावों में वह परदे के पीछे मोदी के राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में बहुत उपयोगी साबित हुए थे. अफवाह तो यह भी है कि उन्होंने मोदी के भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामांकन में मदद की थी. हालांकि वह गुजरात में ही रह गए. अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें पीएमओ लाया जा सकता है. क्या उन्हें पीके मिश्रा की जगह लाना संभव होगा? अभी तक यह स्पष्ट नहीं है. नरेंद्र मोदी के गुजरात के एक और विश्वास पात्र नौकरशाह गिरीश मुर्मू हैं जिनके बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है. वर्तमान में वह वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव (व्यय) के पद पर कार्यरत हैं. प्रधानमंत्री से उनकी निकटता के बारे में सब वाकिफ हैं इसलिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अगले निदेशक के रूप में नामित किया जा सकता है. ■

दिल्ली पुलिस और पीएमओ

दिल्ली पुलिस शक्तिशाली प्रधानमंत्री कार्यालय के निशाने पर है. सूत्रों के अनुसार इसका कारण 60 सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों में देरी है. इनकी नियुक्ति बतौर सलाहकार होनी थी जिसे दिल्ली पुलिस ने पिछले साल शुरू किया था, लेकिन अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है. हालांकि यह प्रस्ताव तत्कालीन पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी लेकर आए थे. उनके उत्तराधिकारी आलोक कुमार वर्मा को अब यह सफाई देनी है क्योंकि गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अभी तक नियुक्ति का काम पूरा नहीं किया है. सूत्रों का कहना है कि पीएमओ ने गृह मंत्रालय पर दबाव बनाया और गृह मंत्रालय ने वर्मा पर शिकंजा कस दिया. गृह मंत्रालय के अवर सचिव चित्रा नारायण ने वर्मा को निर्देश दिया है कि इन लोगों की नियुक्ति में देरी न की जाए. ■

महंगा पड़ा कमेंट

एक जाने–माने पूर्व नौकरशाह और लेखक ने ऑड–इवेन को लेकर सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी की. इसे लेकर बवाल मचा. उन्होंने इसे मजाकिया बताया लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी खूब आलोचना हुई और कहा गया कि यह एक पक्षपातपूर्ण कमेंट है, और ये बाबू मोदी सरकार के चहेते हैं. दुर्भाग्य से उन्होंने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जो आजकल उन पत्रकारों के लिए अपमानजनक शब्द है जो सरकार की

आलोचना करते हैं. उनके द्वारा मासूमियत दिखाने का भी विरोधियों के स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. अंत में अपनी रक्षा के लिए उन्होंने चुप रहने का फैसला किया, जो सबसे बेहतर तरीका था. ■

ओड़ीशा : नियमगिरि में बॉक्साइट युद्ध

जनता का संघर्ष जारी है

विभूतिपति

ओड़ीशा माइनिंग कॉर्पोरेशन (ओएमसी) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके नियमगिरि में फिर से ग्रामसभा बुलाने की मांग की थी, ताकि वह वेदांता रिसोर्सेज के साथ मिलकर, डोंगरिया कोंध आदिवासियों को अपने पक्ष में करके पवित्र समझे जाने वाले नियमगिरि की पहाड़ियों में खनन कर सके. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस मांग को खारिज कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ खनन विरोधी सामाजिक कार्यकर्ताओं को नक्सली करार देकर उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है. भालियापदर के दसारु कडकरा को नक्सली बताकर उनकी गिरफ्तारी हालिया घटना है. अब डोंगरिया जनजाति के लोग एक नए संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं. नियमगिरि सुरक्षा समिति के सैकड़ों कार्यकर्ता अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर बेक़सूर दसारु को रिहा करने के लिए सड़क जाम कर रहे हैं. वहीं नियमगिरि से कुछ दूरी पर स्थित कोरापुट जिले में राज्य सरकार ने वेदांता ग्रुप की कंपनी सेसा स्टारलाइट को खनन करने के लिए पूर्वेक्षण (प्रॉस्पेक्टिंग) लाइसेंस दे दिया है. कंपनी को लेटराइट खनन के नाम पर डंगादेवला पहाड़ियों के बॉक्साइट रिज़र्व क्षेत्र की 150 एकड़ ज़मीन दे दी गई है. इस क्षेत्र के लोगों ने ओएमसी के इस खेल के विरोध में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. दरअसल वेदांता की बॉक्साइट हासिल करने की इस कोशिश ने नियमगिरि में बॉक्साइट युद्ध की शुरुआत कर दी है.

ओड़ीशा के कालाहांडी जिले के लांजीगढ़ में राज्य सरकार ने बॉक्साइट की कमी से जूझ रहे वेदांता ग्रुप के साथ मिलकर आदिवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. यहां दांव पर है वेदांता का लांजीगढ़ स्थित एल्युमिना रिफाइनरी प्लांट, जिसमें बतौर कच्चा इस्तेमाल होने वाले बॉक्साइट की कमी हो गई है. जैसे-जैसे यह लड़ाई अपने अंजाम की तरफ अग्रसर हो रही है, वेदांता रिसोर्सेज, पीएलसी और ओड़ीशा सरकार साथ मिलकर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं. दरअसल इसमें कानूनी दांव-पेंच के साथ-साथ स्थानीय गुंडों का भी सहारा लिया जा रहा है.

राज्य सरकार और वेदांता की रणनीति दो आयामी है. पहली यह कि ओएमसी ने इसी साल सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वह नियमगिरि में ग्रामसभा की बैठक दोबारा बुलाने का आदेश दे. जिसका मकसद है नियमगिरि में खनन के लिए पुनः ग्रामसभा की राय ली जाए. हालांकि यह अपील खारिज हो गई है. 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बुलाई गई ग्रामसभा ने खनन के विरोध में अपनी स्पष्ट राय दी थी. अब वेदांता और ओड़ीशा सरकार को ऐसा लगता है कि नियमगिरि में खनन को लेकर लोगों का मत बदल चुका है. पिछले दो वर्षों से इस मामले में छल-कपट से काम लिया जा रहा है. नियमगिरि में खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी (क्लियरेंस) आसानी से हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि बॉक्साइट के भंडार को लेटराइट का भंडार बता दिया जाए. और इसकी शुरुआत भी हो गई है. इससे केंद्र सरकार से पर्यावरण मंजूरी मिलने में आसानी हो जाएगी.

वेदांता की बॉक्साइट की मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने वेदांता समूह की कंपनी सेसा स्टरलाइट को डंगादेवला पहाड़ियों में लेटराइट खनन के लिए पूर्वेक्षण (प्रॉस्पेक्टिंग) लाइसेंस 2014 में ही दे दिया था. इसकी समयावधि दो वर्षों की है. यदि इस समयावधि में सेसा स्टरलाइट यहां लेटराइट की खोज में कामयाब हो गई तो उसे इस ज़मीन की लीज 20 साल के लिए मिल जाएगी. चूंकि लेटराइट उतना महत्वपूर्ण अवस्क नहीं है, इसलिए राज्य सरकार भी इसका लाइसेंस दे सकती है. लेकिन यदि बॉक्साइट की मात्रा अधिक पाई गई तो सेसा स्टरलाइट को बॉक्साइट खनन की लीज हासिल करनी पड़ेगी. और नीलामी की मौजूदा प्रक्रिया को देखते हुए यह यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता है कि वेदांता या ओएमसी में से किसी के लिए भी लीज हासिल कर पाना आसान होगा.

रिटायर्ड चीफ इंजीनियर नरसिंह पाणिग्रही कहते हैं कि डंगादेवला में बॉक्साइट के खनन से कोरापुट शहर और उसके आसपास के इलाकों के साथ-साथ ऊपरी कोलाब जलाशय के पर्यावरण को जबरदस्त हानि पहुंचेगी. ऐसा माना जा रहा है कि बॉक्साइट खनन की वजह से इस जलाशय में सिल्टेशन (तलछट) की प्रक्रिया और तेज़ हो जाएगी. कोलाब जलाशय से जयपुर और कोरापुट शहरों को पीने का पानी मिलता है. इसके साथ पूरे दक्षिण पश्चिम ओड़ीशा को सिंचाई का पानी और बिजली इसी जलाशय की वजह से उपलब्ध होता है. ऐतिहासिक स्मारकों जैसे

डोंगरिया आदिवासी आज अपने जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि तलाशी अभियान के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. उनमें से कुछ फर्जी एनकाउंटर में मारे गए हैं, कुछ जेलों में बंद हैं. जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें बेशक रिहा कर दिया जाएगा लेकिन कब यह नहीं मालूम. लोक शक्ति अभियान के प्रफुल्ल सामंतारो कहते हैं कि नियमगिरि में पुलिस का दमन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. जो बेगुनाह आदिवासी वेदांता कंपनी का विरोध कर रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है या माओवादी गतिविधियों में लिप्त बताकर उन्हें जेल में डाला जा रहा है.

कि केचला जैनपीठ, श्री जगन्नाथ मंदिर, कोरापुट और दुमुरिपुट के हनुमान मंदिर को भी प्रदूषण की वजह से नुकसान पहुंचने की आशंका है. डंगादेवला के आसपास के गांवों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस पहाड़ी से कई जल धाराएं निकलती हैं जिनके भी सूखने की आशंका है. नतीजतन उन्हें पीने और सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा.

लिहाजा, इस पहाड़ी के करीब बसे 10 गांवों के लोग ओएमसी और सेसा स्टरलाइट द्वारा इस साईट का सर्वेक्षण किए जाने का विरोध कर रहे हैं और वहां तक जाने वाले रास्तों पर अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं. इन ग्रामीणों ने मलिमुंडा-कनई हिल सुरक्षा समिति (एमकेएचएसएस) गठित की है. क्योंकि डंगादेवला की पहाड़ी मलिमुंडा और कन्हई पहाड़ियों के बीच स्थित है. बहरहाल, 14 अन्य गांवों के आदिवासी संगठनों ने इस संघर्ष में साथ देने का फैसला किया है. उनका कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे प्रशासन के ख़िलाफ धरने पर बैठेंगे.

लेटराइट खनन के लिए दिए गए पूर्वेक्षण लाइसेंस में कई त्रुटियां हैं. कभी-कभी लेटराइट में 25 से 35 प्रतिशत तक बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है, लेकिन यदि यहां इतनी मात्रा में भी बॉक्साइट मिलता है तो भी वह एल्युमिना रिफाइनरी के लिए पर्याप्त नहीं होगा, तो फिर ओड़ीशा सरकार के पास इसका क्या समाधान है? क्या यह बॉक्साइट खनन की लीज है जिसे लेटराइट खनन की लीज के नाम पर दिया गया है? राज्य के इस्पात और खनन मंत्री प्रफुल्ल मल्लिक कहते हैं कि अब हमारे सामने डंगदेउला के खनन की कोई योजना नहीं है और लोग जिस तरह से शिकायतें कर रहे हैं वो बेबुनियाद हैं. मौजूदा खनन नीति के मुताबिक नीलामी से खदान पाए बगैर कोई खनन नहीं कर सकता. एक फायदेमंद कंपनी के रूप में बॉक्साइड पाने के लिए वेदांता की छटपटाहट तो समझ में आती है लेकिन राज्य सरकार अपने दायरे से बाहर जाकर एक निजी कंपनी को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए इस तरह के गलत हथकंडे क्यों अपना रही है, यह बात न केवल समझ से परे है बल्कि आसानी से हजम भी नहीं हो रही है.

वेदांता की मुश्किलें

लांजीगढ़ स्थित वेदांता रिफाइनरी को हर साल 10 लाख टन एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए 30 लाख टन बॉक्साइट की आवश्यकता होती है. फिलहाल कंपनी के पास किसी कैप्टिव बॉक्साइट माइन (खदान) की कोई लीज नहीं है. लिहाज़ा यह रिफाइनरी कच्चे माल के लिए पूरी तरह से बाहरी आपूर्ति पर निर्भर है. ओड़ीशा में बॉक्साइट के उचित स्रोतों के आभाव में यह रिफाइनरी अपनी बॉक्साइट की मांग की पूर्ति छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और न्यू गिनी से आयातित बॉक्साइट से करती है. वेदांता की नियमगिरि पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन की योजना पर उस समय विराम लग गया था जब डोंगरिया कोंध जनजाति के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया था. यहां मान्यता है कि नियमगिरि उनके देवता नियम राजा का निवास स्थान है. अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस खनन परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की ग्रामसभाओं से राय लेकर ही कोई फैसला लेने के लिए कहा था. जुलाई-अगस्त 2013 में इस क्षेत्र की सभी 12 ग्रामसभाओं ने खनन लीज के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था, जिसने इस परियोजना का भविष्य तय कर दिया था.

ग्रामसभाओं के इंकार के बाद वेदांता ने 33 बार वैकल्पिक बॉक्साइट भंडारों की लीज के लिए आवेदन दिया, लेकिन उसका एक भी आवेदन स्वीकार नहीं हुआ. जहां तक नियमगिरि में खनन का सवाल है तो इसके लिए उसे स्थानीय लोगों और सिविल राईट्स कार्यकर्ताओं के जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना है. यहां पर्यावरण विनियमन भी एक बड़े बाधक की भूमिका में है. कंपनी लांजीगढ़ स्थित यूनिट को बंद करने की बात कहकर राज्य सरकार पर दबाव डाल रही है. इस यूनिट की वजह यहां पर राज्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दस हज़ार लोगों को रोज़गार मिला है. यदि रिफाइनरी को बंद करने की नौबत आई तो इसके कर्मचारी कर्मचारी धरना-प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे.

वेदांता ने 5 दिसंबर 2012 को बॉक्साइट आपूर्ति की कमी के कारण अस्थाई रूप से अपनी इस यूनिटो को बंद किया था लेकिन फिर जुलाई 2013 में यहां उत्पादन एक बार फिर शुरू हो गया. अगस्त 2015 में एक बार फिर कंपनी ने उत्पादन बंद करने की धमकी दी. सावधानीपूर्वक दिए गए एक बयान में कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफीसर केके दवे ने कहा कि हमने तमाम परेशानियों के बावजूद एक दशक तक इस यूनिट को चलाया, लेकिन बाज़ार की मौजूदा गिरावट (बॉक्साइट की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट) और राज्य से बॉक्साइट नहीं मिलने की वजह से यह यूनिट प्रति दिन तीन करोड़ रुपये के घाटे के साथ चल रही है. लिहाज़ा हम इसे चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए बाध्य हैं. बहरहाल इस घोषणा के कुछ ही सप्ताह बाद कंपनी ने राज्य सरकार पर एक बार फिर अपना विश्वास जताया है कि वह बॉक्साइट आपूर्ति में उनकी सहायता करेगी और लांजीगढ़ रिफाइनरी बंद नहीं होगी.

वेदांता ने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा

कच्चे माल की कमी और मौजूदा संकट वेदांता ने खुद पैदा किया है. शुरूआत में सारी चीजें कंपनी के पक्ष में थीं. राज्य सरकार इतने बड़े और इतने प्रभावशाली निवेशक को खुश करने के लिए तत्पर थी. कंपनी को यह भी मालूम था कि भारतीय नौकरशाही के बीच अपनी पैठ कैसे बनाई जाती है. लेकिन वह तार्किक तरीके से आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर कोई भी यह कह सकता है एल्युमीनियम उत्पादन की श्रृंखला में सबसे पहले बॉक्साइट खदानों की लीज हासिल करके कच्चे माल की व्यवस्था करनी होती है. इसके बाद रिफाइनरी और स्मेल्टिंग प्लांट स्थापित किए जाते हैं.

लेकिन वेदांता ने ओड़ीशा में अपनी शुरुआत वर्ष 1997 में झारसुगड़ा के समीप भुरकामुंडा में स्मेल्टिंग प्लांट स्थापित करने की कोशिश करके की थी. उस समय उसे बॉक्साइट खनन और एल्युमीनियम रिफाइनरी स्थापित करने की मंजूरी नहीं मिली थी. उसके बाद लांजीगढ़ में एल्युमिना रिफाइनरी की स्थापना के लिए निवेश की बारी आई. कंपनी की पहुंच और रसूख का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओड़ीशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पर्यावरण मंजूरी मिलने के पहले ही प्लांट का शिलान्यास कर दिया था. उस मौके पर जब पत्रकारों ने बॉक्साइट के स्रोत के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तब उन्हें सख्ती से कहा गया कि हमें बॉक्साइट की आवश्यकता नहीं है. इन सभी तथ्यों से यह साबित होता है कि कंपनी के संचालक यह सोच रहे थे कि यदि एक बार स्मेल्टर प्लांट स्थापित हो गया तो उन्हें रिफाइनरी और खनन लीज भी मिल ही जाएगी. वेदांता इसमें कामयाब भी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न कर दिया. और अब जब वेदांता यह दावा करती है कि उसने ओड़ीशा में स्मेल्टर प्लांट, थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट और एल्युमिना रिफाइनरी पर 50 हज़ार करोड़ रुपये का निवेश किया और अब उसे अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ा है तो उसके ये दावे खोखले साबित होते हैं.

संघर्ष जारी है

डोंगरिया आदिवासी आज अपने जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि तलाशी अभियान के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है. उनमें से कुछ फर्जी एनकाउंटर में मारे गए हैं, कुछ जेलों में बंद हैं. जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें बेशक रिहा कर दिया जाएगा लेकिन कब यह नहीं मालूम. लोक शक्ति अभियान के प्रफुल्ल सामंतारो कहते हैं कि नियमगिरि में पुलिस का दमन दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. जो बेगुनाह आदिवासी वेदांता कंपनी का विरोध कर रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है या माओवादी गतिविधियों में लिप्त बताकर उन्हें जेल में डाला जा रहा है. सामंतारो आगे कहते हैं कि जब भी मैं आदिवासियों और उनके समर्थकों से मिलने भवानीपटना, कोरापुट, रायगड़ा जैसे शहरों में जाता हूं तब कंपनी के किराए के गुंडे आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

हेलिकॉप्टर के चक्कर में छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी चक्करघिन्नी

अगस्टा में बाबस्ता रमन एंड सन

रूपेश गुप्ता

यह राजनीति की सबसे बड़ी विद्रूपता है कि भाजपा अपने जिस मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा ईमानदार बताती थी वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दस साल बाद भ्रष्टाचार के सबसे बड़े आरोपों के बीच फंसे हैं. न सिर्फ रमन सिंह फंसे हैं बल्कि उनके बेटे अभिषेक सिंह पर विदेशी बैंक में काला धन रखने का गंभीर आरोप है. इससे पहले रमन सिंह की पिछले साल पीडीएस घोटाले में चौतरफा फज़ीहत हुई थी.

अगस्टा हेलिकॉप्टर डील में जब भाजपा ने सोनिया गांधी को घेरा तो जवाब में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार पर अगस्टा डील में घोटाले का आरोप लगाया. कैग ने 2011 की अपनी रिपोर्ट में अगस्टा-ए 109 की खरीद पर दोतरफा आपत्ति जताई थी. पहली आपत्ति इसकी खरीद के फैसले में हुई देरी को लेकर उठाई, जिससे शासन को 65 लाख का नुकसान हुआ दूसरी आपत्ति एक खास किस्म एवं मॉडल के हेलीकॉप्टर के लिए निविदा बुलाने पर सवाल उठाए. प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि दोनों ही अनियमितता कमीशन की खातिर की गई.

हालांकि भाजपा ने दिल्ली में प्रेस क्रॉन्फ्रेंस करके इस मामले में रमन सिंह को क्लीन चिट दे दी. भाजपा का कहना है कि लोकलेखा समिति ने अपनी जांच बंद कर दी इसलिए रमन सिंह निर्दोष हैं. लेकिन इस दलील को सामाजिक कार्यकर्ता डॉ अजीत आनंद डेवलेकर ने सिरे से खारिज कर दिया. उनका कहना है कि जिस पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच हो रही हो उसके विधायक उनके खिलाफ क्या जांच करेंगे.

इस मामले में देश के दोनों ही दल एक दूसरे के नेताओं को घेरे हुए हैं इसलिए मामला किसी अंजाम तक पहुंचेगा इसके आसार कम नज़र आते हैं. लेकिन रमन सिंह के लिए असली मुसीबत है काले धन के आरोप. पनामा लीक्स मामले को उजागर करने वाली खोजी पत्रकारों की दुनिया की सबसे बड़ी संस्था इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने पनामा लीक से पहले काला धन विदेश में रखने वालों की जो सूची जारी की थी उसमें मुख्यमंत्री के पते पर अभिषेक सिंह के नाम से ऑफशोर एकाउंट दिखाया गया था. विपक्ष का आरोप है कि अभिषेक सिंह ही रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह है. सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इस मामले में ट्वीट करके सनसनी फैला दी. अभिषेक सिंह ने इस ट्वीट का जवाब दिया. उन्होंने किसी विदेशी एकाउंट की बात को सिरे से खारिज कर दिया. अभिषेक ने अपने ट्वीट में कहा कि उनकी सारी कमाई और संपत्ति कानूनी तरीके अर्जित की गई है.

इसके बाद मामला ठंडा रहा, लेकिन जब आईसीआईजे ने दोबारा पनामा लीक का खुलासा किया तो फिर से मामला गर्मा गया. कांग्रेस के साथ प्रशांत भूषण और आप ने यह सवाल उठाया कि क्या मोदी जी इस पर कार्रवाई करेंगे. सरकार अब तक इस मामले में जवाब से बचती रही है. दरअसल इस लिस्ट में अभिषेक सिंह का कवर्धा का जो पता है वही पता मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह ने चुनावी शपथ-पत्र में दिया है. तो क्या अभिषेक सिंह ही अभिषेक सिंह है? अगर हां तो क्या उन्होंने विदेश में पैसा लगाया. ये पैसा कहां का था और किस रूट से कहां गया? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब न तो रमन सिंह खुद दे रहे हैं न ही उनकी पार्टी.

चर्चा यहां तक है कि इस मसले के सामने आने के बाद जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से इस पर सवाल पूछा गया तो डीपीआर ने अगले दिन चैनल के मालिक को फोन करके पत्रकार को बैठा दिया. बाद में किसी तरह बातचीत और सुलह करके पत्रकार वापस काम पर लौटा.

आईसीआईजे की वेबसाइट के मुताबिक अभिषेक सिंह क्वेस्ट हाईट्स लिमिटेड के शेयर होल्डर और शेयर कॉर्प लिमिटेड के नॉमिनी शेयर होल्डर हैं. क्वेस्ट हाईट्स लिमिटेड का पता टैक्स चोरी का स्वर्ग माने जाने वाला ब्रिटिश वर्जीनिया आईलैंड है. यहां कंपनी खुलवाने के लिए किसी दस्तावेज़ की जरूरत नहीं होती. विधानसभा में कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव का कहना है कि अभिषेक सिंह को साफ करना चाहिए कि आखिर उन्होंने एक कंपनी ऐसी जगह क्यों खोली जहां कंपनी खोलना बेहद संदिग्ध है? इसके लिए पूंजी कहां से आई?

आर्थिक मामलों में कर चोरी के खिलाफ काम करने वाले जानकार मानते हैं कि आमतौर पर इस तरह के तरीके बिजनेस हाउसेज़ और राजनेता अपने काले धन को सफेद बनाने के लिए अपनाते हैं. सबसे पहले वे पनामा या ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड जैसी किसी ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां कंपनी खोलने के लिए कागज़ी कार्रवाई नहीं होती. फिर इस कंपनी के माध्यम से अलग अलग देशों में बैंक अकाउंट खोलकर पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है. एक एकाउंट मॉरिशस जैसे देश में खोला जाता है जहां से भारत का करार है और निवेश बिना किसी रोकटोक के हो सकता है. हालांकि अभिषेक सिंह के एकाउंट के बारे में पुख्ता तौर पर दावा नहीं किया जा सकता लेकिन वर्जिन आईलैंड में निवेश इस बात का शक पैदा करता है.

सबसे अहम है कि पनामा से पहले आईसीआईजे के जिस ऑफशोर एकाउंट की लिस्ट में अभिषेक सिंह का नाम है उसकी विश्वसनीयता कई देशों में प्रमाणित हुई है और कई देशों में इस पर बड़ी कार्रवाईयां हुई हैं. आईसीआईजे दुनिया में खोजी पत्रकारों की ऐसी जमात है जो सीमापार अपराधों और टैक्स चोरी के खिलाफ काम कर रहा है. दुनिया के 65 से ज़्यादा देशों के करीब 370 से ज़्यादा पत्रकार ऐसी जानकारियों पर काम करते हैं. इस संस्था ने सुर्खियां तब बटोरीं जब उसने स्विटजरलैंड एचएसबीसी में काले धन-धारकों के नामों का खुलासा किया. इस लिस्ट को हर्व फाल्सीआनी ने जेनेवा में एचएसबीसी में कंप्यूटर एक्सपर्ट के रूप में काम करते हुए हासिल किया. इस लिस्ट को जब आईसीआइजे ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया. यूरोप के कई देशों में इसके आधार पर कार्रवाईयां हुईं. करोड़ों-अरबों के टैक्स खाताधारकों से वसूल किए गए.

यह सवाल भी प्रासंगिक है कि क्या अभिषेक सिंह का नाम एचएसबीसी लिस्ट में है या फिर कोई दूसरी लिस्ट है. गौरतलब है कि ब्रिटिश वर्जिनिया आइलैंड में अभिषेक की कंपनी 2008 में लिस्टेड हुई, जिस समय के एचएसबीसी के रिकॉर्ड हैं. इस लिस्ट में एक और नाम छत्तीसगढ़ के व्यवसायी कमल शारडा का है. उनका निवेश भी ब्रिटिश वर्जीनिया आइलैंड में उसी समय हुआ जब अभिषेक सिंह का हुआ. छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में कमल शरडा और रमन सिंह के संबंधी की खूब चर्चा होती है. इन दोनों खातों का कोई संबंध है या नहीं यह जांच का विषय है. लेकिन एक सवाल जो कांग्रेस और प्रशांत भूषण भी उठा रहे हैं कि जब आईसीआईजे के पनामा खुलासे पर जांच हो रही है तो अभिषेक सिंह की क्यों नहीं? विदेशी खातों को लेकर जो घमासान मचा है उसमे आगे क्या होना है कहना मुश्किल है. ■

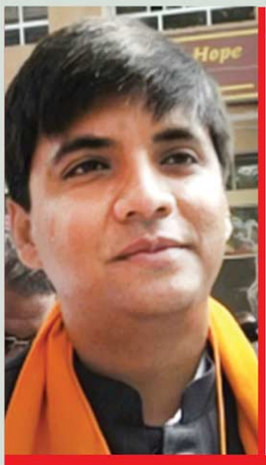

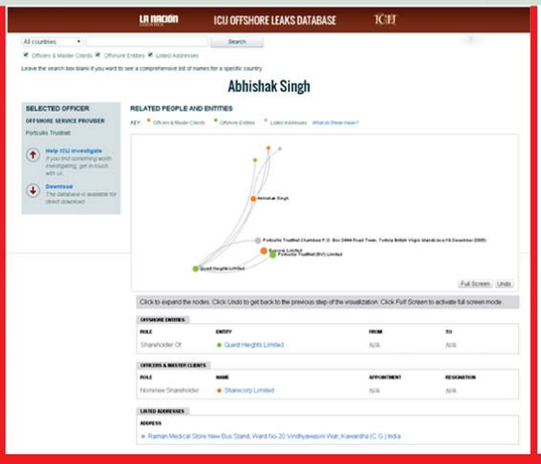

उड़ा नहीं पर ठीकरा फोड़ गया

सुबीता सिंह

अगस्टा मामले में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है तो राजस्थान में कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है. कांग्रेस मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अगस्टा मामले में घसीटकर सियासत में घी डाल रही है. कैग की की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2005 में राजस्थान सरकार ने अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदकर जनता के 1.14 करोड़ रुपये का नुकसान किया था. अगस्टा से जो हेलिकॉप्टर खरीदा गया था वह स्टेट हैंगर में रखा-रखा कबाड़ में बदल रहा है. राज्य सरकार ने इस हेलीकॉप्टर की खरीद 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अनुमोदन के बाद की थी. अब इस मामले में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. वर्ष 2011 से खड़े इस हेलिकॉप्टर के रखरखाव पर ही सालाना डेढ़ लाख रुपये का खर्च आ रहा है. वहीं इसकी देखरेख में लगे कर्मचारियों का वेतन अलग से है. सरकार अगस्टा की बिक्री पर कोई निर्णय नहीं ले सकी है. सिविल एविएशन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर इस हेलिकॉप्टर की की जल्दी नीलामी नहीं होती है तो वह एक करोड़ रुपये में भी नहीं बिकेगा.

20 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी हेलिकॉप्टर पर सवार थे, तब यह चुरू की चांद कोठी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हेलीकॉप्टर के पंखे टूटने के कारण उसकी एक गांव में आपात लैंडिंग करानी पड़ी थी. मामले की जांच भारत सरकार के महानिदेशक नगर एवं विमानन की तरफ से की गई थी. साथ ही राजस्थान सरकार ने भी इस दुर्घटना की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया था. बाद में इस मामले की कोई जांच सार्वजनिक नहीं की गई. वर्ष 2011 में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अगस्टा हेलिकॉप्टर के रखरखाव पर सालाना डेढ़ लाख रुपये का खर्च आ रहा है. वहीं इसकी देखरेख में लगे कर्मचारियों का वेतन अलग से है. छह साल से गोदाम में खड़ा अगस्टा हेलिकॉप्टर धीरे-धीरे कबाड़ में बदल रहा है. हालांकि इसे खराब होने से बचाने के लिए हर साल केमिकल की कोटिंग कराते हैं, लेकिन यह कोटिंग भी ज्यादा समय तक नहीं चलेगी. राज्य सरकार ने अगस्टा की नीलामी के लिए इसकी कीमत 12.40 करोड़ रुपये रखी है. सिविल एविएशन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि वर्ष 2011 में जब यह हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अगर उस समय टूटी ब्लेड को रिपेयर करा लिया गया होता तो केवल डेढ़ करोड़ रुपये ही खर्च होते, लेकिन अब इस पर साढ़े तीन से चार करोड़ रुपये का खर्चा बताया जा रहा है.

प्रदेश के हवाई बेड़े में अगस्टा हेलिकॉप्टर को शामिल करने के लिए हुई खरीद में लापरवाही की जांच में जनलेखा समिति ने हेलिकॉप्टर खरीद के भारी व्यय से पहले योजना, मानव शक्ति और आधारभूत ढांचे में कमी से राज्य सरकार को हुए 1.14 करोड़ रुपये के नुकसान की वसूली दोषी अधिकारियों से करने की सिफारिश की थी. लेकिन कोई वसूली नहीं हुई. 13 मई, 2013 को गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में महालेखाकार की टिप्पणी का जिक्र करते हुए इसे खाल तौर पर उल्लेखित किया था. जनलेखा समिति की जांच का दायरा केवल अधिकारियों तक सीमित है, मुख्यमंत्री या मंत्रियों के खिलाफ जांच करने का उसे अधिकार नहीं है. मालूम रहे कि राजस्थान सरकार ने वसुंधरा राजे के पिछले कार्यकाल में महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से हेलिकॉप्टर खरीदा था. कांग्रेस भाजपा सरकार को इस आरोप पर घेरने की कोशिश कर रही है अगस्टा हेलिकॉप्टर डील में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद मोदी सरकार ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. ■

कन्हैया के स्वागत में बिछ गए नीतीश और लालू जैसे महारथी

बिहार की सरकार पर जेएनयूवाद

सरोज सिंह

जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष और हाल के महीनों में नरेन्द्र मोदी सरकार की भगवा–नीति के विरोध के प्रतीक बनकर उभरे या उभारे गए कन्हैया कुमार का दो दिवसीय पटना प्रवास सूबे की राजनीति में हलचल का बड़ा कारण बन गया. सत्तारूढ़ महागठबंधन ने कन्हैया को वीर नायक जैसा स्वागत–सम्मान दिया. कन्हैया को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी उत्साह में है लेकिन उसके महास्वागत से थोड़ा भ्रम में भी है. विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए के घटक दलों ने राज्य सरकार के इस स्वागतोत्साही–रुख की कड़ी निंदा की. भाजपा सहित उसके तमाम सहयोगी दलों ने कन्हैया को रेड–कारपेट आवभगत देने को देशद्रोह के एक आरोपित को ऐसा सत्कार देने के लिए महागठबंधन की कड़ी आलोचना की. कन्हैया ने अपने पटना प्रवास के दौरान यहां शहीदों और राष्ट्र–नायकों की प्रतिमा पर अपना सिर तो झुकाया ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके छोटे पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी से सद्भाव–भेंट भी की. इन सभी से बिहार के हालात के साथ–साथ देश की मौजूदा व्यवस्था पर भी बातचीत की. मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो से उनकी मुलाकात बंद कमरे में हुई. इतना ही नहीं, कन्हैया ने राजद सुप्रीमो के चरण स्पर्श भी किए और भावी राजनीति के संदर्भ में उनसे गुर भी लिए. लालू प्रसाद ने कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप लगाने वाली केंद्र सरकार को तो निशाने पर लिया ही, साथ ही यह भी कहा कि वह बिहार का बेटा है और बिहारी कभी देशद्रोही नहीं हो सकता. बदले में कन्हैया ने लालू प्रसाद की राजनीति की तारीफ की. कन्हैया की मुलाक़ात को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा, कन्हैया भी खामोश ही रहे. जेनयू छात्र संघ के अध्यक्ष ने पटना में छात्र–नौजवानों की एक सभा को भी संबोधित किया और देशभक्ति – राष्ट्रभक्ति को लेकर अपना रुख साफ किया. पर, यह दौरा विवादों में भी फंसा रहा. कन्हैया कुमार की एक मई को आयोजित सभा में उन्हें काला झंडा दिखाने के आरोपी दो युवकों की पिटाई को लेकर काफी चर्चा तो हुई ही, शराब कारोबारी विनोद जायसवाल के साथ होने की वजह से उनकी काफी निंदा की गई.

लेकिन सबसे अधिक चर्चा रही शराबखोरी को लेकर उनके बयान की. कन्हैया ने शराबबंदी का तो स्वागत किया, पर शराबखोरी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार मानकर किसी भी व्यक्ति के ऐसे व्यक्तिगत अधिकार पर रोक को न्यायसंगत नहीं बताया. उनके इस बयान ने जद (यू) को ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी अप्रसन्न कर दिया. इसके बाद नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा कि शराब–खोरी मौलिक अधिकार नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर इसकी छूट नहीं दी जा सकती. हालांकि कन्हैया की यात्रा में जद (यू) प्रवक्ता और नीतीश कुमार के खास के तौर पर चर्चित नीरज कुमार उनके साथ रहे. पर, शराब को लेकर उनके बयान के बाद जद (यू) ने खुद को उनसे अलग कर लिया. इस लिहाज से शराब के कारण उन्हें हानि ही उठानी पड़ी. अब देखना है, कन्हैया कुमार इस क्षति की भरपाई कैसे करते हैं. हालांकि मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में कन्हैया से जद (यू) खुद को किस हद तक और कितना अलग करता है, यह भी देखने की बात है. पटना के राजनीतिक गलियारे में यह सवाल सरगर्म है कि कन्हैया का यह स्वागत सत्कार क्यों? इस सवाल का जवाब आसान नहीं तो बहुत कठिन भी नहीं है.

वस्तुतः कन्हैया को साथ लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेता, विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कई मोर्चे को साधना चाहते हैं. कन्हैया जहां जाते हैं, युवा समुदाय की बड़ी जमात उनके साथ जुड़ रही है. वह अपने संबोधनों में केंद्र सरकार की कई विफलताओं की चर्चा करते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की कमजोरियों को तो निशाने पर वह लेते ही हैं, रोजगार उपलब्ध कराने में एनडीए सरकार की विफलताओं पर भी हमला करते हैं.

वस्तुतः कन्हैया को साथ लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन के नेता, विशेषकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद कई मोर्चे को साधना चाहते हैं. कन्हैया जहां जाते हैं, युवा समुदाय की बड़ी जमात उनके साथ जुड़ रही है. वह अपने संबोधनों में केंद्र सरकार की कई विफलताओं की चर्चा करते हैं. शिक्षा के क्षेत्र में मोदी सरकार की कमजोरियों को तो निशाने पर वह लेते ही हैं, रोजगार उपलब्ध कराने में एनडीए सरकार की विफलताओं पर भी हमला करते हैं. उच्च शिक्षण संस्थाओं के भगवाकरण की नीति को भी बार–बार चर्चा के केंद्र में लेकर विश्वविद्यालयों की स्वायतता पर हमले और शिक्षा के बजट में कटौती पर भी सवाल उठाते हैं. यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश के युवा वोटरों में अब भी काफी लोकप्रिय हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि इस समुदाय की वह पहली पसंद हैं. कन्हैया मोदी के इस आभा मंडल को क्षत–विक्षत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिल रही है. ऐसे में छात्र–युवा समुदाय में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर पुनर्विचार का माहौल बन रहा है और कन्हैया इसे गति देने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा विरोधी राजनीति कन्हैया की इस कोशिश का अपने तरीके से लाभ हासिल करने की भरसक चेष्टा कर रही है. जद (यू) ही नहीं, नीतीश कुमार के दिल्ली अभियान के समर्थकों को भी इससे ताकत मिलने की उम्मीद दिखती है. बिहार में इस तरह के स्वागत–सत्कार का एक पक्ष कन्हैया कुमार की सामाजिक पृष्ठभूमि भी है. कन्हैया बिहार के बेगूसराय जिले के हैं. सूबे की जिस सामाजिक जमात से वह आते हैं, वह कभी लालू प्रसाद की राजनीति का समर्थक नहीं रही है. पिछले कई दशकों से लालू प्रसाद की राजनीति के विरोध में वह खड़ी रही है. यह सामाजिक समूह कुछ साल पहले तक राजनीतिक कारणों से राजद सुप्रीमो के विरोध और नीतीश कुमार के समर्थन में था. लेकिन पिछले संसदीय और विधानसभा चुनावों में यह सामाजिक समूह नीतीश कुमार से पूरी तरह छिटक गया. फिलहाल यह समूह भाजपा और इस नाते एनडीए के साथ खड़ा दिख रहा है. राष्ट्रीय राजनीति के ख्याल से कन्हैया के समर्थन का जो भी कारण हो, पर बिहार में यह उस विशेष सामाजिक समूह के कटु महागठबंधन विरोधी मानस को मुलायम करने की राजनीतिक पहल हो सकती है. यह कहना कठिन है कि इस कोशिश में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को कितनी सफलता मिलेगी. पर, राजनीति तो उम्मीद की बदौलत ही की जाती है. फिर ऐसा करने में क्या परेशानी है!

कन्हैया कुमार वाम राजनीति के अंग हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन से जुड़े हैं. उनकी इस यात्रा ने भाकपा को काफी उत्साहित कर रखा था. भाकपा के अलावा अन्य वाम दलों के छात्र–युवा संगठन भी इसे सफल बनाने में लगे रहे. कन्हैया की सभा व अन्य कार्यक्रमों में लगभग सभी वाम दलों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही. वस्तुतः बिहार में वाम राजनीति जड़ता के दौर से गुजर रही है. पिछले कई चुनावों में बिहार में उसकी स्थिति निरन्तर कमजोर होती रही है. पिछले कई दशकों से सूबे की वाम राजनीति किसी के सहारे ही चलती रही है. बिहार में वाम राजनीति का बड़ा धड़ा भाकपा कभी कांग्रेस के साथ थी. फिर, मंडल राजनीति के उग्र दौर में भाकपा के साथ–साथ माकपा भी लालू प्रसाद के साथ हो गई. इन दोनों वाम दलों के लिए हालात कतई सम्मानजनक नहीं रह गए थे. सामाजिक न्याय के नाम पर उत्पन्न राजनीतिक आंदोलन के उस दौर में भी भाकपा (मा.ले.) ऐसे किसी मंडलवादी राजनेता से अलग रही. पर सामाजिक समूहों की उत्कट गोलबंदी के कारण भाकपा, माकपा के साथ उसकी भी हालत खराब होती चली गई. इस अधोगति से उबरने के ख्याल से पिछले विधानसभा चुनावों में बिहार के वाम दलों ने मध्यमार्गी पार्टी, विशेष तौर पर कांग्रेस के साथ–साथ राजद और जद (यू) से दूरी बना ली. सूबे के संसदीय इतिहास में पहली बार छह वाम दलों ने अपना अलग, ढीला–ढाला ही, मोर्चा बनाया. मोर्चे के बावजूद भाकपा और माकपा सहित पांच वाम दलों को कोई सफलता तो नहीं मिली, पर भाकपा (मा.ले.) को तीन सीटें मिलीं. इसके बावजूद इस बार के विधानसभा चुनावों में वामदलों की स्थिति पहले के बनिस्बत बेहतर रही. विधानसभा चुनावों में यह बात तो स्पष्ट हुई कि वामदलों के एकजुट अभियान–आंदोलन इसकी वापसी के आधार बन सकते हैं. हालांकि ऐसा कोई अभियान होता दिख नहीं रहा है. ऐसे में कन्हैया की मदद से वाम दल सूबे में युवा वोटरों को नए सिरे से गोलबंद कर सकते हैं. यह गोलबंदी वाम राजनीति की जड़ता को तोड़ने की दिशा में कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकती है. लेकिन इसे राजनीतिक वापसी का आधार बनाना आसान नहीं है. सारा कुछ इसपर निर्भर करेगा कि बिहार के वाम दल कन्हैया का उपयोग कैसे करते हैं, करते भी हैं या नहीं. इसके लिए वाम दलों को काफी कुछ करना होगा. वाम दलों की इस कमजोरी के दौर में कन्हैया कुमार के बहाने इस, छोटे ही सही, मतदाता समूह को आकर्षित करने की कोशिश तो कोई कर ही सकता है. नीतीश कुमार–लालू प्रसाद की राजनीतिक मंशा यह भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह राष्ट्रीय महिला आयोग

जिनके लिए बना उन्हीं के प्रति दर्द नहीं

शफीक आलम

पिछले साल राष्ट्रीय महिला आयोग कई वजहों से सुर्खियों था. एनडीए सरकार के सत्ता में एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि उनका मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव करने की कोशिश करेगा. दरअसल मंत्री पद संभालते ही मेनका गांधी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को मज़बूत बनाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम–1990 में संशोधन किए जाने की घोषणा की थी. उसी घोषणा पर आगे की कार्रवाई करते हुए पिछले वर्ष अप्रैल महीने में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह (ग्रुप ऑफ़ मिनिस्टर्स) ने महिला आयोग को सिविल अदालत का दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी. इसके अलावा महिला आयोग से जुड़े अन्य कई मामले भी सुर्खियों में थे, उनमें से एक मामला दिल्ली सरकार द्वारा स्वाति मालीवाल का दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना था. इस नियुक्ति को लेकर दिल्ली के उप–राज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने–सामने थे.

इसी पृष्ठभूमि में चौथी दुनिया ने आयोग द्वारा पिछले पांच वर्ष में किए गए कार्यों की जानकारी हासिल करने लिए 19 मई 2015 को एक आरटीआई दाखिल की थी. हालांकि उस आरटीआई का जवाब कानूनन पिछले वर्ष जुलाई के अंत तक आ जाना चाहिए था, लेकिन आयोग ने 16 अप्रैल 2016 को जवाब भेजा, यानी आयोग ने जवाब भेजने में एक साल का समय लिया. जबकि यह जानकारी उसे 30 दिन के अंदर ही उपलब्ध करानी चाहिए थी. दरअसल, आयोग से ऐसे सवाल नहीं पूछे गए थे जिनके जवाब देने में

उसे इतना लंबा समय लंबा लग गया. आयोग ने इस विलंब का कोई कारण भी नहीं बताया. आरटीआई एक्ट में यह साफ–साफ लिखा है कि सरकारी अधिकारी को सारे रिकॉर्ड इस ढंग से रखने होंगे ताकि यदि कोई व्यक्ति आरटीआई के तहत उनसे वह जानकारी मांगे तो वे वह जानकारी आसानी से उपलब्ध करा सके. यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित 30 दिन के भीतर जवाब नहीं देता है तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. यदि आयोग ने अपने रिकॉर्ड सही ढंग से रखे होते, तो इन साधारण सवालों के जवाब देने में उसे इतना विलंब नहीं होता. आयोग से पूछा गया था कि पिछले पांच वर्षों में राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष कितने मामले सुनवाई के लिए आए. पिछले पांच सालों में जो मामले आयोग के समक्ष आए वे किस तरह के थे. पिछले पांच सालों में आयोग ने कितने मामलों का निष्पादन किया और कितने मामले अनिष्पादित रहे. पांच साल के अंतराल में कितने मामले लंबित रहे यानी कि जिनपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी. साथ में यह भी पूछा गया था कि पिछले पांच साल में आयोग ने वेतन, भत्तों, बिलों, इत्यादि पर कितने पैसे खर्च किए?

पहले दो सवालों के जवाब में आयोग ने कहा कि मांगी गई जानकारियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, साथ में वेबसाइट का पता भी दिया गया है. लेकिन यह पता आयोग की वेबसाइट के मुख्य पेज पर ले जाता है. जहां से मांगी गई जानकारियां हासिल करना कम से कम एक आम आदमी के बस की बात नहीं है. इनके इस जवाब से यह भी नतीजा निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपने रिकॉर्डस को इस तरह नहीं रखता है कि यदि कोई उनसे जवाब मांगे तो वे उसे फ़ौरन और सही जवाब दे सके. आयोग के खर्चों से संबंधित सवाल के जवाब में कहा गया कि मांगी गई जानकारी संबंधित शाखाओं में विचाराधीन है और शीघ्र ही इससे आपको अवगत कराया जाएगा. अब सवाल यह उठता है कि यदि आयोग अपने पांच साल के व्यय का ब्यौरा एक साल में भी इकट्ठा नहीं कर सकता है तो उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठना तो लाज़मी है. खास तौर पर लोक सूचना अधिकारी को इसके लिए कठघरे में तो खड़ा किया ही जा सकता है.

पिछले दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अदालतों में न्यायधीशों के रिक्त पड़े पदों को भरने और उन्हें दुगना करने की भावनात्मक अपील की थी. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की अदालतों में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं और यदि हालत ऐसी ही रही तो जिस रफ्तार से मुकदमों की संख्या बढ़ रही है, इससे अगले तीस वर्षों में देश की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की संख्या तकरीबन 15 करोड़ तक पहुंच जाएगी. अब एक नज़र महिला आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए आए मामलों पर डालते हैं. आयोग के मुताबिक पिछले पांच वर्षों में उसने 52,010 मामलों का निष्पादन किया, जबकि इसी अवधि में 1 लाख 16 हज़ार मामले लंबित थे. यानि जितने मामले निपटाए गए उससे दुगने मामले लंबित रहे. ज़ाहिर है अगर इसी रफ्तार से काम हुआ तो यहां भी देश की अदालतों की तरह मामलों का अंबार लग जाएगा और महिलाओं को आयोग की मदद पाने के लिए वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ेगा.

दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग एक दंतहीन वैधानिक संस्था है. महिलाओं से संबंधित मामलों में आयोग की भूमिका महज़ सलाहकार की होती है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम–1990 में वांछनीय संशोधन करके इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरह सिविल अदालत का दर्जा देने का लिए प्रयास कर रहा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई वाले मंत्रियों के समूह ने पिछले साल ही इसके लिए बिल ड्राफ्ट करने की शिफारिश कर दी है. ज़ाहिर है सरकार का यह क़दम महिला सशक्तिकरण की राह में एक महत्वपूर्ण क़दम साबित हो सकता है. देश में महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही हैं. वे न केवल अपने व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं बल्कि अपने सामजिक अधिकारों के प्रति भी जागरूक हो रही हैं. ऐसे में महिला आयोग को और अधिक अधिकार देकर इसे सिविल अदालत का दर्जा देना वक़्त की मांग है. लेकिन, जब महिला आयोग को बिलकुल स्पष्ट और साधारण सवालों के जवाब देने में एक साल का समय लग जाता है, तो इससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि यदि आयोग को और अधिक अधिकार देने हैं तो इसके लिए सबसे पहले उसकी कार्यप्रणाली में मूलभूत सुधार करने होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

मिनी पाकिस्तान के विवाद में भी उलझ गए बंगाल के मंत्री

पचड़ा फंसाने में माहिर हैं हाकिम

विनय बिहारी सिंह

पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम चुनाव के दौरान लगातार विवादों में घिरे रहे. पहले तो नारदा कांड में उन्हें और तृणमूल कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को एक फर्जी कंपनी के दूत से नोटों की गड्डियां लेते हुए दिखाया गया. अभी वह विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उन्हें लेकर एक और विवाद सामने आ खड़ा हुआ. पाकिस्तान के समाचार पत्र डॉन की संवाददाता मलीहा हामिद सिद्दीकी पश्चिम बंगाल आईं और उन्होंने फिरहाद हाकिम के चुनाव क्षेत्र- कोलकाता पोर्ट एरिया में घूमने की इच्छा जाहिर की. इसी चुनाव क्षेत्र में गार्डेनरीच पड़ता है. जैसा कि संवाददाता मलीहा ने लिखा है- फिरहाद हाकिम ने अपने चुनाव क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उनसे कहा- आइए यहां के मिनी पाकिस्तान में चलें. मलीहा ने पाकिस्तान जाकर अपने समाचार पत्र डॉन में ह्-ब-ह् यही लिखा. जब यहां विवाद उठा तो इस संवाददाता से फोन पर पूछा गया कि मंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है, तो मलीहा ने कहा- मैंने जो लिखा है, उस पर कायम हूं. उन्होंने ठीक यही कहा था.

फिरहाद हाकिम के इस बयान से विपक्षी दलों के नेताओं को मुद्दा मिल गया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह और उनके अन्य सहयोगी नेताओं ने कहा कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, देश की अखंडता के खिलाफ टिप्पणी भी है. हाकिम मंत्री हैं और उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली है. वे कैसे कोलकाता के एक इलाके को मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं? इस पर फिरहाद हाकिम ने कहा कि मैंने यह बयान नहीं दिया है. मैंने तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया. यदि पाकिस्तान की संवाददाता ने यहां घर जैसा महसूस कर ऐसा लिख दिया है तो वे कर ही क्या सकते हैं. हाकिम का कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा कहा भी होता तो इसमें कोई बुराई नहीं है.

कोलकाता की सड़कें कराची की सड़कों जैसी हैं. इसलिए यदि मैंने कहा भी होता तो यह कोई अपराध नहीं है. चूंकि मैं मुसलमान हूं, और यह चुनाव का समय है, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है. यह वैमनस्य भड़काने की साजिश है. हाकिम ने कहा- जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं तो उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता. वे एक बार नहीं, चार बार जाते हैं. एक बार तो बिना किसी कार्यक्रम के अचानक वे पाकिस्तान पहुंच गए. तब तो किसी ने नहीं कहा.

अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे से इस मिनी पाकिस्तान प्रकरण का क्या लेना-देना है. फिर भी वहां के लोगों की प्रतिक्रिया जानना जरूरी है जिसे मिनी पाकिस्तान कहने का आरोप है. यहां के लोगों ने कहा कि वे नाम न लिखने की शर्त पर अपना बयान देना चाहते हैं. इसका कारण है कि फिरहाद हाकिम, जो इलाके में बॉबी हाकिम के नाम से जाने जाते हैं, एक प्रभावशाली नेता हैं. ऐसे भी अनेक लोग हैं जो उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते. तय हुआ कि ठीक है नाम नहीं छापेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया दें. लोगों ने कहा कि हम लोग लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि इस इलाके को मिनी लखनऊ कहा जाता है. एक मंत्री को इस इलाके को मिनी पाकिस्तान नहीं कहना चाहिए. खासतौर से जब 53 विधानसभा सीटों पर चुनाव सिर पर हों तब एक मंत्री के बयान को लोग गौर से पढ़ते और सुनते हैं.

यह इलाका चुनाव आयोग के 1,467 संवेदनशील बूथों में शामिल है. अस्सी के दशक में दो गुटों की व्यापक हिंसा के दौरान वहां पहुंचे पोर्ट इलाके के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर विनोद कुमार मेहता और उनके अंग रक्षक मुख्तार अली खान की हत्या हो गई थी. सामान्य लोगों की हत्याएं भी हुई हैं. लेकिन यहां के लोग कहते हैं कि यह पुरानी बात हो गई. अब यहां वैसा हिंसा का माहौल नहीं है. यहां के ज्यादातर लोग व्यवसाय करते हैं. अनेक लोग सिलाई का कारोबार करते हैं या भवन निर्माण सामग्री के सप्लायर हैं. इलाके के करीब 600 लोग यहां की शिपिंग कंपनियों में नौकरी करते हैं. प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने वाले लोग ज्यादा हैं, सरकारी नौकरी वाले कम.

अंग्रेजों ने जब अवध के पांचवें नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया तो इस पांचवें नवाब ने यहीं पर अपना बसेरा बनाया था. उनके साथ संगीतकार, नौकर-चाकर, पालतू जानवर और ढेर सारे लोग भी यहां पहुंच गए. यह छह मई 1856 के आसपास की बात है. वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम में कैद किया था. लेकिन इस डर से कि सिपाही उनसे देश भक्ति का पाठ पढ़ेंगे, उन्हें रिहा कर दिया गया. तब वे इसी इलाके में आ गए. लेकिन वे लखनऊ की मीठी यादों को भुला नहीं पाए. इसीलिए इस इलाके को वैसा बनाना चाहा. लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका. उन्हीं की याद में इस इलाके को आज भी मिनी लखनऊ कहा जाता है. कोलकाता नगर निगम के करीब आठ वार्ड इसमें पड़ते हैं. इससे सटा हुआ इलाका मटियाबुर्ज है. वहां दर्जी का काम करने वाले लोग बहुत हैं. पुरानी आबादी होने के कारण कई इलाके बहुत ही गञ्जिन (घने) और संकरे हैं. कोलकाता पोर्ट या बंदरगाह अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था. तब से इसे कोलकाता पोर्ट एरिया नाम से जाना जाता है. इसीलिए विधानसभा की सीट का नाम है- कोलकाता पोर्ट. पिछली बार इस सीट से चुनाव लड़ने वाले फिरहाद हाकिम को 63,866 वोट मिले थे और वे जीतकर पहली बार मंत्री बने. उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी फॉरवर्ड ब्लॉक के मोइनुद्दीन शम्स को 38,833 वोट ही मिल पाए थे. इस बार माकपा और कांग्रेस में गठजोड़ है. यहां से तृणमूल कांग्रेस के फिरहाद हाकिम के खिलाफ कांग्रेस के राकेश सिंह और भाजपा के अवध किशोर गुप्ता खड़े हैं. इसलिए इस सीट पर इस बार चुनाव सत्तारूढ़ टीएमसी के लिए निश्चित तौर पर कठिन था.

> कोलकाता की सड़कें कराची की सड़कों जैसी हैं. इसलिए यदि मैंने कहा भी होता तो यह कोई अपराध नहीं है. चूंकि मैं मुसलमान हूं, और यह चुनाव का समय है, इसलिए मुझे निशाना बनाया जा रहा है. यह वैमनस्य भड़काने की साजिश है. हाकिम ने कहा- जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान जाते हैं तो उनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता.

चुनाव अभी चल ही रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के लिए एक और परेशानी खड़ी हो गई. इस बार टीएमसी के प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने गलती कर दी. एक प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के हाथ से माकपा नेता प्रकाश करात को मिठाई खिलाते हुए फोटो दिखाकर कह दिया कि भाजपा और माकपा मिले हुए हैं. जबकि असल फोटो में राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिठाई खिला रहे हैं. डेरेक ओ ब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की जगह प्रकाश करात का चेहरा लगा दिया. भाजपा ने तुरंत इसका खंडन किया और असली फोटो जारी कर दी. उसी दिन कोलकाता के एक प्रमुख अखबार ने मुख पृष्ठ पर असली और नकली फोटो अगल-बगल छापकर इस फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया. फर्जी फोटो कांड में पकड़े जाने के बाद लोगों में तृणमूल कांग्रेस को लेकर शंकाएं पैदा हुईं. इससे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक हद तक मनोबल गिरा.

कई लोगों का कहना है कि फिरहाद हाकिम की जीत की संभावनाएं इस बार फिर बन गई हैं. लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सिंह निश्चय ही कुछ विद्रोही वोट पाएंगे. सबकी निगाहें 19 मई को घोषित होने वाले चुनाव नतीजों पर हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड के जामताड़ा में साइबर ठगों का जमावड़ा

22 राज्यों की पुलिस की रडार पर एक जिला

प्रशांत शरण

सावधान! अगर आपके मोबाईल फोन पर कॉल आए और कोई आपसे आपके एटीएम कार्ड का नंबर और पिन पूछे तो सावधान रहें, नहीं तो पिन नंबर बताते ही आपके खाते से राशि गायब हो जाएगी और आपको यह भी पता नहीं लग पाएगा कि आपके खाते से किसने राशि गायब कर दी. इसके अलावा जिस नंबर से आपके पास कॉल आई थी वह भी बंद मिलेगा. यह सब ठगी का काम झारखंड के एक छोटे और पिछड़े जिले से हो रहा है. पूरे देश में साइबर क्राइम का संचालन जामताड़ा से ही होता है और अब तो अन्य राज्यों के लोग भी यहां साइबर क्राइम की ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं. झारखंड का एक छोटा एवं सबसे पिछड़ा जिला जामताड़ा कभी अपने पिछड़ेपन और गरीबी को लेकर यह कभी सुर्खियों में रहता था, पर अब यह जिला साइबर ठगी के कारण सुर्खियों में है. इस जिले के लगभग एक सौ गांवों में साइबर अपराधियों का जाल बिछा हुआ है. और इस सिंडिकेट में एक हजार से भी अधिक साइबर ठग शामिल हैं जिसमें अधिकांश युवा और लड़कियां है. इस जिले के साइबर ठगों ने अभी तक देश के विभिन्न राज्यों से अरबों रुपये की ठगी की है, और यही कारण है कि देश के 22 राज्यों की पुलिस इस गांव से हो रहे साइबर क्राइम से तबाह है. जिले का करमाटांड थाना क्षेत्र इस गिरोह का मुख्य अड्डा है, और देश भर की पुलिस की रडार पर यह गांव रहता है. इन साइबर ठगों ने केंद्रीय मंत्री सहित कई जाने-माने लोगों को भी चूना लगाया है, देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस यहां छापामारी कर तकरीबन 145 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर अपने राज्य ले गई है, पर यह अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है. इजी मनी के कारण युवा इस ओर आकर्षित हो रहे हैं. इस वजह से अपराध एवं अपराधियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है. लचर क़ानून व्यवस्था का लाभ उठाकर अपराधी लोगों को रोजाना लाखों का चूना लगा रहे हैं.

राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक एमएन प्रधान का मानना है कि राज्य में साइबर क्राइम बढ़ा है और इसे देखते हुए पुलिस मुख्यालय में इसके लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है. इसमें एक्सपर्ट्स को लगाया गया है, और साइबर से जुड़े अपराधों की जांच की जा रही है. जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद में भी साइबर अपराधी सक्रिय हैं, इन गिरोहों की पहचान कर छापामारी अभियान भी चलाया जा रहा है. अभी तक डेढ़ सौ से भी अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. स्थानीय विधायक डॉ. इरफान अंसारी का मानना है कि साइबर क़ानून काफी लचीला है और इसका फायदा आरोपी उठा रहे हैं, क़ानून के लचीले होने की वजह से साइबर अपराधियों का मनोबल भी बढ़ा है और वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपराधी किस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, इसका पता लगाकर इस पर रोक लगानी चाहिए, साथ ही इसके लिए कड़े प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि साइबर अपराधी छूट नहीं पाएं.

कभी इस गांव में घोर गरीबी थी और लोगों को एक जून का खाना भी नसीब नहीं होता था. पर अब करमाटांड थाना क्षेत्र के कालाझरिया, हिलुवा, मियांटांड, शीतलपुर, मोहनपुर, सिकरपुसनी जैसे सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां आज झोपड़पट्टी की जगह आलीशान मकानों ने ले ली है, महंगी मोटर बाइकें एवं कारें इस गांव में देखने को मिल जाती हैं. साइबर ठगों ने एक आलीशान मंदिर भी बनवा लिया है जहां शिकार मिलते ही बकरे को बलि दी जाती है और युवा महंगी शराब का सेवन कर जश्न मनाते हैं, इस थाना क्षेत्र के युवा सुबह उठते ही मंदिर में मन्नत मांग कर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और दिनभर शिकार की तलाश में मंहगे फोन एवं लैपटॉप का इस्तेमाल कर घटना को अंजाम देते हैं.

> साइबर अपराधी गिरोह के सदस्य कई स्तर पर ठगी को अंजाम देते हैं. एक स्तर पर झांसा देकर एटीएम्एम बम्बर एवं पिन की जानकारी ली जाती है तो दूसरे स्तर पर साइबर अपराध से जुड़े ठग संबंधित बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करते हैं,वहीं तीसरे स्तर पर सदस्थ पैसे की निकासी एवं ऑनलाइन खरीददारी करते हैं.

साइबर ठगों ने शिकार करने का अनोखे तरीके अपना रखे हैं,गांव के जंगलों मे खासकर बांस की घनी झाड़ियों में चहल-कदमी करते हुए वे लोगों को फोन कर उनके का बैंक एटीएम नंबर और पासवर्ड पूछते हैं और लोगों को झांसा देकर पिन नंबर हासिल करने में सफल हो जाते हैं. पिन नंबर मालूम होते ही वे संबंधित बैंक खाते से रुपये उड़ा लेते हैं. बैंक से राशि निकालने के साथ ही उन लोगों का सिम कार्ड बंद हो जाता है और धोखाधड़ी का शिकार व्यक्ति जब उस नंबर पर कॉल करता है तो वह बंद मिलता है. दरअसल सारे सिम फर्जी पते और फर्जी पहचान पत्र के आधार पर लिए जाते हैं. इस कारण पुलिस भी अपराधी का पता नहीं लगा पाती है. लोगों का मानना है कि बांस की झाड़ियों एवं जगलों का उपयोग अपराधी इसलिए करते है ताकि उन्हें सिगनल मिलने में कोई कठिनाई न हो. बांस की झाड़ियों को अथिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है.

पुलिस भी इन गांवों से चल रहे इस गोरखधंधे से अनभिज्ञ नहीं है लेकिन अधिकतर मामलों में छापामारी करने आई पुलिस टीम वास्तविक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है, अगर आरोपियों के बारे में पुलिस को पता भी चलता है तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और गिरफ्तारी का विरोध करने लगते हैं. पुलिस को किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है. साइबर अपराधी गिरोह के सदस्य कई स्तर पर ठगी को अंजाम देते हैं. एक स्तर पर झांसा देकर एटीएम्एम नंबर एवं पिन की जानकारी ली जाती है तो दूसरे स्तर पर साइबर अपराध से जुड़े ठग बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर करते हैं. वहीं तीसरे स्तर पर सदस्य पैसे की निकासी एवं ऑनलाइन खरीददारी करते हैं. इस गांव के साइबर क्राइम से जुड़े युवा एवं लड़कियां ज्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं हैं, पर फर्राटेदार इंग्लिश एंव शुद्ध हिंदी बोलते हैं, ताकि सामने वाला प्रभावित होकर उसके चंगुल में फंस जाए. एक व्यक्ति बैंक अधिकारी बनकर लोगों से बात करता है तो दूसरा अपराधी मोबाईल, लैपटॉप एवं टैब के जरिए काम को आगे बढ़ाता है. लोगों से एटीएम एवं पिन की जानकारी मिलते ही तुरंत उनके खाते से पैसे उड़ा लेते हैं, उसके बाद उपयोग में लाए गए सिमकार्ड को बंद कर देते हैं. साइबर अपराध में शामिल युवा किस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं पुलिस अब तक इसका पता नहीं लगा सकी है. धीरे-धीरे साइबर अपराधियों का जाल समीपवर्ती जिलों में भी फैलता जा रहा है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस क्षेत्र के दो युवाओं ने दिल्ली में ट्रेनिंग ली थी, इसके बाद इस क्षेत्र के युवाओं को जाल में फंसाकर उन्हें साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी गई. इन युवाओं को अचानक संपन्न होता देख आस-पास के युवा भी इन ठगों के जाल में फंसकर ठग बन गए. अब तो इस सिंडिकेट में एक हजार से भी ज्यादा लड़के- लड़कियां हैं. ट्रेनिंग पाए लड़के-लड़कियां अपने परिवार के साथ-साथ अपने सगे-संबंधियों को भी ट्रेनिंग देकर आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाते जा रहे हैं. अब तो झारखंड के बाहर के भी युवा खासकर दक्षिण भारत के लोग साइबर क्राइम की ट्रेनिंग लेने जामताड़ा आते हैं और इसी गिरोह के सदस्य के रूप में काम करते हैं. भले ही बाहरी राज्यों से लोग अपराध को अंजाम देते हैं, पर उनका कमीशन भी जामताड़ा पहुंच जाता है.

करमाटांड के एक स्थानीय बंगाली परिवार के निमाई दा का कहना है कि कभी यह क्षेत्र ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे प्रसिद्ध शिक्षाविद के कर्मस्थल के रूप में जाना जाता था और लोग गर्व से इस जगह का नाम लेते थे कि वे इस क्षेत्र के निवासी हैं, पर अब अपने को इस क्षेत्र का बताने में सिर शर्म से झुक जाता है. यह क्षेत्र अब साइबर अपराध का अड्डा बन गया है. यहां के युवा लगातार इस दलदल में फंसते जा रहे हैं. सबसे शर्मनाक बात यह है क्षेत्र में शायद ही कोई दिन ऐसा होता हो जब विभिन्न राज्यों की पुलिस यहां आकर छापामारी न करती हो. अब तो इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चों को उनके माता-पिता ही साइबर क्राइम का पाठ पढ़ाने लगे हैं और गांव के युवा आकर्षक कमाई के लालच में अपराध के जाल में फंसते जा रहे हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

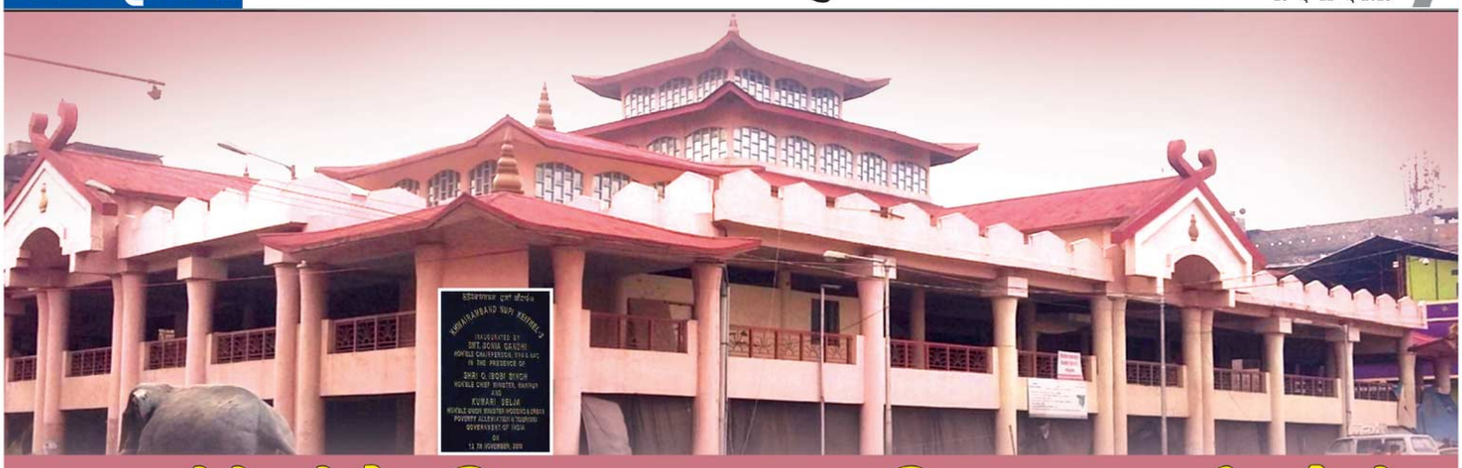

ध्वस्त होने को है मणिपुर का मशहूर महिला बाज़ार ईमा कैथेल

ऐसे तो मिट जाएगा नारी शक्ति का संकेत-केंद्र

एस. बिजेन सिंह

यदि आप पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इंफाल जाते हैं, तो आप शहर के बीचो-बीच स्थित ईमा कैथेल ज़रूर जाते हैं. स्थानीय भाषा में ईमा का मतलब होता है मां और कैथेल का मतलब होता है बाजार. यानी मांओं का बाजार. यह ऐसा बाजार है जहां दुकानों और यहां बिकने वाले सामानों में विविधता है, लेकिन एक चीज समान है और वह है दुकानदार. यहां के बाजार को महिलाएं ही संभालती हैं. इस बाजार के तीन हिस्से हैं, पहला लैमरेल शिदबी ईमा कैथेल (पुराना बाजार), दूसरा इमोइनु ईमा कैथेल (लक्ष्मी बाजार) और तीसरा फौउइबी ईमा कैथेल (न्यू मार्केट). ये तीनों हिस्से मिलकर बाजार के स्वरूप को व्यापक बनाते हैं. यह देश का इकलौता बाजार है, जिसका संचालन सिर्फ महिलाएं करती हैं. यही इस बाजार की खासियत भी है. यह अपने आप में महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है, जहां सभी महिलाएं एक दूसरे का हर तरह से सहयोग करती हैं.

लेकिन तकरीबन 600 साल पुराने इस बाजार को जनवरी 2016 में आए भूकंप के बाद एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. 4 जनवरी 2016 को आए भूकंप से इस बाजार के कॉम्प्लैक्स को बुरी तरह नुकसान पहुंचा. आज स्थिति यह है कि बाजार के इमोइनु ईमा कैथेल (लक्ष्मी बाजार) और फौउइबी ईमा कैथेल (न्यू मार्केट) के अधिकांश खंभे टूटने पर हैं. बाजार के फर्श पर दरारें आ चुकी हैं. लेकिन सरकार ने अब तक इस क्षतिग्रस्त बाजार को दुरुस्त करने के लिए किसी तरह के कदम नहीं उठाए हैं. इस वजह से यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. भूकंप के बाद इन दो क्षतिग्रस्त कॉम्प्लैक्सों को खाली करा दिया गया था. इन दोनों बाजारों में 1873 महिलाएं दुकानदार थीं, लेकिन मार्केट को खाली कराने के बाद ये अपनी दुकानें नहीं लगा पा रही हैं. इनके परिवार के समक्ष आजीविका की समस्या आ खड़ी हुई है.

गौरतलब है कि जनवरी 2010 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बाजार के नवनिर्मित खंड की इमारत का उद्घाटन किया था. लेकिन केवल पांच साल के अंतराल में इमारत इतनी जर्जर कैसे हो गई कि उसके पिलर 6.7 तीव्रता के भूकंप के झटकों को नहीं झेल पाए. क्या इमारत के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था और निर्माण के दौरान गुणवत्ता के मानकों को दरकिनार कर दिया गया था. यदि ऐसा नहीं होता, तो बाजार के खंभों का यह हाल नहीं होता. एक ऐतिहासिक बाजार की इमारत के निर्माण में निश्चित तौर पर करोड़ों रुपये की हेरा-फेरी हुई होगी. लेकिन यहां के लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं है. राज्य सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है. दूसरी तरफ बाजार की महिलाएं आजीविका के संकट का सामना कर रही हैं.

इतिहास गवाह है कि यहां की महिलाएं जीवट वाली हैं और उन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके. ये महिलाएं अबला नहीं सबला हैं. यहां की महिलाओं ने विषम परिस्थितियों में भी मोर्चा संभाला है. यह बाजार सन् 1535 के आसपास अस्तित्व में आया था. हालांकि अंग्रेजों द्वारा मणिपुर पर कब्जा करने के बाद इस बाजार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई. इस दौरान ब्रिटिश सेना और यहां की महिलाओं के बीच कई बार संघर्ष भी हुआ. 1904 में जब ब्रिटिश सरकार ने राज्य से चावल बाहर भेजना शुरू किया था. तब यहां की महिलाओं ने ब्रिटिश सरकार के इस अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज उठाई और कपड़ा बनाने में इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के टुकड़े (तेम) को अपना हथियार बनाया. इन महिलाओं ने पुरुषों से एक क़दम आगे बढ़कर लड़ाई का मोर्चा संभाल लिया. इस संघर्ष के दौरान कई महिलाएं शहीद हो गईं, कुछ महिलाओं को जेल भी जाना पड़ा था. इस लड़ाई को मणिपुर के इतिहास में नुपी लाल यानी महिलाओं के युद्ध के रूप में जाना जाता है. उसके बाद भी 1939 में हुए दूसरे संघर्ष में इस बाजार की महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. आज भी इस संघर्ष में शहीद महिलाओं को हर साल 12 दिसंबर को याद किया जाता है.

अब यहां की महिलाएं सरकार के साथ दो-दो हाथ करने को भी तैयार हैं. यहां की महिलाओं का मानना है कि पांच साल के अंदर इमारत इतनी कमजोर कैसे हो सकती है. इससे यह बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि इस कॉम्प्लैक्स निर्माण के दौरान बड़े स्तर पर घोटाला हुआ होगा. इसलिए यह आज धराशाई होने की कगार पर है. निर्माण कार्य कराने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं. अब राज्य सरकार अपनी सफाई पेश करते हुए कह रही है इन कॉम्प्लैक्सों का निर्माण पीडब्लूडी ने नहीं किया था. इसका निर्माण एनबीसीसी (नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन) ने किया था. हालांकि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर दुकानदार महिलाओं को इंफाल के थांगाल बाजार के करीब विकल्प के तौर पर अस्थाई जगह देने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं ने अस्थाई बाजार का जमकर विरोध किया. इस वजह से अस्थाई बाजार के निर्माण का काम भी रुक गया. राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के तीन इंजीनियरों को बुलाकर बाजार का निरीक्षण कराया है, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी कॉम्प्लैक्स के जर्जर खंभों की मरम्मत होगी या इसका दोबारा निर्माण किया जाएगा, यह स्थिति साफ नहीं हो सकी है. महिलाओं ने बिना गुणवत्ता के इस बाजार (कॉम्प्लैक्स) का निर्माण करने वाली ऐजेंसी को दंडित करने की मांग की है.

ईमा कैथेल के माध्यम से मणिपुर की महिलाओं ने व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में आर्थिक जिम्मेदारी ली है. इस बाजार में कार्यरत महिलाओं को समय-समय पर राजनीतिक और सैन्य हलचल का भी सामना करना पड़ता है. मणिपुरी जीवन शैली को स्वदेशी बनाए रखने में इन महिलाओं की बड़ी भूमिका है. यहां हरी सब्जियों, खाद्य पदार्थ, लोहे के औजार, मछलियां, कपड़े, बांस निर्मित वस्तुएं एवं मिट्टी के बर्तन आदि का व्यवसाय होता है. अपने परिवार और समुदाय में यहां की महिलाएं आर्थिक स्तंभ की तरह खड़ी हैं. इनका अपने परिवार, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में एक अलग योगदान है. यहां की 5,000 से ज्यादा महिलाएं अपने बेहतर भविष्य के लिए हमेशा सजग, जागृत और एकजुट रहती हैं.

यहां दुकान लगाने वाली 30 वर्षीय पुष्पा तीन बच्चों की मां है. 9 वर्ग फुट की दुकान में वह चावल और आटे से बने लड्डू बेचती हैं. उन्हें प्रतिमाह 90 रुपये दुकान का किराया देना होता है. उनकी यह दुकान पारिवारिक विरासत की तरह है, पहले उनकी सास यहां दुकान चलाती थीं. उनके देहांत के बाद पुष्पा ने दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली. सास के देहांत के बाद घर की आर्थिक स्थिति कुछ डांवाडोल हुई थी, लेकिन जब से उन्होंने यहां काम करना शुरू किया और परिवार की आर्थिक स्थिति फिर से सुदृढ़ हो गई है. बाजार में इस तरह की हजारों पुष्पा हैं, जो न केवल खुद को सशक्त बना रही हैं, बल्कि अपने परिवार के साथ-साथ राज्य की प्रगति में योगदान दे रही है. पैंतालीस वर्षीय नुंगशीतोम्बी लाइश्राम हर महीने लगभग चार से पांच हजार रुपये कमाती हैं, जिससे वह अपने पांच लोगों के परिवार का पेट पालती हैं. उनके तीन बच्चे पढ़ाई करते हैं. नुंगशीतोम्बी ताजा सब्जियां बेचती हैं. उनकी शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी, तब से वह यहां सब्जी बेचकर अपना परिवार चलाती हैं. उनके पति एक साधारण किसान हैं. ईमा कैथेल एक अद्भुत बाजार है. इस बाजार में काम करने वाली लगभग 5000 से ज्यादा महिलाएं अपने परिवार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. यह बाजार न केवल भारत में बल्कि, विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान कायम बनाए हुए है.

इस बाजार में व्यवसाय करने वाली सरोजनी कहती हैं कि नई इमारतें बनने से पहले यहां किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप और सही योजनाओं न होने की वजह से हमारे लिए परेशानियां बढ़ गईं. उनका कहना है कि सरकार तो केवल दिखावे या कहें कि बाहरी सौंदर्य पर ध्यान दे रही है. लेकिन आंतरिक तौर पर यहां की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उसने कुछ नहीं किया है. यहां पर काम करने वाली महिलाओं के पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ऋण की सुविधा भी नहीं मिल पाती है. इन महिलाओं और उनकी समस्याओं पर सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है. देश के इस गौरवशाली बाजार को जहां सहायता की बेहद जरूरी है, तो अनावश्यक हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है. मणिपुर नगर निगम ने नई इमारतों के निर्माण के बाद यहां दुकान के लिए लाइसेंस दिए, जिसमें कई महिलाओं को लाइसेंस नहीं मिल पाया. जिन महिलाओं के लाइसेंस नहीं मिला पाया, जिसमें बहुत सारी वे महिलाएं हैं, जिनके पति सेना, पुलिस और अलगाववादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं.

इस बाजार की सबसे बड़ी खासियत है यहां का अनुशासन और अलिखित नियम, जो कई दशकों से बदस्तूर चले आ रहे हैं. महिलाएं यहां के अलिखित नियम-कानून का पालन करने में गर्व महसूस करती हैं. इन महिलाओं को पता है कि उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. यहां की महिलाएं राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय हैं. वे किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने में नहीं झिझकती हैं. यह बाजार कई तरह की बहसों और चर्चाओं का केंद्र बिंदु है. यह बाजार लोगों के बीच नई जानकारियों के प्रचार-प्रसार के लिए भी कार्य करता है. इस बाजार में बैठी महिलाओं को कई तरह की समस्याओं का सामना पहले भी करना पड़ा है और वे आगे भी करती रहेंगी. लेकिन इस बाजार की संरचना में परिवर्तन के माध्यम से इन महिलाओं को समस्याओं से बचाया जा सकता है. ■

दुनिया के एकमात्र महिलाओं के बाजार को भूकंप से नुकसान पहुंचना दुःखद बात है. इस भूकंप में पुराने जमाने के घर और बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मात्र पांच साल पहले बने इस मार्केट को नुकसान होना अफसोस की बात है. इस मार्केट की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर प्रधानमंत्री और संबंधित मंत्रियों को सूचित किया जाएगा. जितना हो सकेगा, सरकार मदद करने के लिए तैयार है.

-प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय मंत्री

भूकंप से मार्केट को नुकसान होने की वजह हम लोग पिछले कई महीनों से इस मार्केट में बैठ नहीं पा रही हैं. इस वजह से जीवन यापन में संकट पैदा हो गया है. क्योंकि कई महिलाओं के परिवारों के लिए आमदनी का एकमात्र जरिया यह मार्केट ही है. इसलिए सरकार समय रहते इस मार्केट (कॉम्प्लैक्स) को बनाकर हमारे पुराने दिन वापस नहीं करती है, तो हम इस टूटे हुए मार्केट में ही बैठेंगे. यदि इस दौरान कोई बड़ा हादसा होता है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी.

-टीएच शांति देवी, अध्यक्ष, ईमा कैथेल महिला संगठन

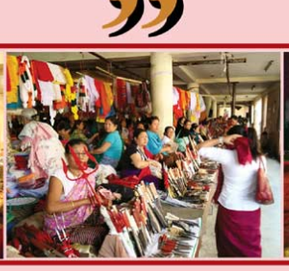

sbijensngh@gmail.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

अगस्टा का सच कोई नहीं जानना चाहता

संसद में अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीद में अनियमितता को लेकर एक चर्चा हुई. तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने अपनी बात रखी और एक विस्तृत जवाब दिया. उन्होंने सारे घटनाक्रम और तथ्यों को संसद के सामने रखा और कहा कि मौजूदा सरकार को इस मामले की पूरी जांच करानी चाहिए और एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए. जाहिर है, संसद में किसी की भी सच का पता लगाने में रुचि नहीं है, बल्कि वे इससे राजनीतिक लाभ पाना चाहते हैं. लेकिन, सवाल यह है कि इस मुद्दे पर पहले ही बहुत ज्यादा बात हो चुकी है. फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. कांग्रेस के लिए असल में शर्म की बात यह है कि इटली की अदालत द्वारा दिए गए फैसले में किसी सिग्नोरा गांधी और एपी के नाम का जिक्र है. लेकिन यह सबूत नहीं है. यह केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए है.

संसद का बजट सत्र चल रहा है और वित्त विधेयक पास होना है, जिसके बाद संसद स्थगित हो जाएगी. वित्त मंत्री को संसद से बैंकरप्सी (दिवालिया) कोड और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) जैसे दो अहम बिल पास कराने हैं, जिसके लिए कांग्रेस के सहयोग की आवश्यकता होगी. संसद में अगस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीद में अनियमितता को लेकर एक चर्चा हुई. तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने अपनी बात रखी और एक विस्तृत जवाब दिया. उन्होंने सारे घटनाक्रम और तथ्यों को संसद के सामने रखा और कहा कि मौजूदा सरकार को इस मामले की पूरी जांच करानी चाहिए और एक अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए. जाहिर है, संसद में किसी की भी सच का पता लगाने में रुचि नहीं है, बल्कि वे इससे राजनीतिक लाभ पाना चाहते हैं. लेकिन, सवाल यह है कि इस मुद्दे पर पहले ही बहुत ज्यादा बात हो चुकी है. फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है. कांग्रेस के लिए असल में शर्म की बात यह है कि इटली की अदालत द्वारा दिए गए फैसले में किसी सिग्नोरा गांधी और एपी के नाम का जिक्र है. लेकिन यह सबूत नहीं है. यह केवल राजनीतिक इस्तेमाल के लिए है. मैं नहीं समझता कि ऐसे मुद्दों पर जनता का समय बर्बाद होना चाहिए. संसद जनता के काम के लिए होती है. इस मामले की जांच होने दीजिए और फैसला आने दीजिए. यह काम जांच एजेंसी और न्यायपालिका कर लेंगी.

इस बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश एक कार्यक्रम में अपनी बात कहते-कहते रुआंसे हो गए. उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर काम का काफी दबाव है और काम करने वालों की भारी कमी है. इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जजों की नियुक्ति का मौजूदा सिद्धांत गलत है. लेकिन यह 1993 से चल रहा है. संसद इसपर एकमत नहीं हो पा रही है, नहीं तो इसमें सुधार किया जा सकता था. उधर, उत्तराखंड के चीफ जस्टिस का तबादला किए जाने की सिफारिश हुई. हाल ही में उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के संबंध में एक बहुत ही बोल्ड जजमेंट दिया था. जाहिर है, इसे लेकर कुछ राजनीतिक सवाल हैं लेकिन, मैं नहीं समझता कि सरकार की इस तबादले में कोई भूमिका है. और जो निर्णय आना था वह आ चुका है लेकिन तबादले का समय सवालों के घेरे में है. उनका तबादला कुछ सप्ताह बाद होता तो अच्छा होता. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होता है. उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.

मौसम विभाग का अनुमान है कि इस साल मानसून अच्छा रहने वाला है. यह सरकार और भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है. हम आशा करते हैं कि समय पर बारिश होगी. बारिश की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है समय पर बारिश होना. मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने राजस्थान में देखा है कि सही समय पर हुई दो दिन की बारिश ने पूरी स्थिति को संभाल लिया. देश में कई सारे संवेदनशील इलाके हैं, जाहिर है कि इस मामले में सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती. बारिश तो बारिश है और यह भगवान के हाथों में है. लेकिन, फसलों को बचाने के लिए आपातकालीन स्थिति में पानी पहुंचाने की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए. मराठवाड़ा में भयंकर सूखा है.

वहां राहत पहुंचाने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं किया जा सकता है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बाढ़ नियंत्रण और सूखा से राहत, दोनों महत्वपूर्ण हैं. दोनों ही स्थितियों में तत्काल काम करने की जरूरत होती है. मौजूदा सरकार के पास चुनाव में जाने से पहले तीन साल बचे हैं. और, मैं इस बात को लेकर निश्चित हूं कि प्रधानमंत्री ने किसानों और मेक इन इंडिया को लेकर जो चिंताएं जाहिर की हैं, उसके लिए उन्हें कुछ बेहतर लोगों के समूह बनाने चाहिए जो इन मुद्दों पर काम करें और इन मुद्दों पर समाधान दे सकें.

इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए होने वाले चुनाव बेहद दिलचस्प हैं क्योंकि रिपब्लिकन नॉमिनी अपने साथियों से कहीं आगे हैं. वे हमेशा चौंकाने वाली और खौफनाक बातें बोलते हैं. ऐसा बोलना भी चुनावी रणनीति का हिस्सा होता है. मैंने अपने जानने वालों से जो सुना है वह यह कि वे इस तरह की बातों से चुनाव जीतना भी चाहते हैं. वे ओबामा के घटनारहित (अनइवेंटफुल) 8 साल के कार्यकाल को भुनाना चाहते हैं, जिस तरह बीजेपी ने भारत में मनमोहन सिंह के दस साल के कार्यकाल को भुनाया. मतदाता भावना में बहकर भी वोट करते हैं. ऐसा नहीं है कि ओबामा ने अच्छा काम नहीं किया. उन्होंने हर मोर्चे पर बेहतर किया लेकिन जनमानस को लगता है कि कुछ खास नहीं हुआ. ऐसे में एक आदमी आता है और इस तरह की नई-नई बातें करता है जो उसे लोकप्रिय बना रही हैं. हालांकि, अंतिम लड़ाई इतनी भी आसान नहीं होगी. डेमोक्रेट्स अभी भी आगे रहेंगे, भले ही उनका उम्मीदवार कोई भी हो. चाहे वह हिलेरी क्लिंटन हों या सैंडर्स. फिर भी, ट्रंप और सैंडर्स के बीच मुक़ाबला बेहद दिलचस्प होगा. ट्रंप किसी भी दक्षिणपंथी से अधिक दक्षिणपंथी हैं वहीं सैंडर्स धुर वामपंथी. हिलेरी के पास 8 साल तक अमेरीका की प्रथम महिला और 4 साल तक विदेश मंत्री होने का अनुभव है. अमेरिकी चुनाव पूरी दुनिया के लिए दिलचस्पी का विषय होते हैं, क्योंकि अमेरीका कई साधनों के जरिए, दुनिया के कई देशों में ताकत की धुरी को नियंत्रित करता है. लेकिन, अमेरीका में जो कोई भी सत्ता में आएगा उससे भारत के संबंध खराब नहीं होने वाले हैं. दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे रहेंगे. निश्चित तौर पर अमेरीका के पाकिस्तान को लेकर बड़े हित हो सकते हैं, जिन्हें हमें देखते रहना है. उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव के बाद भारत-अमेरिका संबंधों में और अधिक मजबूती एवं स्थिरता आएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

प्रधानमंत्री के नाम पत्र

प्रधानमंत्री जी आपको ज्ञात हो कि देश भर में फैले निजी विद्यालयों द्वारा बच्चों के अभिवावकों का घोर शोषण किया जा रहा है. सभी नियम कानूनों को ताक पर रख कर निजी विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष स्कूल फीस में बढ़ोत्तरी की जाती है. जबकि बच्चों के लिए सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क एवं खेल-कूद शुल्क आदि के नाम पर अभिवावकों से अवैध वसूली की जाती है. गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए विद्यालयों को सस्ती दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाती है. लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाकर विद्यालय प्रबंधन इडब्लूएस कोटे के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. जब अभिवावकों की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, तो विद्यालय प्रबंधन प्रशासन के नोटिस का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं. इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नियम तोड़ने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई के लिए मजबूत कानून का अभाव है.

अत: आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर निजी विद्यालयों में मनमाने निर्णयों एवं अभिवावकों के शोषण को रोकने के लिए पूरे देश में मजबूत व प्रभावी केंद्रीय कानून बनाने की कृपा करें.

–मुन्ना शर्मा, *गौतमबुद्ध नगर, नोएडा.*

नीतीश की चुनौती

कवर स्टोरी-चुनौतियां ही चुनौतियां (02 मई-08 मई) ने बेहद प्रभावित किया. अपनी इस कवर स्टोरी में संतोष भारतीय ने बिल्कुल सही कहा है कि नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं. नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं, तो उनके साथी ही उनका रास्ता रोकेंगे. शरद पवार ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने साक्षात्कार में कहा था कि नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे विपक्षी नेता हैं जो संगठित विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं और उनका इशारा साफ प्रधानमंत्री पद को लेकर था. उसके बाद विपक्षी पार्टियों में प्रधानमंत्री पद को लेकर होड़ मच गई और पार्टियां अपने-अपने नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर प्रत्याशी बताने लगीं. सपा नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के सबसे बेहतर उम्मीदवार होंगे. एक तरफ काफी दिनों से अटकलें लग रहीं थी कि यूपी में चौधरी अजीत सिंह की पार्टी रालोद का और नीतीश की पार्टी जेडीयू का आपस में विलय होगा. लेकिन अब खबर आ रही है कि अजीत सिंह की भाजपा के साथ डील हो चुकी है और यूपी चुनाव में गठबंधन हो सकता है. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश के साथी ही सत्ता के लिए उनके सामने चुनौती बनकर खड़े हैं.

–मनीष अग्रवाल, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

सराहनीय फैसला है

शराबबंदी की मुहिम राष्ट्रव्यापी बनाएंगे नीतीश (02 मई-08 मई) शीर्षक से लिखे अपने लेख में सरोज सिंह ने नीतीश के शराबबंदी के फैसले का जिक्र किया है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि शराबबंदी के अपने फैसले को लेकर नीतीश कुमार राजनीतिक तौर काफी मजबूत होकर उभरे हैं. शराबबंदी का फैसला लोकहित में है जिसकी वजह से नीतीश कुमार की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है. लेकिन इसे कैसे प्रभावी रूप से बिहार में लागू किया जाए अभी यह नीतीश कुमार के सामने चुनौती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगी बिहार की सीमाओं से शराब की तस्करी को रोकना होगा. नीतीश कुमार ने पूरे देश में शराबबंदी को लेकर मुहिम छेड़ने बात कही है. शराबबंदी का असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिलेगा.

–मीरा यादव, *सासाराम, बिहार.*

लोकप्रिय समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र एक ऐसा समाचार पत्र है जिसे हर तबके के लोग चाहे वे अमीर हों या गरीब, सभी पढ़ते हैं. यह केवल आम लोगों का समाचार पत्र नहीं है, बल्कि इसमें प्रकाशित खबरें बड़े-बड़ों को सोचने और पढ़ने पर मजबूर कर देती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में कई ऐसी खबरें होती हैं जो किसी समाचार पत्र में पढ़ने को नहीं मिलती. चौथी दुनिया जन-जन का लोकप्रिय साप्ताहिक समाचार पत्र है.

–शशिकांत झा, *कटिहार, बिहार.*

निष्पक्ष और साहसी समाचार पत्र

मैं चौथी दुनिया साप्ताहिक समाचार पत्र का नियमित पाठक हूं. इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें प्रभावित करने वाली होती हैं. समाचार पत्र में प्रकाशित संपादकीय पढ़कर काफी खुशी होती है. संतोष भारतीय हमेशा नए विषयों पर अपने विचार रखते हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें तथ्यों पर आधारित होती हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र गरीबों, किसानों, मजदूरों, शोषितों और जनता की आवाज को उठाता है. चौथी दुनिया ने कई बड़े घोटाले उजागर किए हैं, जिसमें यूपीए सरकार के दौरान का कोयला घोटाला प्रमुख है. आशा है चौथी दुनिया समाचार पत्र आगे भी ऐसे ही निष्पक्षता और साहस के साथ लिखता रहेगा.

–दीपांशु कुमार, *झांसी, उत्तर प्रदेश.*

बुंदेलखंड की हकीकत

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों की सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के बावजूद बुंदेलखंड की प्यास नहीं बूझ पा रही है. यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शर्म का विषय है. बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास पर सियासत की बेरहमी शर्म करने वाली है. जहां जलते घर को बुझाने के लिए तो दूर पीने के लिए पानी नहीं है. ऐसी जमीनी हकीकत के बाद कैसे विकास के नारे पर विश्वास किया जा सकता है. दो दशकों से अधिक समय से बुंदेलखंड सूखा है, लेकिन सरकारें बुंदेलखंड के जलसंकट को लेकर अभी भी गंभीर नहीं हैं. सही मायने में देखें, तो यहां के जल संकट को दूर करने के लिए किसी भी सरकार ने गंभीरता से कार्य नहीं किया है.

–अभय तिवारी, *गोरखपुर, उत्तर प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

लगभग पचास सांसद बैंकों का हज़ारों करोड़ दबाए बैठे हैं

संसद में एक आचार समिति होती है, जिसे एथिक्स कमेटी कहते हैं. इस कमेटी ने विजय माल्या से कहा कि वह संसद सदस्य हैं और उनके ऊपर इस-इस तरह के इल्जाम हैं, जैसे वह सात हजार करोड़ रुपये लेकर विदेश चले गए हैं, बैंकों का पेमेंट उनपर बकाया है, वह ईडी के बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, तो क्यों न उन्हें दोषी माना जाए. इसके जवाब में विजय माल्या ने राज्यसभा के सभापति को अपना त्यागपत्र भेज दिया और लिखा कि इस आचरण समिति से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना त्यागपत्र भेजता हूं. उन्होंने इस समिति को यह सौभाग्य नहीं हासिल होने दिया कि वह उन्हें राज्यसभा से बाहर निकालने का प्रस्ताव सभापति को भेजे और राज्यसभा उनकी सदस्यता खत्म करे. क्योंकि इसी राज्यसभा में जद (यू) के निलंबित सांसद अनिल सहनी हैं, जिन्हें यात्रा भत्ता घोटाले के संदर्भ में दोषी पाया गया है और उनके ऊपर मुक़दमा चलाने की इजाजत राज्यसभा के सभापति ने दी है. लेकिन वह राज्यसभा के सदस्य बने हुए हैं.

ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा, खुद कितनी तरह के अपराधियों को (चाहे वे हत्या के अपराधी हों, बलात्कार के अपराधी हों या आर्थिक अपराधी हों) अपने अंदर समेटे बैठी है और हम उससे अपेक्षा कर रहे हैं कि वह देश की व्यवस्था को ठीक करेगी. क्या हमारी यह आशा कभी फलीभूत हो पाएगी?

मुझे लगता है नहीं. क्योंकि जिस संसद में पचास से ज्यादा ऐसे सांसद हों, जिनके ऊपर सौ करोड़ रुपये से लेकर हजार करोड़ रुपये तक का बैंको का पैसा उधार हो, जिन्होंने अपने क़र्ज़ को एनपीए बना दिया हो और जिनकी नीयत किसी भी कीमत पर बैंको का पैसा चुकाने की नहीं हो और बैंको में भी यह हिम्मत न हो कि वे इन सांसदों से पैसा वसूल कर सकें व इसका नोटिस दें. ऐसी संसद देश का भविष्य कैसे सुधारेगी? संसद सदस्य चाहे राज्यसभा के हों या लोकसभा के. जो सौ करोड़ से ज्यादा की हैसियत के या हज़ार करोड़ से ज्यादा की हैसियत के हैं, वे सभी बैंको से पैसे लिए हुए हैं. सरकार से आसानी से संबंध बनाने की सुविधा के कारण बैंक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं. ये सांसद संसद में रहकर देश का कुछ भला नहीं कर रहे. ये संसद में रहते हुए व्यापारियों का कुछ भला नहीं कर रहे, कॉर्पोरेट का कुछ भला नहीं कर रहे है, बल्कि जो अर्थव्यवस्था में घोटाला कर रहे हैं ये उनके दूत का काम कर रहे हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो इन्होंने जनता के पक्ष में काम करने के बजाय स्वयं के व्यापार और अपने दोस्तों के व्यापार में सरकारी मदद दिलाने का काम बखूबी किया है. कोई एक-आध अपवाद हो तो हो, अन्यथा ऐसे जितने सांसद हैं, उनके खाते में न कोई प्रश्न है, न भाषण है, न कोई चिंता है और न कोई चेतावनी है. वे बस संसद के सदस्य हैं, सारी सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सहित सारे मंत्रियों के यहां भेंट देने का काम करते हैं. उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने का काम करते हैं और उन सब का काम कराते हैं, जिनका आखिरी उद्देश्य पैसे वापस नहीं लौटाना है.

क्या ये सांसद अपना पैसा निश्चित अवधि में बैंको को लौटाएंगे या विजय माल्या की तरह ये देश छोड़कर चले जाएंगे और वहां से एक त्यागपत्र अपने-अपने सदनों के सभापति या अध्यक्ष को भेज देंगे?

ये बात मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर विजय माल्या को संसद से हटाने की मंशा एथिक्स कमेटी के मन में थी, जिसको ध्यान में रखकर नोटिस दिया गया था, तो इन बाकी बचे हुए लगभग पचास सांसदों को एथिक्स कमेटी नोटिस क्यों नहीं देती? देश को सुधारने का काम संसद को स्वयं में सुधार लाकर शुरू करना चाहिए. जिस देश की संप्रभुता संपन्न संसद ऐसे लोगों को अपने भीतर बैठाए हो, जो फैसलों में असर डालते हों, जिनके ऊपर बैंको से लिया कर्ज बाकी है, जो अपने कर्ज को एनपीए बना चुके हों, क्या इस तरह की संसद, अर्थव्यवस्था और देश के सामने आने वाली परेशानियों का हल दे पाएगी? मुझे तो नहीं लगता.

इसीलिए मैं यह अनुरोध संसद से कर रहा हूं कि जब जॉर्ज फर्नांडीज के संपादकत्व में निकलने वाले अखबार ने आपको ठगों और पिंडारियों का अड्डा कहा तो आपने बहुत हाथ-पैर फटकारे थे. जब सांसदों के ऊपर किसी भी तरह की बात हो तो वह आपके यहां विशेषाधिकार का मसला बन जाती है. और जब हम देश को सामने रखकर आपके ऊपर सवाल उठाएं तो हमें मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो जाना पड़ता है कि आप हमें सदन में बुलाकर, कोने में खड़ा करके हमें सजा सुना सकते हैं और पंद्रह दिन से एक महीने के लिए जेल भेज सकते हैं. लेकिन क्या इस डर से हम सही बात कहना छोड़ दें या आपसे यह अनुरोध करना छोड़ दें कि अगर आपको अपनी विश्वसनीयता साबित करनी है तो सबसे पहले एनपीए में आए हुए इन पचास सांसदों को, जिनकी कंपनियों में बैंको का पैसा लगा है और जिनकी नीयत पैसे को वापस करने की नहीं है, उन्हें संसद की सदस्यता से मुक्त करिए. इन्हें मुक्त करना इस देश में संसद द्वारा अपने प्रति नए सिरे से विश्वास हासिल करने की कोशिश करने जैसा है. देश के लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है. और हम यह खबर देश को सबसे पहले इस संपादकीय के जरिए जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं कि लगभग पचास सांसद ऐसे हैं जिनकी कंपनियों में सौ करोड़ से हजार करोड़ तक का बैंको का पैसा डूबा हुआ है और इन सांसदों के मन में उस पैसे को वापस देने का कोई विचार नहीं है. ये वित्त मंत्रालय से, वित्त मंत्री से, प्रधानमंत्री से, दूसरे मंत्रियों से सिफारिश करवाकर उस पैसे को पूर्णतया हजम करने की योजना बनाए हुए हैं. संसद के माननीय सदस्यों, आपकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये पचास सांसद बाकी सांसदों की विश्वसनीयता के ऊपर काला धब्बा हैं. इन पर यदि आप आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल यह माना जाएगा कि संसद के सारे सदस्य इसी विचारधारा के हैं और उनसे किसी न किसी तरह अनुग्रहित या प्रभावित हैं, जो देश का पैसा हजम करने की योजना बनाए हुए हैं. सवाल यह है कि यदि विजय माल्या को नोटिस दिया जा सकता है तो इन पचास सांसदों(लगभग) को नोटिस क्यों नहीं दिया जा सकता? संसद के माननीय सदस्यों, पता कीजिए कि आपके बीच में वे कौन से सांसद हैं, जो देश का पैसा हजम करने की योजना बनाकर आपको अपने साथ लांछित कर रहे हैं. ■

जॉर्ज फर्नांडीज के संपादकत्व में निकलने वाले अखबार ने आपको ठगों और पिंडारियों का अड्डा कहा तो आपने बहुत हाथ-पैर फटकारे थे. जब सांसदों के ऊपर किसी भी तरह की बात हो तो वह आपके यहां विशेषाधिकार का मसला बन जाती है. और जब हम देश को सामने रखकर आपके ऊपर सवाल उठाएं तो हमें मन ही मन इस बात के लिए तैयार हो जाना पड़ता है कि आप हमें सदन में बुलाकर, कोने में खड़ा करके हमें सजा सुना सकते हैं और पंद्रह दिन से एक महीने के लिए जेल भेज सकते हैं.

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ क्यों नहीं हो सकते

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव करने के अपने पुराने सुझाव को एक बार फिर दोहराया है. दरअसल यह ऐसा सुझाव है जिसके क्रियान्वयन का समय आ गया है. इस पर विधायिका और सिविल सोसाइटी में गंभीर चर्चा होनी चाहिए. कांग्रेस के साथ परेशानी यह है कि वह अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाई है. एक साथ चुनाव करवाने के विचार पर उसने एक बार फिर से उत्तराखंड के मुद्दे को उछाल दिया. अगर उत्तराखंड मामले से कोई नतीजा निकाला जा सकता है तो वह यह है कि भारतीय लोकतंत्र अब परिपक्व हो गया है. धारा-356 का इस्तेमाल जिस तरह नियमित रूप से इंदिरा गांधी करती थीं, अब वह राज्यों को मंज़ूर नहीं है क्योंकि अब राज्य लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सदन को संभाल कर रखना चाहते हैं. बहरहाल नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी के धारा-356 के इस्तेमाल के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए चार टर्म के लिए प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा.

राज्यों और केंद्र में एक साथ चुनाव करने के प्रस्ताव में एक खूबी यह कि ऐसा करने से धारा-356 की वजह से पैदा हुई विसंगतियां दूर हो जाएंगी. जैसा कि मैंने हाल ही में कहा था कि केंद्र द्वारा राज्यों के फैसले को रद्द करने का विचार संघवाद (फेडरलिज़्म) के सिद्धांत के विरुद्ध है. यदि केंद्र सरकार केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकती, तो फिर राज्य इस बोझ को क्यों बर्दाश्त करें? एक साथ होने वाले चुनाव यह भी सुनिश्चित करेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार बराबर हैं. ऐसा करने पर राजनीति में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और भारत की जनता को हमेशा चलने वाले चुनावों से निजात मिल जाएगी. और सरकारें अपना ध्यान नीति निर्धारण पर केंद्रित करेंगी.

लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है. भारत का लोकतंत्र ब्रिटिश संसद के मॉडल पर निर्मित हुआ है, जहां सरकारें अविश्वास मत से हटाई जा सकती हैं. इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सरकार को संसद (जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है) का समर्थन हासिल है या नहीं. यदि सरकार को संसद का समर्थन हासिल नहीं होता तो उसे सत्ता छोड़नी पड़ती है और नए चुनाव कराने होते हैं. केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराना तभी संभव है जब एक बार चुनी हुई सरकार कम से कम पांच वर्ष तक सत्ता में बनी रहे, चाहे उसे संसद/विधानसभा का समर्थन हासिल हो या नहीं, लेकिन ऐसा करना लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध लगेगा.

ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स की पिछली गठबंधन सरकार के कार्यकाल में एक क़ानून पारित किया था कि जो इसके लिए एक रास्ता पशस्त करता है. एक कम जनाधार वाली पार्टी की हैसियत से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का राजनीतिक मामलों, खासतौर पर वोटिंग और लोकतांत्रिक प्रणाली में बदलाव को लेकर, उसका रवैया हमेशा से सख्त रहा है. लिहाज़ा वर्ष 2011 में जैसे ही गठबंधन सरकार सत्ता में आई ब्रिटिश संसद ने फिक्स्ड-टर्म पार्लियामेंट एक्ट-2011 पारित कर दिया. इस एक्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि ब्रिटेन में हर पांच साल बाद मई महीने के पहले बृहस्पतिवार को चुनाव होंगे. सत्ता में बैठी सरकार को हटाकर नए चुनाव तभी करवाए जा सकते हैं जब संसद के दो तिहाई सदस्य (जिनमें अनुपस्थित सदस्य भी शामिल हैं) समय से पहले चुनाव कराने का प्रस्ताव पारित कर दें या इसी बहुमत से सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें. यदि पंद्रह दिन के अंदर सरकार इस प्रस्ताव को दो तिहाई बहुमत से गिराने में नाकाम हो जाती है तो चुनाव में जाने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचता है. लिहाज़ा जब तक दो तिहाई सांसद नये चुनाव नहीं कराना चाहेंगे, तब तक हर एक सरकार अपने पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी. यह बहुत ही सख्त लेकिन तर्कसंगत क़ानून है.

भारतीय परिप्रेक्ष्य में दो तिहाई की बहुमत को संशोधित करके 60 प्रतिशत तक लाया जा सकता है. कहने का तात्पर्य यह है कि चुनी हुई सरकार को आसानी से बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए. यूनाइटेड किंगडम की यह नीति इस क्षेत्र की दूसरी संसदों पर लागू नहीं होती, क्योंकि वेस्टमिनिस्टर स्थित संसद के पास इसका अधिकार नहीं है. भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो धारा-356 की पुनर्समीक्षा कोई गलत बात नहीं होगी. ■

भारत का लोकतंत्र ब्रिटिश संसद के मॉडल पर निर्मित हुआ है, जहां सरकारें अविश्वास मत से हटाई जा सकती हैं. इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि सरकार को संसद (जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है) का समर्थन हासिल है या नहीं. यदि सरकार को संसद का समर्थन हासिल नहीं होता तो उसे सत्ता छोड़नी पड़ती है और नए चुनाव कराने होते हैं. केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ कराना तभी संभव है जब एक बार चुनी हुई सरकार कम से कम पांच वर्ष तक सत्ता में बनी रहे, चाहे उसे संसद/विधानसभा का समर्थन हासिल हो या नहीं, लेकिन ऐसा करना लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध लगेगा.

feedback@chauthiduniya.com

वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

The Most Cost Effective Builder in India

4 से 50 लाख तक में घर

Customer Care : 080 10 222222

www.vastuvihar.org

आधा दर्जन जल मंत्री देने के बाद भी प्यासा है मगध

मगध के पांच जिलों में भीषण जलसंकट

सुबील सौरभ

मगध अपनी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही इसके सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व भीषण जलसंकट के कारण गौण हो जाते हैं. पिछले तीन दशक से मगध से जीतकर विधानसभा जाने वाले विधायकों में आधा दर्जन ऐसे रहे जो सूबे के जल संसाधन मंत्री(पीएचईडी) हुए. लेकिन इसके बावजूद मगध की प्यास बुझाने की बात तो दूर, यहां की प्यास को कम भी नहीं किया जा सका. इस समय मगध के पांच जिलों गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और नवादा में भीषण जलसंकट है. मगध के पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले गावों के ग्रामीण जलसंकट की समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हैं. सरकार की ओर से जलसंकट दूर करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं. सरकार को जानकारी है कि मगध के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी है और यहां प्रतिदिन कितने पानी की जरूरत है. लेकिन बावजूद इसके संबंधित विभागों द्वारा गर्मी शुरू होने के पूर्व जलसंकट की समस्या को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते. जब गर्मी का मौसम शुरू होते ही जलसंकट की समस्या उत्पन्न होती है, तब जाकर विभाग और अधिकारियों की नींद खुलती है. उसके बाद आनन-फानन में हैंडपम्पों, प्याऊं एवं जलापूर्ति केंद्रों की मरम्मत के लिए विभागीय अधिकारियों में सुगबुगाहट शुरू होती है.

1980 के बाद मगध के कई ऐसे विधायक हुए जिनके पास लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग रहा, लेकिन उन्होंने मगध की प्यास बुझाने के लिए कोई उपाय नहीं किए. जिसका नतीजा है कि वर्तमान समय में मगध भीषण जलसंकट का सामना कर रहा है. गया जिले के मुफ्फसिल विधानसभा क्षेत्र तथा वर्तमान में वजीरगंज के विधायक अवधेश कुमार सिंह राज्य में कांग्रेस के अंतिम सरकार में जल संसाधन मंत्री (पीएचईडी) हुआ करते थे. इसी प्रकार बेलागंज एवं जहानाबाद के पूर्व विधायक अभिराम शर्मा भी कुछ दिनों के लिए जलसंसाधन मंत्री बने थे. मगध के कई

विधानसभा क्षेत्रों से जीतने वाले स्व. रामाश्रेय प्रसाद सिंह भी लंबे समय तक जल संसाधन मंत्री रहे. इसी प्रकार बिहार में बनी एनडीए की सरकार में गया शहर के विधायक डॉ प्रेम कुमार को भी सूबे में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की कमान सौपी गई थी. इस समय राजद-जदयू की सरकार में भी जहानाबाद के घोषी विधानसभा से जीतने वाले कृष्ण नंदन वर्मा सूबे के जल संसाधन मंत्री हैं और साथ ही गया जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं. लेकिन इनमें से किसी ने भी जनहित में पेयजल संकट को दूर करने के लिए कोई कारगार योजना नहीं बनाई, जिसकी वजह से गर्मी का मौसम शुरू होते ही मगध के लोगों के सामने भीषण जलसंकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. अगर देखा जाए, तो गया और बोधगया अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है. लेकिन इन दोनों शहरों में यहां के लोगों के साथ देश-दुनिया से आने वाले पर्यटकों व तीर्थयात्रियों को भी जलसंकट का सामना करना पड़ता है. गया जिले के फतेहपुर, टनकुप्पा, वजीरगंज, अतरी, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, बाराचट्टी, मोहनपुर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में पानी के लिए हाहाकार मचा है. लोगों को किसी तरह पीने का पानी उपलब्ध हो पा रहा है. नवादा जिले के कौआकोल, पकरीबरावां, गोविंदपुर, अकबरपुर, रजौली जैसे प्रखंडों के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में भीषण जलसंकट है. औरंगाबाद जिले के मदनपुर, रफीगंज, देव आदि प्रखंडों में पेयजल संकट बरकरार है. जहानाबाद व अरवल जिले के शहरी क्षेत्रों में भी जलापूर्ति की बेहतर व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ रहा है. साढ़े पांच लाख की आबादी वाले गया नगर निगम क्षेत्र में तमाम प्रयासों के बाद भी अधिकतर वार्डों में जलसंकट की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. जबकि गया नगर-निगम क्षेत्र में पंपिंग स्टेशन व जलापूर्ति केंद्र हैं. इसके अलावा 160 प्याऊं और विभिन्न योजनाओं से लगाए गए एक हजार हैंडपम्प भी हैं. लेकिन गया नगर निगम के दायरे में आने वाली आधी आबादी को जलापूर्ति नहीं की जा रही है. गया नगर-निगम क्षेत्र के दर्जन भर ऐसे मुहल्ले हैं जिन्हें ड्राईजोन माना जाता है. कुछ वर्ष पूर्व गया शहर के ड्राईजोन वाले इलाकों में जलापूर्ति के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से किर्लोस्कर कम्पनी को ठेका दिया गया था. लेकिन कम्पनी ने ठीक से काम नहीं किया, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में गर्मी के दिनों में जलसंकट की स्थिति जस की तस है.

गया शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस शहर के जलसंकट को दूर करने के लिए 160 करोड़ की राशि दी है. इस राशि से आने वाले अगले 6 वर्षों में जलसंकट की समस्या को दूर करने के लिए बनी योजना को पूरा करना है. इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2016 से होगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य गया शहर के प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे और सातों दिन 135 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध कराना है. इसके लिए सभी घरों में वाटर मीटर का कनेक्शन दिया जाएगा. इसका शुल्क वाटर मीटर लेने वाले उफभोक्ताओं को देना होगा, जिससे गया शहर में पानी की बर्बादी पर रोक लगाई जा सके. गया शहर में आबादी के हिसाब से 65 मिलियन लीटर पानी की आवश्यकता है, जबकि आपूर्ति मात्र 33 मिलियन लीटर हो रही है. गया शहर में 1913 में जब पेयजल आपूर्ति की शुरुआत हुई थी, तब मात्र 6 फीट बोरिंग करने पर ही पानी निकल जाता था. लेकिन वर्तमान समय में गया शहर का भूमिगत जल इतना नीचे चला गया है कि 300 फुट तक बोरिंग कराने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है.

विशेषज्ञों का मानना है कि गया शहर में तेजी से मकानों की संख्या बढ़ रही है और हर घर में समरसिबल लगाया जा रहा है. जिसके कारण गर्मी का मौसम शुरू होते ही इस शहर में जलसंकट उत्पन्न हो जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार मगध की जीवन रेखा माने जाने वाली फल्गू नदी का पानी अच्छा माना जाता था और इसके किनारे बसे लोगों को कुछ फीट बोरिंग करने के बाद ही पानी मिल जाता था. लेकिन वर्तमान में फल्गू नदी के अतिक्रमण और नदी में कूड़े फेंके जाने की वजह से उसका पानी भी प्रदूषित हो गया है. जिसकी वजह से लोगों के लिए पेयजल के भीषण संकट के साथ-साथ प्रदूषित पानी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है. गया शहर में दर्जनों तालाब और सरोवर थे, लेकिन तालाबों का अस्तित्व समाप्त हो गया है और बाकी बचे तालाबों का भी अतिक्रमण किया जा रहा है. राज्य सरकार को मालूम है कि जिस प्रकार बारिश के मौसम में उत्तर बिहार के लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, तो उसी प्रकार मगध की जनता को गर्मी का मौसम आते ही भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ता है. उत्तर बिहार की बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए पहले ही पूरी तैयारी की जाती है, लेकिन मगध क्षेत्र में गर्मी के मौसम में उत्पन्न होने वाले भीषण जलसंकट को दूर करने के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है. जिसकी वजह से मगध की जनता को हर वर्ष गर्मी के मौसम में भीषण जलसंकट का सामना करना पड़ता है.■

feedback@chauthiduniya.com

मगध मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने दी चेतावनी

नहीं सुधरे तो जाएगी मान्यता

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

दक्षिण बिहार के एक मात्र अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पर अब मान्यता समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा है. संसाधनों की कमी, सीनियर व जूनियर डाक्टरों की लापरवाही एवं स्वास्थ्य कर्मियों के ड्यूटी से लापता होने की वजह से अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल आज दुर्गति के कगार पर है. इस मेडिकल कॉलेज के संस्थापक पूर्व मंत्री स्व. डॉ. विजय कुमार सिंह का सपना था कि मगध मेडिकल कॉलेज एशिया के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेजों में हो. उनकी इस सोच को डॉ. विजय कुमार सिंह के मामा एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सत्येंद्र नारायण सिन्हा उर्फ छोटे साहब का समर्थन प्राप्त था. एक समय यह मेडिकल कॉलेज अपने बेहतर फैकल्टी और

यह मेडिकल कॉलेज इलाज को छोड़कर अपने दूसरे कारनामों के लिए चर्चित रहा है. जूनियर डाक्टरों के छात्रावास में आला के बदले रॉड, हॉकी स्टिक, अवैध रूप से छोटे-मोटे हथियार भी रखे जाने की बातें भी सामने आ चुकी है. मरीजों के परिजनों के साथ यहां के जूनियर डॉक्टरों का व्यवहार बहुत खराब रहता है. बात-बात पर यहां के जूनियर डॉक्टर हॉकी स्टिक निकाल लेते हैं. बाद में पता चला कि ऐसे जूनियर डॉक्टरों में कई मुन्नाभाई थे. उनके खिलाफ फर्जी तरीके से नामांकन कराने की वजह से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

मरीजों के इलाज के लिए तमाम तरह की सुविधाओं की वजह से पूरे मध्य बिहार में चर्चित हो गया था. लेकिन तब तक इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण बिहार सरकार ने कर लिया और सरकार के अधिग्रहण करते ही इसकी हालत खराब होने लगी.

कई बार मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) की टीम ने मेडिकल कॉलेज को चेतावनी देते हुए कहा था कि अपने व्यवस्थाओं में सुधार नहीं लाएंगे, तो अतिरिक्त सीटों के कोटा को समाप्त कर दिया जाएगा. लेकिन इसके बावजूद मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक और प्राचर्य ने व्यवस्थाओं को सुधारने पर कोई ध्यान नहीं दिया. 20 अप्रैल 2016 को एमसीआई की तीन सदस्यी टीम जब अचानक मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची, तो हड़कम्प मच गया. इस टीम ने सबसे पहले कॉलेज में पढ़ाने वाले डाक्टरों की सूची मांगी और सभी विभागों की व्यवस्था देखने के लिए कहा. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक और प्राचार्य ने अपने स्तर से प्रयास किया कि यह टीम बैठी रहे और हम लोगों से रिपोर्ट मांग ले, लेकिन जब तीन सदस्यीय टीम ने सभी विभागों की व्यवस्था देखने के लिए अधीक्षक के साथ घुमने की बात कही तो कुछ लोगों ने प्रयास किया कि टीम को समझाकर वापस भेज दिया जाए. एमसीआई की टीम निरीक्षण के लिए निकली, तो टीम ने अधिकतर विभागों को बंद पाया. बाद में जब कई विभागों को खोलकर देखा गया, तो इन विभागों में गंदगी का अंबार लगा हुआ था. जब टीम के सदस्यों ने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी चाही, तो कोई भी स्वास्थ्यकर्मी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया.

इस मेडिकल कॉलेज में 50 स्थायी सीटें हैं और 50 अस्थायी सीटों का आवंटन एमसीआई ने किया था. लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को देखते हुए पिछले साल ही एमसीआई की टीम ने मेडिकाल कॉलेज के सभी विभागों में सुधार करने के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं को ठीक करने का निर्देश दिया था. एमसीआई की टीम ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद अस्पताल के अधीक्षक व कॉलेज के प्राचार्य से संसाधनों, मशीनरी, फैकल्टी व बेडों की संख्या की रिपोर्ट मांगी. हालांकि मेडिकल कॉलेज में कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम भी चल रहा है. जिसमें प्रशासनिक भवन बनकर तैयार हो चुका है. इसके अलावा पीजी छात्रावास, प्राचार्य आवास, 66 सीनियर रेजिडेंट क्वार्टर का निर्माण चल रहा है. इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में और भी कई कार्य हो रहे हैं. लेकिन इस बार एमसीआई की टीम ने मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल की दुर्गति देखकर बिफर पड़ी. टीम ने व्यवस्थाओं को ठीक करने का निर्देश देते हुए सवाल किया कि क्या ऐसा भी कोई मेडिकल कॉलेज होता है? अब यह देखना होगा कि एमसीआई की टीम क्या रिपोर्ट देती है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट पर ही मगध मेडिकल कॉलेज का भविष्य टिका है.

एमसीआई की टीम में बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज के डॉ शुभेंदू दास गुप्ता, विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉ मरियाज और वर्द्धमान मेडिकल कॉलेज के डॉ. उत्पल दास शामिल थे. टीम के इन सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को देखकर बहुत नाराजगी जताई. नाराजगी की महत्वपूर्ण वजह यह थी कि सुबह 11 बजे तक यहां पर पद स्थापित 50 प्रतिशत डॉक्टर अनुपस्थित थे और इसकी वजह से कर्मचारी भी समय पर नहीं आते हैं. इस बात की शिकायत टीम के सदस्यों को मिली. हालांकि यह मेडिकल कॉलेज इलाज को छोड़कर अपने दूसरे कारनामों के लिए चर्चित रहा है. जूनियर डाक्टरों के छात्रावास में आला के बदले रॉड, हॉकी स्टिक, अवैध रूप से छोटे-मोटे हथियार भी रखे जाने की बातें भी सामने आ चुकी है. मरीजों के परिजनों के साथ यहां के जूनियर डॉक्टरों का व्यवहार बहुत खराब रहता है. बात-बात पर यहां के जूनियर डॉक्टर हॉकी स्टिक निकाल लेते हैं. बाद में पता चला कि ऐसे जूनियर डॉक्टरों में कई मुन्नाभाई थे. उनके खिलाफ फर्जी तरीके से नामांकन कराने की वजह से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. जिसकी वजह से मुन्नाभाई मेडिकल कॉलेज छोड़कर भाग गए. इसके अलावा अन्य कई अवसरों पर भी यहां के जूनियर डॉक्टर मरीजों और उनके परिजनों के साथ चिकित्सक नहीं, बल्कि अपराधी की तरह व्यवहार करते हैं. अब यह देखना है कि एमसीआई की रिपोर्ट आने के बाद मगध मेडिकल कॉल की मान्यता छिनती है या अस्थायी 50 सीटें.■

CRM
TMT BAR

ISO 9001 - 2000 Certified Co.
IS:1786:2008
CM/L-5746178

Fe-500
मुख्य खूबियाँ
• बचत
• मजबूती
• शानदार फिनीश

Mfg. : CITY ROLLING MILLS PVT. LTD., PATNA
HELPLINE : 0612-2216770

शराबबंदी

लग्न खत्म पर नहीं दिखा नागिन डांस

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि अगर शासन की कमान मिली तो राज्य में शराबबंदी को लागू किया जाएगा. चुनाव बाद किए गए अपने वादे पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री ने एक अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी. प्रशासनिक तंत्र के अलावा सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया गया और सभी ने शराबबंदी कानून को लागू करने में अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ी. सरकार नशा का आदि हो चुके लोगों को होने वाली संभावित परेशानियों को लेकर पहले ही आवश्यक कदम उठा चुकी थी. सभी जिलों के अस्पतालों में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना कर दी गई. जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में शराबी पहुंच रहे हैं और संबंधित डॉक्टर से संपर्क कर आवश्यक दवाएं भी ले रहे हैं.

ब्रजेश कुमार

सूबे में एक अप्रैल से लागू शराबबंदी का असर अब साफ तौर पर देखा जाने लगा है. शाम ढलते ही शराबियों के आतंक से परेशान होने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है. चौक व चौराहों पर शांति का साम्राज्य स्थापित होने लगा है. आपराधिक वारदातों व वाहन दुर्घटनाओं में बहुत हद तक कमी आई है. सामाजिक स्तर पर जहां बुजुर्गों को सम्मान मिलने लगा है, तो वहीं महिलाओं ने राहत की सांस ली है. अब जरूरत है सरकार द्वारा लागू पूर्ण शराबबंदी कानून को कायम रखने की. चर्चा है कि उत्तर बिहार का भारत-नेपाल सीमांचल क्षेत्र अब भी चोरी छिपे घूंट मार रहा है. कानूनी घेराबंदी की वजह से फिलहाल कोई नशा करने के बाद बाहर निकल नहीं रहा है. मगर इस दिशा में मामूली प्रशासनिक ढिलाई सरकारी घोषणा की हवा निकालने में कामयाब भी हो सकती है. इसे शराबबंदी की उपलब्धि कहिए या फिर सोच बदलने का दबाव. इस बार बारात के मौसम में प्रचलित नागिन डांस भी देखने को नहीं मिला. आखिर चार मई की लग्न भी बीत गई, लेकिन नागिन डांस देखने को लोगों की आंखें तरस गईं.

अहम सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार इस कानून को लागू रख पाने में सफल होगी? कारण यह है कि कई ऐसे रास्ते अब भी बचे हैं, जिसके जरिए सरकार के इस कानून को तोड़ा जा सकता है. यह अलग बात है कि कानून तोड़ना आसान नहीं है. लेकिन कानून तोड़ने की आशंका से इंकार भी नहीं किया जा सकता है. दूसरा यह कि उत्तर बिहार के कई जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हैं. जहां शराब के कारोबारी किसी न किसी तरह से अपना कारोबार चला रहे हैं.

दरअसल बिहार में ही नहीं बल्कि सभी हिंदी भाषी प्रदेशों में बाराती शराब के नशे में नागिन डांस करके बाराती और घराती दोनों के आकर्षण का केंद्र बनते हैं. लेकिन बिहार में शराबबंदी की वजह नागिन डांस अब बंद हो गया है. कभी-कभी यह डांस मारपीट का भी कारण बन जाया करता था. लेकिन सूबे में पूर्ण शराबबंदी के कारण इस बार लोगों ने राहत की सांस ली. गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की थी कि अगर शासन की कमान मिली तो राज्य में शराबबंदी को लागू किया जाएगा. चुनाव बाद किए गए अपने वादे पर अमल करते हुए मुख्यमंत्री ने एक अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी. प्रशासनिक तंत्र के अलावा सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया गया और सभी ने शराबबंदी कानून को लागू करने में अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ी. सरकार ने नशा का आदि हो चुके लोगों को होने वाले संभावित परेशानियों को लेकर पहले ही आवश्यक कदम उठाया. सभी जिलों के अस्पतालों में नशामुक्ति केंद्र की स्थापना कर दी. जहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में शराबी पहुंच रहे हैं और डॉक्टर से संपर्क कर आवश्यक दवाएं भी ले रहे हैं. आवश्यकतानुसार कुछ मरीजों को अस्पताल के उक्त वार्ड में भर्ती कर इलाज भी किया जा रहा है.

अब एक अहम सवाल यह है कि क्या बिहार सरकार इस कानून को लागू रख पाने में सफल होगी? कारण यह है कि कई ऐसे रास्ते अब भी बचे हैं, जिसके जरिए सरकार के इस कानून को तोड़ा जा सकता है. यह अलग बात है कि कानून तोड़ना आसान नहीं है. लेकिन कानून तोड़ने की आशंका से इंकार भी नहीं किया जा सकता है. दूसरा यह कि उत्तर बिहार के कई जिले नेपाल की सीमा से जुड़े हैं. जहां शराब के कारोबारी किसी न किसी तरह से अपना कारोबार चला रहे हैं और वे इससे बाज भी आने वाले नहीं हैं. उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा समेत कई जिले ऐसे हैं जो नेपाल सीमा से लगे हैं. भारत और नेपाल की खुली सीमा होने की वजह से इन क्षेत्रों में अवैध कारोबारी हमेशा सक्रिय रहे हैं. वर्तमान में सीमा पर तैनात एसएसबी की सक्रियता भी देखी जा रही है. मगर यह कितने दिनों तक कायम रह पाएगी, इसको लेकर अंदेशा बना हुआ है. जानकारों की माने तो एसएसबी बहुत अधिक दिनों तक भारत-नेपाल सीमा पर शराबबंदी को लेकर जारी फरमान पर अमल नहीं कर सकती. वजह यह है कि सीमा क्षेत्र में सक्रिय कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए एसएसबी के खिलाफ साजिश करते हैं और साजिश के तहत ग्रामीणों को भड़काकर अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं. एसएसबी की कहीं न कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से उसे ऐसे लोगों के साथ समझौता कर काम करना पड़ता है. अगर एसएसबी की समझौतावादी विचार धारा कारगर हुई तो उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में नेपाली शराब आसानी से उपलब्ध होने लगेगी. जिसका असर बिहार सरकार द्वारा लागू किए गए शराबबंदी कानून पर पड़ेगा. वैसे वर्तमान में एसएसबी की सख्ती सीमा पर देखी जा रही है. हांलाकि सीमावर्ती जिला सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी राजीव रौशन, एसपी हरि प्रसाथ एस एवं शिवहर जिला पदाधिकारी राजकुमार और एसपी प्रकाशनाथ मिश्र ने शराबबंदी को पूर्णतः लागू कराने को लेकर कई आवश्यक कदम उठाये हैं. इन जिलों में तो गांव की गलियों तक प्रशासन की पैनी नजर घुम रही है. वहीं दूसरी तरफ बिहार में मौजूद आर्मी कैंटीनों पर भी सख्त पहरे की दरकार है. वजह यह है कि शराबबंदी के बाद शराबियों की नजरें रिटायर्ड सैनिकों के शराब कोटे को तलाशने लगी हैं. बिहार में दानापुर सैनिक छावनी के अलावा मुजफ्फरपुर में मौजूद सेना के कैंटीन समेत एसएसबी कैंटीन पर भी उक्त लोगों की नजरे हैं. सैनिकों को मिलने वाले प्रतिमाह शराब के कोटे को लेकर जाल फैलाया जाने लगा है. संभव है अगर इस दिशा में शराबियों को कुछ भी सफलता मिली तो सरकारी कानून लागू करने का मतलब नहीं रह जाएगा. इसके अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों की जांच नियमित कराने की आवश्यकता है. खासकर व्यवसायिक वाहनों पर पैनी नजर रखना जरूरी है.

वर्तमान में बिहार में पूर्ण शराबबंदी का असर है कि सामाजिक स्तर पर लोगों में एकजुटता बढ़ने लगी है. समाज के बुजुर्गों ने जो दशकों की सामाजिक परंपरा से खुद को अलग- थलग कर लिया था. अब उनकी सक्रियता भी समाज में नजर आने लगी है. शराबबंदी का आलम यह है कि युवा वर्ग भी अब नशा सेवन से दूर होने लगा है. शादी समेत अन्य मांगलिक अवसरों पर शराबियों का हंगामा थम गया है. बारातों में फिल्मी गीतों की धून पर थिरकने वाले युवाओं के पैरों में शराबबंदी की बेड़िया लग गई हैं. वहीं महिलाओं में उत्साह के साथ सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है. अब जरूरत है इस कानून को कायम रखने की. बिहार में लागू शराबबंदी कानून की सफलता सूबे के सामाजिक परिवेश को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है. नशे की लत की वजह से अपराध के दल-दल में फंस रहे युवाओं को नई दिशा मिलेगी और अपराध की घटनाओं पर भी रोक लगेगी. गरीबों की बस्ती में खुशहाली और बच्चों की किलकारियां भी गूंजेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मै क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करू? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्कटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

अति मासिक के प्रति महिलाओं में जागरूकता जरूरी

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

DR. RAKHI SINGH (GYNO)
M.S.M. HOSPITAL, PHULWARISARIF PATNA

डॉ. राखी सिंह फुलवारीशरीफ में कार्यरत हैं और उनका मानना है कि अति मासिक (ज्यादा रक्त स्राव) की समस्या के प्रति महिलाओं में जागरूकता जरूरी है। उनका मानना है कि आजकल हर तीन में से एक महिला इससे ग्रसित है। उन्होंने बताया कि एक स्वस्थ्य नारी की पहचान उसके मासिक धर्म के नियत समय पर होना है। इसका चक्र 28 दिनों का होता है और 50 के उम्र के आसपास बन्द हो जाता है। डॉ. राखी ने आगे बताया कि निशिचित समय पर या मासिक अन्तराल पर औरतों में होने वाले अति रक्त प्रवाह को जो लम्बे समय तक होता है उसे मेनोराजिया कहते हैं (जब रक्त 80 एम.एल. या 7 से 8 दिनों तक हो) सामन्य तौर पर यह समझा जा सकता है कि मासिक धर्म के समय अतिरक्त स्राव हो तो आप एक अच्छे ग्यानोकोलोजिस्ट से सम्पर्क करें और इसका इलाज करायें इसके कारणों के बारे में उन्होंने बताया :- 1) डीयूबी अर्थात डिस्फंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग-असमय और ज्यादा रक्त स्राव जो बिना प्रेग्नेन्सी, इन्फेक्सन/ट्रामा और बिना ग्रोथ के हो तो उसक DUB कहते है। 2) बच्चेदानी में फाइब्राइड- यह एक प्रकार का गांठ है जो बच्चेदानी के किसी भी हिस्से में हो जाता है और अधिक रक्तस्राव का कारण बनता है। 3) बच्चेदानी का रोग- फोकल आउट ग्रोथ (पॉलिप) जो बच्चेदानी के किसी भी हिस्से में हो सकता है और अति रक्त स्राव का कारण बनता है। 4)हाइपरप्लासिया इन्डो- इस केस में भी अति रक्त स्राव हो सकता है। 5) फिजिकल हाइपरप्लासिया- एक प्रकार का बच्चेदानी का कैंसर, उपचार और तरीके- ट्रान्स भेजिनल अल्ट्रासाउन्ड, कराके सर्जरी व अन्य तरीके से इसका उपचार किया जाता है। इनका मानना है कि बच्चे एक या दो ही रखें इससे अधिक होने पर भी अति रक्तस्राव की समस्या हो सकती है बच्चेदानी में संक्रमण न पकड़ने दें। इसके लिए मासिक पिरियड के समय पैड का प्रयोग करें। यदि देहात में हैं तो साफ सूती कपड़े को गर्म पानी में उबालकर फिर सूखा कर ही इसे प्रयोग करें। डॉ. राखी ने महिलाओं को सलाह देते हुआ बताया कि इसके प्रति सजग रहें और मासिक की अनियमितता के अलावा यदि अति रक्तस्राव की समस्या है तो तुरन्त अच्छे ग्यानोकॉलोजिस्ट से सम्पर्क करें। ■ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.

A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil

Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus

Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg

Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

मुलायम के मुख्यमंत्रित्वकाल का फैसला बदलेंगे मौजूदा मुख्यमंत्री अखिलेश

कहीं कोई और न उपकृत हो जाए!

जेपी समूह को दी गई ढाई हजार एकड़ वनभूमि वापस लेगी सरकार

शिवदास

उत्तर प्रदेश में उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का सियासी गठजोड़ नया रंग लेने लगा है. पूंजीपतियों और सरकार के ताजा समीकरण का ही परिणाम है कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में लिए गए फैसले को खारिज करने की तैयारी कर रहे हैं. जेपी समूह को दी गई 2500 एकड़ वनभूमि वापस लेने की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही में घोषणा की है. इस संबंध में उन्होंने उसे नोटिस जारी करने का दावा भी किया. राज्य सरकार इस मामले की जांच के लिए चार विभागों के प्रमुख सचिवों की जांच कमेटी बना रही है जो जेपी समूह को गलत ढंग से 2500 एकड़ वनभूमि देने के मामले की जांच करेगी और इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी करेगी. सोनभद्र में जेपी समूह की सहयोगी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) को गलत ढंग से करीब 2500 एकड़ वनभूमि आवंटित करने के मामले में राज्य की अखिलेश सरकार की इस तत्परता के गहरे निहितार्थ हैं. सर्वविदित है कि ऐसे मामलों में उद्योगपतियों का सियासी गठजोड़ काम करता है. इस मामले में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है. इसे समझने के लिए जेपी समूह की सहयोगी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और आदित्य बिड़ला समूह की सहयोगी कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बीच हुए हालिया करारों पर गौर करने की जरूरत है.

भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी का दावा करने वाली अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के कंपनी सचिव एसके चटर्जी ने 28 फरवरी 2016 को बीएसई लिमिटेड को पत्र लिखकर सूचना दी है कि कंपनी ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 22.4 एमटीपीए (मिलियन टन प्रति वर्ष) क्षमता वाली जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड समेत) की कुल 12 सीमेंट इकाइयों के अधिग्रहण के समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है. इसमें सोनभद्र के डाला स्थित जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड की 2.1 एमटीपीए क्लिंकर और 0.5 एमटीपीए सीमेंट उत्पादन क्षमता वाली एकीकृत डाला यूनिट के साथ 2.3 एमटीपीए क्लिंकर उत्पादन क्षमता वाली जेपी सुपर यूनिट (उत्पादनहीन) भी शामिल है. जेपी ग्रुप की महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन) मधु पिल्लई ने भी उक्त तिथि को जारी अपनी प्रेस रिलीज में इस बात की पुष्टि की है. सुश्री पिल्लई ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में कंपनी की 18.40 एमटीपीए क्षमता वाली उत्पादनरत इकाइयों के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड से कुल 16,500 करोड़ रुपये में करार हुआ है. इसके अलावा वह उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन की प्रक्रिया में फंसी एक ग्राइंडिंग यूनिट का मामला हल होने पर 470 करोड़ रुपये अलग से कंपनी को देगी. इस यूनिट का मामला खनिजों के खनन पट्टों के हस्तांतरण के नियमों की पेचीदगी की वजह से लटका पड़ा है जिसमें केंद्र सरकार संशोधन करने की तैयारी में है.

उपरोक्त समझौते में ही सूबे की अखिलेश सरकार की तत्परता का राज छिपा है. हालांकि वह उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के दबाव और जेपी समूह द्वारा अवैध खनन करने का हवाला देकर इस सियासी राज को दबाये रखना चाहती है. इसकी जांच की आड़ में एक तरफ जेपी समूह को अधिग्रहण पूरा होने तक फायदा पहुंचाना चाहती है तो दूसरी ओर बिड़ला ग्रुप से उत्तर प्रदेश में अपना सियासी गठजोड़ साधना चाहती है.

अगर राज्य सरकार अपने दावे के अनुसार जेएएल से खनन पट्टों वाली कुल 2500 एकड़ वनभूमि वापस ले लेती है तो उसकी यह कार्रवाई बिड़ला ग्रुप की अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के लिए परेशानी बन सकती है. अल्ट्राटेक को लाइम स्टोन के लिए अन्य प्रदेशों का रुख करना पड़ सकता है या फिर उसे इन खनन पट्टों को राज्य सरकार से नई शर्तों के साथ हासिल करना पड़ेगा जो आसान नहीं होगा. इन्हें हासिल करने के लिए उसे उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ एनजीटी और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनुमति लेनी होगी. साथ ही उसे एनपीवी के रूप में राज्य सरकार को अरबों रुपये देने होंगे.

दरअसल यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएससीसीएल) के अधीन चुर्क, डाला और चुनार सीमेंट फैक्ट्रियों की बिक्री और उसकी संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है जो मिर्जापुर-सोनभद्र के जंगली और पहाड़ी इलाकों में स्थित हैं. नब्बे के दशक में कंपनी को करोड़ों रुपये का घाटा हुआ था. मामला उच्च न्यायालय पहुंचा. इसके आदेश पर 8 दिसंबर, 1999 को तीनों फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया और उनकी बिक्री के लिए ऑफिशियल लिक्विडेटर की तैनाती कर दी गई. वर्ष-2006 में यूपीएससीसीएल की संपत्तियों की वैश्विक निविदा में जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड ने 459 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर उसकी संपत्तियों को खरीद लिया. उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में उसने सूबे की सत्ता में काबिज नुमाइंदों और जिला प्रशासन की मिलीभगत से वनभूमि पर उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम के नाम से आवंटित खनन पट्टों को गलत ढंग से अपने

नाम करा लिया और उस पर कब्जा कर खनन करने लगा.

उद्योगपतियों और राजनीतिज्ञों के इस सियासी पैतरे को और बेहतर ढंग से समझने के लिए पूर्ववर्ती सपा सरकार के दौरान जेएएल को गलत ढंग से आवंटित की गई 1083.231 हेक्टेयर (करीब 2500 एकड़) वन भूमि की पूर्व जांच रिपोर्टों पर गौर करने की जरूरत है. विंध्याचल मंडल के तत्कालीन मंडलायुक्त सत्यजीत ठाकुर की ओर से गठित जांच कमेटी और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ के तत्कालीन वन संरक्षक वाईके सिंह चौहान की जांच रिपोर्टें भी उक्त आरोपों की पुष्टि करती हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देश पर विंध्याचल मंडल के तत्कालीन आयुक्त सत्यजीत ठाकुर ने वर्ष 2007 में इस मामले की जांच के लिए विंध्याचल मंडल के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) डॉ. डीआर त्रिपाठी, वन संरक्षक आरएन पांडे और संयुक्त विकास आयुक्त एसएस मिश्रा की संयुक्त जांच टीम गठित की थी. टीम ने 16 जून 2008 को अपनी जांच रिपोर्ट मंडलायुक्त को सौंप दी. इसमें साफ लिखा है कि सोनभद्र के मकरीबारी, कोटा, पड़रछ और पनारी गांवों के सात मामलों में भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के तहत अधिसूचित 1083.231 हेक्टेयर वनभूमि को जेएएल के पक्ष में हस्तांतरित करने का ओबरा वन क्षेत्र के तत्कालीन वन बंदोबस्त अधिकारी वीके श्रीवास्तव का आदेश गैरकानूनी और अमान्य है. इसके लिए वे दोषी हैं. जांच रिपोर्ट में टीम ने उनके खिलाफ दंडात्मक एवं आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई करने की सिफारिश की है. इस संबंध में विंध्याचल मंडल के तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त जीडी आर्य ने क्षेत्र के प्रमुख वनसंरक्षक को पत्र लिखकर वीके श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन दोषी अधिकारी के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई.

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तत्कालीन वन संरक्षक (मध्य क्षेत्र) वाईके सिंह चौहान ने भी इस मामले में तत्कालीन मंडलायुक्त की जांच रिपोर्ट को सही ठहराया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के तत्कालीन सदस्य सचिव एमके जीवराजका को प्रेषित पत्र में लिखा है कि तत्कालीन वन बंदोबस्त अधिकारी वीके श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ राजस्व अभिलेख में भारतीय वन अधिनियम-1927 की धारा-4 के तहत अधिसूचित संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि के कानूनी स्वरूप को ही बदल दिया. इसके लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश में उल्लेखित अंश का हवाला भी दिया है.

वन संरक्षण अधिनियम-1980 भविष्य में वनों की कटाई, जो पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा करता है, को रोकने की दृष्टि से लागू किया गया था. इसलिए वन संरक्षण और इससे जुड़े मामलों के लिए इस कानून के तहत बनाए गए प्रावधानों को स्वामित्व की प्रकृति या उसके वर्गीकरण की परवाह किए बिना लागू किया जाना चाहिए. वन शब्द को शब्दकोष में उल्लेखित उसके अर्थ के अनुसार ही समझा जाना चाहिए. यह व्याख्या कानूनी रूप से मान्य सभी वनों पर लागू होती है चाहे वे संरक्षित और सुरक्षित हों या फिर वन संरक्षण अधिनियम के खंड-2 (1) के तहत हों. खंड-2 में उल्लेखित वन भूमि में शब्दकोष में उल्लेखित वन ही शामिल नहीं होगा, बल्कि इसमें स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी दस्तावेजों में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र शामिल होगा. वाईके सिंह चौहान ने अपनी जांच रिपोर्ट में लिखा है कि इस तरह गैर-वन भूमि में बदले जाने के बाद भी संरक्षित वन भूमि का कानूनी स्वरूप नहीं बदलेगा, लेकिन वीके श्रीवास्तव ने राजस्व अभिलेख में कोटा, पड़रछ और मकरीबारी गांवों में स्थित संरक्षित वन क्षेत्र की भूमि के कानूनी स्वरूप को परिवर्तित कर दिया है. राजस्व अभिलेख में वन भूमि के कानूनी स्वरूप का परिवर्तन केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के उस आदेश का भी उल्लंघन है जो उसने 17 फरवरी, 2005 को जारी किया था. इसमें साफ लिखा है कि मकेंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राजस्व अभिलेखों में जंगल, झाड़ के रूप में दर्ज भूमि के कानूनी स्वरूप में परिवर्तन गैर-कानूनी और वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है. संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे तुरंत जंगल, झाड़, वन भूमि के कानूनी स्वरूप को बहाल करें.'

इतना ही नहीं, जेएएल सूबे की सत्ता में काबिज राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों और जिला प्रशासन का आला हुक्मरानों की मिलीभगत से संरक्षित वन क्षेत्र के साथ-साथ कैमूर वन्यजीव विहार के इलाकों में अपनी गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देता रहा. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ ने भी इसकी पुष्टि की है. केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ की स्थाई समिति ने जेएएल की कैप्टीव थर्मल पावर प्लांट की चारों ईकाइयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के योग्य नहीं पाया है. समिति की तत्कालीन सदस्य सचिव प्रेरणा बिंद्रा ने जेएएल के पावर प्लांट के प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है. पावर प्लांट की ईकाइयों के निर्माण और संचालन के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अभी तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र भी जारी नहीं किया है. इसके बावजूद जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड निर्माण कार्यों को जारी रखे हुए है और जिला प्रशासन मूक दर्शक की भूमिका निभा रहा है. जेएएल द्वारा पिछले करीब आठ सालों से करीब 2500 एकड़ संरक्षित वन भूमि पर अवैध खनन और गैर-वानिकी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जिसकी पुष्टि विभिन्न जांच रिपोर्टों में भी हो चुकी है. इसके बावजूद सूबे की सत्ता में पिछले चार साल से काबिज अखिलेश सरकार ने इस मामले में कोई तत्परता नहीं दिखाई और न ही उसने मंडलायुक्त और केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की रिपोर्टों पर कार्रवाई की. जब जेपी समूह ने डाला सीमेंट फैक्ट्री, जिसके अधीन विवादित करीब 2500 एकड़ वनभूमि वाले खनन-पट्टे आते हैं, को आदित्य बिड़ला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी को बेच दिया, तो राज्य सरकार इस वनभूमि को वापस लेने की कार्रवाई पर जोर दे रही है. ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (आईपीएफ) के संयोजक अखिलेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि जेपी समूह और समाजवादी पार्टी की नजदीकियां जगजाहिर हैं. राज्य सरकार के इस फैसले में ईमानदारी प्रतीत नहीं हो रही है. फिर भी सरकार जेपी समूह से जमीन वापस लेना चाहती है तो उसे जल्द से जल्द वापस ले लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए लेकिन जिस प्रकार से जांच कमेटी गठित किए जाने की खबरें सामने आई हैं, वह यही दर्शाता है कि इस मामले में राज्य सरकार की मंशा साफ नहीं है. जेएएल की गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ करीब 128 दिन तक अनशन करने वाले भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा के अध्यक्ष चौधरी यशवंत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार यह कदम एनजीटी और सीईसी के दबाव में उठा रही है. मुख्य सचिव के पास इसका कोई जवाब नहीं है. उन्होंने उच्चतम न्यायाल से माफी मांगी है. इसमें राज्य की सपा और बसपा सरकार के मुखिया के साथ-साथ कई प्रमुख सचिव दोषी हैं. उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए. अब इस मामले में जांच का कोई औचित्य नहीं है. मंडलायुक्त और सीईसी की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

उज्जवला योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिया में गरीबों में बांटे सिलिंडर

यूपी में डाल-डाल और पात-पात की पॉलिटिक्स तेज

पीएम ने बनारस में दिया ई-रिक्शा और ई-बोट तो अखिलेश ने लखनऊ में दिया मजदूरों को 10 रुपये में भोजन

प्रभात रंजन दीन

बलिया में उज्जवला योजना के जरिए गरीब लोगों को गैस कनेक्शन देने के बहाने चुनावी कनेक्शन जोड़ने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान के अगले ही दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बलिया पहुंच गए और घोषणा कर दी कि 2017 में सपा की सरकार बनने पर प्रत्येक गरीब महिला को पांच सौ रुपये समाजवादी पेंशन के रूप में मिलेंगे, जिससे वे गैस सिलिंडर खरीद सकेंगी. उज्जवला स्कीम शुरू करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उनकी यह घोषणा चुनावी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ-साफ कहा कि चुनाव जिताओ और पेंशन पाओ. मोदी ने मजदूर दिवस पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ई-रिक्शा और ई-बोट बांटे तो अखिलेश ने मजदूरों के लिए 10 रुपये में सम्पूर्ण भोजन की योजना शुरू कर उसे समानान्तर करने की कोशिश की.

बलिया में गरीब परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना शुरू करते हुए मोदी ने इसका श्रेय उन सवा करोड़ परिवारों को दिया जिन्होंने गैस सब्सिडी छोड़कर गरीबों के घर में एलपीजी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है. इतने साल में सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन मिला, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महज एक साल में तीन करोड़ परिवारों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया है. मोदी ने खुद को देश का नंबर वन मजदूर बताया और कहा कि 21वीं सदी का मंत्र होना चाहिए, विश्व के मजदूरों आओ हम दुनिया को एक करें. दुनिया को जोड़ने के लिए अगर कोई रसायन है तो वह है मजदूर का पसीना. मोदी ने कहा कि वे बलिया से यूपी में चुनावी बिगुल बजाने नहीं आए हैं. चुनाव का बिगुल तो मतदाता बजाते हैं. उन्होंने बलिया को इसलिए चुना, क्योंकि यहां गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले 100 में से केवल आठ परिवारों के घर में ही रसोई गैस जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ई-रिक्शा बांटकर गरीबों को तकनीक से जोड़ने की बात कही. प्रधानमंत्री ने मल्लाहों को भी ई-बोट दिए. मोदी ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि जो भी सरकारें रहीं वे वोट बैंक देख कर योजनाएं बनाती रहीं. लेकिन भाजपा सरकार गरीब-दलित और किसानों के हित में योजनाएं बना रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अगले ही दिन बलिया पहुंच कर कहा कि केंद्र सरकार ने सिलिंडर दिया तो सपा सरकार गैस खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था करेगी. उन्होंने अपने इस वक्तव्य को सीधे-सीधे चुनाव से जोड़ा और कहा कि 2017 में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हर गरीब महिला को पांच सौ रुपये की पेंशन मिलेगी, जिससे हर महीने गैस का इंतजाम हो जाएगा. अखिलेश यादव ने मोदी को यह भी सुनाया कि नीति आयोग बनने से राज्य के हितों का नुकसान हो रहा है और आयोग यूपी को कम पैसा देकर भेदभाव कर रहा है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मजदूर दिवस पर लखनऊ में सचिवालय भवन में काम कर रहे मजदूरों के साथ दोपहर का खाना खाकर मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत मजदूरों के लिए 10 रुपये में दोपहर का खाना मुहैया कराया जाएगा. इससे पहले अखिलेश ने श्रम विभाग के कार्यक्रम में मजदूरों के लिए पेंशन योजना और 10 रुपये में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की. इस मौके पर 100 मजदूरों को पेंशन के चेक और 1000 मजदूरों को साइकलें भी दी गईं.

श्रम विभाग के अधिकारी ने बताया कि भोजन देने से एक दिन पहले श्रमिकों से 10 रुपये लिए जाते हैं. इसके बाद उन्हें एक टोकन दे दिया जाता है. इसी टोकन के आधार पर उन्हें अगले दिन खाना दिया जाता है. जिले में करीब 80 हजार श्रमिक पंजीकृत हैं. आने वाले दिनों में कुछ बड़े सड़क निर्माण होने हैं. इन जगहों पर शिविर लगाकर श्रमिकों का पहले पंजीकरण किया जाएगा. भोजन योजना के तहत कार्य स्थल पर दोपहर के भोजन में मजदूरों को रोटी वाले टिफिन में 10-12 रोटी, दो सब्जी, दाल, सलाद और गुड़ मिलेगा. चावल वाले टिफिन में 400 ग्राम चावल, दाल, सब्जी, छोला, सलाद और गुड़ होगा. श्रम मंत्री शाहिद मंजूर कहते हैं कि एक टिफिन की कीमत 41 रुपये है, लेकिन मजदूरों को यह 10 रुपये में दिया जा रहा है. बाकी 31 रुपये का भुगतान सरकार अन्य स्रोतों से कर रही है. इस योजना के तहत रायबरेली रोड स्थित एनसीसी अवध विहार, हिमालयन एन्क्लेव, हजरतगंज स्थित सचिवालय विहार और लखनऊ मेट्रो भी शामिल हैं. ■

चौधरी जी! अपना बयान खुद पढ़ते हैं कि नहीं?

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व अखिलेश सरकार में मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि वर्ष 2016-17 साजिश का वर्ष होगा. वह सच बनकर उजागर हो रहा है. अभी विधानसभा चुनाव में लगभग एक वर्ष बाकी हैं लेकिन धोखे की राजनीति करने वालों की सक्रियता प्रदेश में बढ़ गई है. राजेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री के वक्तव्य का संदर्भ और धोखे की राजनीति के बयान को साबित करने वाला कोई उदाहरण नहीं दे पाते. कौन साजिश कर रहा है या कौन धोखे की राजनीति कर रहा है? यह सवाल अनुत्तरित ही रह जाता है. जिस सवाल का राजेंद्र चौधरी जवाब नहीं दे पाते, उसे वे खुद ही क्यों उठाते हैं? यह सवाल पार्टी में कोई उनसे पूछता भी नहीं है. अपने आधिकारिक बयान में चौधरी आगे केवल इतना ही कह पाते हैं कि कांग्रेस, भाजपा और बसपा की पिछली सरकारों ने विकास पर कम, समस्याएं बढ़ाने का ज्यादा काम किया है. चौधरी के इस आधिकारिक बयान में साजिश का वर्ष और धोखे की राजनीति का तथ्यात्मक सिरा ढूंढ पाना असंभव है. क्योंकि आगे के बयान में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की योजनाओं का बखान और गुणगान है, जैसा चौधरी हमेशा करते रहते हैं. उनके बयान में साजिश का वर्ष और धोखे की राजनीति का संदर्भ कहीं नहीं है. राजेंद्र चौधरी बयान तैयार करते समय और उसे जारी करते समय उसका ओर-छोर भी नहीं देखते कि कहीं उसका सिरा तर्कों और तथ्यों से जुड़ भी पा रहा है कि नहीं. इससे सपा के प्रवक्ता के बयान को अखबारों में बड़े ही हास्यास्पद तरीके से लिया जा रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दाऊद की मदद से लोकसभा चुनाव जीता था गोविंदा

नाईक की किताब से फिर माहौल गरम

सूफी यायावर

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने यह कह कर कि आतंकी सरगना दाऊद इब्राहीम ने 2004 के लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई से कांग्रेसी उम्मीदवार फिल्म अभिनेता गोविंदा की मदद की थी और पोप चाहते थे वहां से कांग्रेस प्रत्याशी जीते, फिर से राजनीतिक सरगर्मी पैदा कर दी है. 2017 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे उत्तर प्रदेश में नाईक का यह वक्तव्य कुछ अधिक ही गरमी पैदा कर रहा है.

राम नाईक और विवाद साथ-साथ चलते रहते हैं. अखिलेश के साथ विवाद थमता है तो आजम के साथ शुरू हो जाता है. कभी लोकायुक्त की नियुक्ति पर विवाद हुआ तो कभी विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन पर. अभी ताजा विवाद उत्तर प्रदेश से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन उसका असर यूपी की राजनीति पर तो आ ही रहा है. राज्यपाल ने अपनी नई किताब चरैवेति-चरैवेति में कहा है कि वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से खड़े कांग्रेस प्रत्याशी फिल्म अभिनेता गोविंदा कुख्यात अपराधी सरगना दाऊद इब्राहीम की मदद से जीते थे और वे हार गए थे. चरैवेति-चरैवेति राम नाईक के संस्मरणों का संकलन है. नाईक की इस किताब से राजनीतिकर्मियों खास तौर पर कांग्रेसियों में खलबली मच गई है और नाईक व भाजपा के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. राज्यपाल ने लिखा है कि उनके प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार फिल्मी हीरो गोविंदा की दाऊद इब्राहीम से दोस्ती के कारण चुनाव पर असर पड़ा. उनके हारने के पीछे बिल्डर लॉबी और अंडरवर्ल्ड की दहशत थी. नाईक ने लिखा है कि वसई के हितेंद्र ठाकुर और दाऊद इब्राहीम से गोविंदा की दोस्ती सर्वविदित थी. परिणामस्वरूप चुनाव में दहशत का प्रवेश हुआ और मतदान के दो-तीन दिन पहले इस दहशत में प्रचंड वृद्धि हुई. नाईक का कहना है कि हर चुनाव में उन्हें सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिलती थी लेकिन उस बार केवल दो क्षेत्र में ही बढ़त बनी. दहशत के माहौल के कारण वे छह हजार वोटों से लोकसभा का चुनाव हार गए.

> राम नाईक और विवाद साथ-साथ चलते रहते हैं. अखिलेश के साथ विवाद थमता है तो आजम के साथ शुरू हो जाता है. कभी लोकायुक्त की नियुक्ति पर विवाद हुआ तो कभी विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन पर. अभी ताजा विवाद उत्तर प्रदेश से तो नहीं जुड़ा है, लेकिन उसका असर यूपी की राजनीति पर तो आ ही रहा है.

नाईक ने अपने संस्मरण में यह भी लिखा है कि 2004 तक उस क्षेत्र में कांग्रेस के नेता कभी प्रचार के लिए नहीं आए. लेकिन उस चुनाव में पहली बार वसई में सोनिया गांधी की सभा आयोजित की गई थी. इसकी वजह इस क्षेत्र का ईसाई बहुल होना था. हालांकि यहां मुझे अच्छे वोट मिलते थे. सोनिया गांधी के आने के बाद छिपा प्रचार शुरू हुआ कि पोप यहां कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी देखना चाहते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

सेंसर बोर्ड में सुधार की बयार

अनंत विजय

जब से पहलाज निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है तब से सेंसर बोर्ड को लेकर, उसके नियमों को लेकर, सेंसर बोर्ड के अधिकारों को लेकर कई बार बहस हुई है. पहलाज निहलानी ने सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनते ही ऐसे काम शुरू कर दिए कि सोशल मीडिया पर सेंसर बोर्ड को संस्कारी बोर्ड कहा जाने लगा. सेंसर बोर्ड ने जब जेम्स बांड की फिल्म में कांट-छांट की थी, तो संस्कारी बोर्ड हैश टैग के साथ कई दिनों तक ट्विटर पर ट्रेंड करता रहा. फिल्म में चुंबन के दृश्य पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली थी. तब पहलाज निहलानी ने तर्क दिया था कि भारतीय समाज के लिए लंबे किसिंग सीन उचित नहीं हैं और उन्होंने आधे से ज्यादा इस तरह के सीन को हटवा दिया था. बांड की फिल्म में कट लगाने के बाद पूरी दुनिया में सेंसर बोर्ड और उसके अध्यक्ष की फजीहत हुई थी. देश में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर बहस हुई थी. सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक पंडित ने भी इसका विरोध किया था, लेकिन पहलाज निहलानी ने किसी की नहीं सुनी थी और फिल्मों को नैतिकता की कसौटी पर कसकर खुद को फिल्मों में नैकिकता के नए झंडाबरदार के तौर पर पेश कर दिया. उन्होंने नैतिकता की अपनी परिभाषा गढ़ी. दरअसल पहलाज निहलानी को ताकत मिली थी सिनेमेटोग्राफी एक्ट की धारा 5 बी(1) से. जहां शब्दों को अपने तरीके से व्याख्यायित करने की छूट है. इस पर गौर करते हैं– किसी फिल्म को रिलीज करने का प्रमाण पत्र तभी दिया जा सकता है, जबकि उससे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर कोई आंच ना आए. मित्र राष्ट्रों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी ना हो. इसके अलावा तीन और शब्द हैं–पब्लिक ऑर्डर, शालीनता और नैतिकता का पालन होना चाहिए. अब इसमें सार्वजनिक शांति या कानून व्यवस्था तक तो ठीक है, लेकिन शालीनता और नैतिकता की व्याख्या अलग-अलग तरीके से की जाती रही है. स्वाभाविक भी है.

चंद सालों पहले तक बॉलीवुड की फिल्मों में चुंबन दृश्यों को दिखाने पर रोक थी उसको दिखाने के लिए फिल्म निर्देशक दो फुलों को हिलते और फिर मिलते हुए दिखा देते थे, लेकिन कालांतर में वक्त बदलने के साथ-साथ आधुनिकता के नाम पर चुंबन दृश्यों को मंजूरी मिलनी शुरू हो गई. कम कपड़ों में या फिर पारदर्शी कपड़ों में नायिकाओं के चित्रण को कहानी की मांग बताकर निर्देशक सेंसर बोर्ड से छूट लेने लगे थे. राज कपूर ने अपनी फिल्म *सत्यम शिवम सुंदरम* और *राम तेरी गंगा मैली* में बड़े गले के या फिर पारदर्शी कपड़ों में नायिकाओं को दिखाने की छूट सेंसर बोर्ड से हासिल कर ली थी. उस वक्त भी इस तरह के दृश्यों को लेकर खासी बहस हुई थी. तब एक पक्ष का तर्क था कि निर्देशकों ने इस तरह के दृश्य को दिखाकर दर्शकों में उद्दीपन पैदा करने की कोशिश की है.

इसके पहले 1973 में बी के आदर्श ने *गुप्त ज्ञान* नाम की फिल्म बनाई थी, तो सेंसर बोर्ड के सामने सिनेमेटोग्राफी एक्ट की उपरोक्त धारा के आधार पर फैसला लेने में संकट पैदा हो गया था. उस फिल्म में कई दृश्य ऐसे थे जिनको लेकर निर्माताओं की दलील थी कि वह यौनिकता को लेकर जनता को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से फिल्म में डाली गई हैं. उस वक्त के बोर्ड के कई सदस्यों को लग रहा था कि यह जनता की यौन भावनाओं को भड़का कर पैसा कमाने की एक चाल है. लंबी बहस के बाद *गुप्त ज्ञान* को बगैर किसी काट-छांट के प्रदर्शन की इजाजत तो दे दी गई थी, लेकिन फिल्म के प्रदर्शन के बाद उसमें फिल्माए अंतरंग दृश्यों को लेकर इतनी आलोचना हुई कि चंद महीने में ही उसको सिनेमाघरों से वापस लेना पड़ा था. एक बार फिर से सेंसर बोर्ड के सदस्यों ने इसको देखा और जमकर कैंची चलाई. इस पूरी प्रक्रिया में ढाई साल लग गए थे.

1994 में फुलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म *बैंडिट क्वीन* में भी स्त्री देह की नग्नता को लांग शॉट में ही दिखाने की इजाजत दी गई थी. फिल्म *फायर* से लेकर *डर्टी पिक्चर* तक पर अच्छा खासा विवाद हुआ लेकिन सेंसर बोर्ड ने अपनी बात मनवा कर ही दम लिया था. फिल्म *12 इयर्स अ स्लेव* में गुलामों के अत्याचार के नाम पर नग्नतापूर्ण दृश्यों की इजाजत देना हैरान करने वाला था. जब दो हजार में सेंसर बोर्ड के सीईओ पर 70 हजार की घूसखोरी का आरोप लगा था और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार भी किया था तब हैरानी दूर हो गई थी और अलग-अलग फिल्मों के लिए अलग-अलग मानदंड की बात समझ में आने लगी थी. सीईओ साहब की गिरफ्तारी के बाद कई सुपरस्टार्स और निर्देशकों ने इस बात के पर्याप्त संकेत दिए थे कि उनको अपनी फिल्मों में गानों को पास करवाने के लिए घूस देना पड़ा था.

सेंसर बोर्ड में जिस तरह से एडल्ट और यू ए फिल्म को श्रेणीबद्ध करने की गाइडलाइंस है, उसको लेकर भी बेहद भ्रम है. यही हर तरह की गड़बड़ियों की जमीन तैयार करता है. फिल्मों को सर्टिफिकेट देने की गड़बड़ी शुरू होती है. क्षेत्रीय स्तर की कमेटियों से जहां वैसे लोगों का चयन होता है जिनको सिनेमा की गहरी समझ नहीं होती है और वो अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के आधार पर या फिर अपनी विचारधारा के आधार पर कमेटी में जगह पाते हैं और उसी आधार पर फिल्मों को देखते और टिप्पणी करते हैं. इसके बाद फिल्म प्रमाणन बोर्ड में भी कई स्तर होते हैं और एक के शब्दों को अपनी तरह से व्याख्या कर अध्यक्ष अपनी मनमानी चलाते हैं. एक सेंसर बोर्ड सैफ अली खान की फिल्म *ओमकारा* में गालियों के प्रयोग की इजाजत देता है तो दूसरा सेंसर बोर्ड प्रकाश झा की फिल्म में साला शब्द पर आपत्ति जताता है और उसको फिल्म से निकालने को कहता है.

इन सारे गड़बड़झालों की पृष्ठभूमि में सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने मशहूर फिल्मकार श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी, जिसने पिछले दिनों सीबीएफसी में सुधारों को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. इस कमेटी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सेंसर बोर्ड के कामकाज के अलावा फिल्मों को दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश की है. बेनेगल कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक अब इस संस्था को सिर्फ फिल्मों के वर्गीकरण का अधिकार रहना चाहिए. वो फिल्म को देखे और उसको किस तरह के यूए या फिर यूए सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, इसका फैसला करे. इस सिफारिश को अगर मान लिया जाता है तो फिल्म सेंसर के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत होगी. लेकिन इसमें भी एक पेंच दिखाई दे रहा है. अब तक इस समिति की जो सिफारिशें सार्वजनिक की गई हैं, उसमें कहा गया है कि प्रमाणन के दौरान कमेटी सिनेमेटोग्राफिक एक्ट की धारा 5 बी(1) का ख्याल रखेगी और यह ध्यान देगी कि उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है. सारी समस्या की जड़ में तो यही धारा है. नैतिकता और मर्यादा दो ऐसे आधार हैं जिनकी सुविधानुसार व्याख्या की जा सकती है. बेनेगल कमेटी ने इन दो शब्दों की व्याख्या से निबटने की क्या सिफारिश की है यह जानना दिलचस्प होगा.

अन्य सिफारिशों के मुताबिक फिल्मकारों के लिए यह बताना जरूरी होगा कि वो किस श्रेणी की फिल्म बनाकर लाए हैं और उन्हें किस श्रेणी में सर्टिफिकेट चाहिए. उसके बाद सीबीएफसी के सदस्य फिल्म को देखकर तय करेंगे कि फिल्मकार का आवेदन सही है या उनके वर्गीकरण में बदलाव की गुंजाइश है. उसके आधार पर ही फिल्म को सर्टिफिकेट मिलेगा. बेनेगल कमेटी ने अपनी सिफारिशों में फिल्मों के वर्गीकरण का दायरा और बढ़ा दिया है. यू के अलावा यूए श्रेणी को दो हिस्सों में बांटने की सलाह दी गई है. पहली यूए + 12 और यूए +15. इसी तरह से ए कैटेगरी को भी दो हिस्सों में बांटा गया है. ए और ए सी. ए सी यानि कि एडल्ट विद कॉशन. इसके अलावा कमेटी ने बोर्ड के कामकाज में सुधार के लिए भी सिफारिश की है. उन्होंने सुझाया है कि बोर्ड के चेयरमैन समेत सभी सदस्य फिल्म प्रमाणन के दैनिक कामकाज से खुद को अलग रखेंगे और इस काम की रहनुमाई करेंगे. सभी क्षेत्रों से बोर्ड में एक सदस्य रखने की सिफारिश भी की गई है, तो इस तरह से बोर्ड में चेयरमैन के अलावा नौ सदस्यों की सिफारिश की गई है. इसके अलावा भी कमेटी ने कई छोटी-मोटी सिफारिशें की है. फिल्मों में पशुओं पर अत्याचार और स्मोकिंग दृश्यों पर अपनी सिफारिश कमेटी जून तक प्रस्तुत कर देगी. तो यह माना जाना चाहिए कि जून के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस पर कोई ठोस फैसला लेगा, ताकि फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्मों पर कम से कम कैंची चलाने का हक मिल सके. ■

जब दो हजार में सेंसर बोर्ड के सीईओ पर 70 हजार की घूसखोरी का आरोप लगा था और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार भी किया था. तब हैरानी दूर हो गई थी और अलग-अलग फिल्मों के लिए अलग-अलग मानदंड की बात समझ में आने लगी थी. सीईओ साहब की गिरफ्तारी के बाद कई सुपरस्टार्स और निर्देशकों ने इस बात के पर्याप्त संकेत दिए थे कि उनको अपनी फिल्मों में गानों को पास करवाने के लिए घूस देना पड़ा था.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

ईसबगोल

परिचय

ईसबगोल का मूल उत्पत्ति स्थान ईरान है और यहीं से इसका हिन्दुस्तान में आयात किया जाता है. इसका उल्लेख प्राचीन वैद्यक शास्त्रों व निघण्टुओं में अल्प मात्रा में पाया जाता है. वैद्यामृत नामक ग्रन्थ के ज्वरातिसार-प्रकरण में इसके अनेक प्रयोग वर्णित हैं. 10वीं शताब्दी पूर्व के अरबी और ईरान के अलहवीं और इब्नसीना नामक हकीमों ने अपने ग्रन्थों में औषधि द्रव्य के रूप में इसबगोल का निर्देश किया था. तत्पश्चात् कई यूनानी निघण्टुकारों ने इसका खूब विस्तृत विवेचन किया. फारस में मुगलों के शासनकाल में इसका प्रारंभिक प्रचार यूनानी हकीमों ने इसे ईरान से यहां मंगाकर किया. तब से जीर्ण प्रवाहिका और आंत के मरोड़ों पर सुविख्यात औषधोपचार के रूप में इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाने लगा और आज भी यह आंत्र-विकारों की कई उत्तमोत्तम औषधियों में अपना खास दर्जा रखती है. जीर्ण प्रवाहिका और अतिसार की यह एक खास औषधि है तथा यह अपने खास मृदुताकारक एवं स्निग्धता संपादक गुणों से अन्न प्रणाली गत श्लैष्मिक कला संबंधी सर्व प्रकार के दाहशोथयुक्त विकारों का शमन कर देती है. इनके बीजों का कुछ आकार प्रकार घोड़े के कान जैसा होने से इसे इस्पगोल, इसबगोल कहा जाने लगा. आजकल भारत में भी इसकी खेती गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में की जाती है. औषधि के रूप में इसके बीज और बीजों की भूसी प्रयुक्त की जाती है. यह दो प्रकार का होता है. 1. इसबगोल 2. जंगली इसबगोल.

बाह्य-स्वरूप

❖ **ईसबगोल–** इसका छोटा, मृदुरोमश कांडरहित पौधा होता है. इसके पत्र सरल, 7.5–23 सेमी लम्बे, 6 मिमी चौड़े, तीन शिराओं से युक्त, धान के पत्तें जैसे होते हैं. इसके पुष्प छोटे, अंडाकार अथवा बेलनाकार स्पाईक में, 1.3–3.8 सेमी लम्बे होते हैं. इसके फल 8 मिमी लम्बे, अंडाकार, गोलाग्र तथा इसके बीज नौकाकार, 3 मिमी लम्बे, चिकने, देखने में घोड़े के कान के सदृश, पीताभ-भूरे वर्ण के होते हैं. बीजावरण श्वेत तथा बीजमज्जा गहरे रक्त वर्ण की होती है. बीजों के ऊपर सफेद भूसी होती है.

भूसी पानी के संपर्क में आते ही चिकना लुआब बना लेती है जो गंधरहित और स्वादहीन होती है. इसका पुष्पकाल तथा फलकाल दिसम्बर से मार्च तक होता है.

❖ जंगली ईसबगोल– यह अरोमश अथवा रोमश, सीधा, प्रबल, मूलस्तंभयुक्त, बहुवर्षायु शाकीय पौधा होता है. इसके पत्र सरल, एकान्तर, सवृंत, मूलज पत्र 5–12.5 सेमी लम्बे, चौड़ाई में विभिन्न प्रकार के होते हैं. इसके पुष्प स्पाईक 7.2–14.4 सेमी लम्बे, पुष्प फैले हुए अथवा गुच्छों में होते हैं. इसके फल अंडाकार, द्विकोशीय, 3–4 मिमी लम्बे, अरोमश, सम्पुटक तथा बीज अत्यंत सूक्ष्म, 4–8 की संख्या में, कोणीय, झुर्रीदार, 0.85 मिमी लम्बे होते हैं. इसका पुष्पकाल एवं फलकाल अप्रैल से अक्टूबर तक होता है.

रासायनिक संघटन

❖ इसके फल तथा बीज में टैनिन, ऑक्फबिन, म्यूसिलेज, ग्लुकोसाईड, एल्डोयोनिक अम्ल, ज़ायलोस, गैलेक्टोयुरोनिक अम्ल, बीटा-सिटोस्टेरॉल तथा एराबिनोस पाया जाता है. इसके बीजों की भूसी में ज़ाइलोस, एराबीनोस, गैलेक्टोरोनीक अम्ल, रैह्म्नोस एवं गैलेक्टोस युक्त कोलॉयडल म्यूसिलेज पाया जाता है. इसके बीज तेल में 50 प्रतिशत लिनोलिइक अम्ल पाया जाता है.

❖ **जंगली ईसबगोल–** इसके पत्र में बाईकेलीन, स्कूटेल्लेरीन, ल्यूटिओलिन, क्लोरोजेनिक अम्ल, निओक्लोरोजेनिक अम्ल एवं ऐपीजेनिन पाया जाता है. इसके बीज में आक्यूबोसाइड, रेसिनोलिक अम्ल, प्लैन्टेजिक अम्ल तथा पिच्छिल पदार्थ पाया जाता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव ईसबगोल

❖ अश्वगोल स्नेहन मार्दव कारक, यह अतिसार तथा प्रवाहिका नाशक होता है. पुष्टिकारक, मधुर, ग्राही, शीतल, चिकना, कसैला, कुछ वातकारक व पित्त तथा कफशामक है.

❖ इसके बीज मधुर, स्तंभकार, प्रशीतक, स्निग्ध, मूत्रल, मृदुविरेचक, शोथहर, प्रवाहिकारोधी, कफनिस्सारक, वाजीकर तथा बलकारक होते हैं.

❖ इसकी भूसी स्निग्ध, शामक, स्नेहक, मृदुविरेचक, शोथहर, प्रशामक, मूत्रल व मृदुकारी होती है तथा दाह, स्वाभाविक विबन्ध, बिन्दुमूत्रकृच्छ्र, जठरशोथ, प्रवाहिका, शूल, कास, विसर्प, वातरक्त, पूयमेह, पैत्तिकज्वर, ग्रहणी, व्रण, अर्श, कृशता, सामान्य दुर्बलता दाह तथा अतिसार शामक होती है.

जारी...

आचार्य बालकृष्ण

क्या फिक्सिंग पर लगेगी लगाम

फिक्सिंग का दायरा केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, कुछ समय पहले वैश्विक स्तर पर टेनिस और फुटबॉल में फिक्सिंग होने की बातें भी सामने आई थीं. साल 2014 में इंग्लैंड के फुटबॉल लीग क्लबों के सात खिलाड़ियों को कथित मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यूरोपियन यूनियन पुलिस ऑर्गनाइजेशन (यूरोपोल) की जांच टीम को एक दो नहीं बल्कि 380 फुटबॉल मुक़ाबलों में मैच फिक्सिंग के सबूत मिले थे. इनमें यूरोपियन चैंपियनशिप और विश्वकप फुटबॉल के क्वालीफाइंग मुक़ाबले भी शामिल थे. वहीं टेनिस में विंबल्डन जैसी बड़ी प्रतियोगिता में फिक्सिंग की संभावना इस साल जनवरी में एक मीडिया रिपोर्ट में जताई गई थी. भारत में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी और कुश्ती जैसे कई खेलों की लीग्स शुरू हुई हैं, इन खेलों में भी फिक्सिंग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, ऐसे में निश्चित तौर पर फिक्सिंग को रोकने के लिए एक बेहतर और सुदृढ़ क़ानून की आवश्यक्ता है.

नवीन चौहान

लोकसभा सांसद और बीसीसीआई के महासचिव अनुराग ठाकुर ने बजट सत्र के दूसरे चरण में मैच फिक्सिंग करने वालों को कड़ी सजा देने संबंधी प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश करके सरकार को आइना दिखा दिया है. इस बिल को पेश कर उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि खेल मंत्रालय को खेलों के साथ हो रहे खिलवाड़ की कोई फिक्र नहीं है. उसके पास खेलों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने की न तो नीति है और न ही नीयत. जब-जब क्रिकेट के मैदान से फिक्सिंग का जिन्न निकलकर बाहर आया, तब-तब सरकार ने मैच फिक्सिंग को रोकने के लिए क़ानून बनाने की बात कही, लेकिन मामला हर बार ठंडे बस्ते में चला गया. केंद्र में किसी भी दल की सरकार रही हो, किसी ने भी आज-तक गंभीरता से मैच फिक्सिंग पर रोक लगाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की कोई कोशिश नहीं की. लेकिन बीसीसीआई के महासचिव और सत्तारूढ़ दल के सांसद अनुराग ठाकुर ने खेलों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर जो पहल की है वह सराहनीय है.

मोदी सरकार को सत्ता में आए लगभग दो साल पूरे हो गए हैं, लेकिन क्रिकेट में हो रही मैच फिक्सिंग और अन्य अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए उनकी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, जबकि उनके कार्यकाल के दौरान ही लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट आई. भारत में खेलों के क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए कई सालों से बहस चल रही है. इस बहस की शुरुआत साल 2011 में तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री अजय माकन ने नेशनल स्पोर्ट्स (डेवलपमेंट) बिल-2011 लाकर की थी. इस बिल का मुख्य उद्देश्य देश में कार्यरत विभिन्न खेल संगठनों के प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना और पारदर्शिता लाना था. इस बिल को लेकर माकन उत्साहित थे, लेकिन विभिन्न खेल संगठनों के शीर्ष पदों पर बैठे राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोगों ने इस बिल का विरोध किया. अंततः माकन को खेल मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा. इसके बाद साल 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का मामला उजागर हुआ. इसके पहले भी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैच फिक्सिंग के कई मामले सामने आ चुके थे, उनमें से कई मामलों में आरोपियों को दोषी करार देकर उनके खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई भी की गई थी. कुछ खिलाड़ियों को आजीवन प्रतिबंध के साथ-साथ जेल की हवा भी खानी पड़ी थी, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ और न ही सरकारों ने इन मामलों से कभी कोई सबक लिया. इस वजह से आज तक देश में मैच फिक्सिंग में लिप्त रहने वाले खिलाड़ियों और अन्य लोगों को भारतीय दंड संहिता या अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं हो सका. फिक्सिंग के मामलों में पुलिस अधिक से अधिक आपराधिक षडयंत्र और धोखाधड़ी का मामला ही आरोपियों पर दर्ज कर पाती है.

आईपीएल-6 स्पॉट फिक्सिंग विवाद में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुद्गल की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी जांच में आईपीएल की दो टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मालिकों को सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग में लिप्त पाया था, इस वजह से इन दोनों टीमों पर दो वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया. साथ ही इनके आरोपी मालिकों के किसी भी क्रिकेट गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया. इन दोनों कमेटियों की रिपोर्ट्स मोदी सरकार के कार्यकाल में आई लेकिन उनके खेल मंत्रालय ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. केंद्रीय खेल मंत्री सरबानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे रहे और खेलों से खिलवाड़ की रवायत बदस्तूर जारी रही.

लोकसभा में बिल पेश करते वक्त अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिलहाल देश में मैच फिक्सिंग पर लगाम लगाने के लिए कोई क़ानून नहीं है, इसे रोकने के लिए क़ानून का होना बेहद जरूरी है. उन्होंने जो बिल संसद में पेश किया है उसमें फिक्सिंग के दोषियों को दस साल की सजा देने का प्रावधान है. बिल में नेशनल स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन का गठन करने के साथ-साथ अन्य कई प्रावधान हैं. साल 2013 में आईपीएल में हुई स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त पाए गए खिलाड़ियों के खिलाफ कोई क़ानून नहीं होने की वजह से कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी. बीसीसीआई ने उनके क्रिकेट खेलने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया. इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मौजूदा समय में फिक्सिंग का दोषी पाए जाने पर खिलाड़ी को आईपीसी की जिन धाराओं के तहत सजा दी जाती है उनसे खिलाड़ी बच निकलते हैं. क्योंकि ये धाराएं खेलों पर लागू नहीं होती हैं. इसके साथ ही इस बिल में एक राष्ट्रीय स्तर की एथिक्स बॉडी बनाने का प्रस्ताव है, जो डोपिंग और फिक्सिंग की रोकथाम, उम्र संबंधी फर्जीवाड़ा व महिला खिलाड़ियों का शोषण रोकने जैसे मामलों को देखेगी. नेशनल स्पोर्ट्स एथिक्स कमीशन में जज सहित खेल जगत से जुड़ी खेल हस्तियां होंगी. आयोग के पास सुनवाई और सजा निर्धारित करने का अधिकार होगा.

यदि अनुराग ठाकुर द्वारा पेश बिल संसद में पारित हो जाता है तो फिक्सिंग में लिप्त खिलाड़ियों पर न केवल आजीवन प्रतिबंध लगेगा बल्कि उन्हें दस साल कैद की सजा भी होगी. इसके साथ ही उसे रिश्वत की पांच गुना राशि जुर्माने के रूप में भरनी होगी. उम्र और लिंग संबंधी फर्जीवाड़ा करने पर छह महीने की जेल और एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. बिल में न सिर्फ खिलाड़ियों बल्कि प्रशिक्षकों और खेल संघों के पदाधिकारियों के दोषी पाए जाने पर भी सजा का प्रावधान है. उन्हें आशा है कि यह बिल देश के खेलों में ईमानदारी को प्रोत्साहित करने और खेलों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करेगा.

खेलों में सुधार के लिए अनुराग ठाकुर ने एक संविधान संशोधन बिल भी प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में ही लोकसभा में पेश किया, जिसमें खेल को राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है. खेल के समवर्ती सूची में शामिल होने पर, खेलों का समन्वित विकास होगा. राज्य और केंद्र की सरकारें बेहतर तरीके से खेलों पर ध्यान दे सकेंगी और इसके विकास की योजनाएं बना सकेंगी.

फिक्सिंग का दायरा केवल क्रिकेट तक ही सीमित नहीं है, कुछ समय पहले वैश्विक स्तर पर टेनिस और फुटबॉल में फिक्सिंग होने की बातें भी सामने आई थीं. साल 2014 में इंग्लैंड के फुटबॉल लीग क्लबों के सात खिलाड़ियों को कथित मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यूरोपियन यूनियन पुलिस ऑर्गनाइजेशन (यूरोपोल) की जांच टीम को एक दो नहीं बल्कि 380 फुटबॉल मुक़ाबलों में मैच फिक्सिंग के सबूत मिले थे. इनमें यूरोपियन चैंपियनशिप और विश्वकप फुटबॉल के क्वालीफाइंग मुक़ाबले भी शामिल थे. वहीं टेनिस में विंबल्डन जैसी बड़ी प्रतियोगिता में फिक्सिंग की संभावना इस साल जनवरी में एक मीडिया रिपोर्ट में जताई गई थी. भारत में क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, टेनिस, कबड्डी और कुश्ती जैसे कई खेलों की लीग्स शुरू हुई हैं, ऐसे में इन खेलों में भी फिक्सिंग की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता, ऐसे में निश्चित तौर पर फिक्सिंग को रोकने के लिए एक बेहतर और सुदृढ़ क़ानून की आवश्यक्ता है. जो बिल अनुराग ठाकुर ने संसद में पेश किया है, उस बिल को किसी संसदीय कमेटी के पास भेजने से पहले उस पर संसद के दोनों सदनों में गंभीरता से विचार होना चाहिए. ताकि खेल प्रेमियों का खेल और खिलाड़ियों पर विश्वास बना रह सके. ■

navinonline2003@gmail.com

संसद में शांत खिलाड़ी

संसद में जिस कार्यक्षेत्र का व्यक्ति पहुंचता है, उससे आशा की जाती है कि वह संसद में उस क्षेत्र की बेहतरी के लिए सवाल उठाएगा और बेहतर योजनाएं बनाने में सरकार की मदद करेगा, लेकिन संसद में ऐसा होता नहीं दिखा. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद जब राज्यसभा सांसद मनोनीत किया गया था, तब यह आशा की गई थी कि सचिन खेलों के विकास और बेहतरी के लिए कदम उठाएंगे. संसद में खेलों से संबंधित विषयों पर अपनी राय रखेंगे, लेकिन सचिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया. हालांकि सचिन तेंदुलकर ने यूपीए सरकार के दौरान तत्कालीन खेल मंत्री जितेंद्र सिंह को खेलों के विकास से जुड़ा एक विस्तृत ब्लू प्रिंट सौंपा था. जिसमें उन्होंने बुनियादी स्तर पर खेलों के विकास का रास्ता सुझाया था. उनकी सलाह केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं थी. उनका जोर निचले स्तर पर खेलों के सर्वांगीण विकास से देश में खेल-संस्कृति का विस्तार कराने पर था, लेकिन खेल मंत्रालय ने सचिन के सुझावों पर न ही कोई विचार किया और न ही उस दिशा में कोई कदम उठाए. ऐसे में खिलाड़ियों निराशा होती है.

सचिन के अलावा पूर्व हॉकी खिलाड़ी दिलीप टिर्की, कीर्ति आजाद, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जैसे खिलाड़ी संसद में हैं. कीर्ति आजाद ने डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भाजपा की सदस्यता खोनी पड़ी. दिलीप टिर्की तो साल 2012 से राज्यसभा में हैं. वह हॉकी की बदहाली की बात करते हैं लेकिन खेलों के विकास के लिए संसद में आवाज बुलंद नहीं करते. हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर एमसी मेरीकॉम और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को भी भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा सांसद मनोनीत किया है. 1952 से ही कई खिलाड़ी संसद में रहे हैं. निशानेबाज कर्णी सिंह, हॉकी खिलाड़ी असलम शेर खान, क्रिकेटर चेतन चौहान और मोहम्मद अजहरुद्दीन और एथलीट ज्योतिमय सिकदर संसद पहुंचीं लेकिन खेलों के विकास के लिए इन्होंने बहुत कम भूमिका निभाई. खेलों से जुड़े इन सांसदों का खेलों के प्रति लगाव तो बना रहा लेकिन देश में खेलों की दशा सुधारने का गंभीर प्रयत्न करता इनमें से कोई नहीं दिखाई दिया. ■

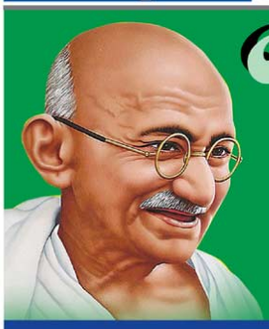

"शराब के ठेके लोकतन्त्र का कलंक और शराब अभिशाप है यदि देश में शराबबंदी लागू नहीं हुई तो हमारी स्वतंत्रता गुलामी बनकर रह जायेगी.

-गांधीजी"

जन नेता महापुरुषों की सिर्फ मूर्तियां नहीं लगाते, बल्कि उनके विचारों को नीतियों में तब्दील करते हैं.

शराबबंदी को जन-आंदोलन बनाने और शराब माफिया, भू-माफिया व खनन माफिया के ख़िलाफ़ नीतीश कुमार जी के शंखनाद का उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा ज़ोरदार स्वागत

स्थान : रवींद्रालय
चारबाग़, लखनऊ

दिनांक : 15 मई 2016

समय : 12 बजे

निवेदक :

विनोद सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मंच
शेखर दीक्षित, अध्यक्ष, किसान मंच उत्तर प्रदेश
ऋचा चतुर्वेदी, प्रभारी महिला प्रकोष्ठ, किसान मंच